HARYANA VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PETITIONS

(2017-2018)

(EIGHTH REPORT)

REPORT

on

Various Petitions/Representations received by the Committee

(Presented to the House on 15th March, 2018)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT
CHANDIGARH
2018

TABLE OF CONTENTS

		Page No
	Composition of Committee on Petitions	III
	Introduction	V
Sr No	Petition Received from	
1	SH NARESH KUMAR RAMESH KUMAR AND SURINDER KUMAR S/O SH LAKHMIRA SINGH R/O VILL MANDOLE GAGAD TEHSIL CHHACHROLI DISTT YAMUNANAGAR	1-11
2	SHRI RAJENDER KUMAR AND PREET SINGH BOTH ART MASTER GOVT ARTS SCHOOL SECTOR 6 I T I CAMPUS ROHTAK	11 20
3	SHRI ROOP CHAND VERMA H NO 638 SECTOR 17 HUDA JAGADHARI	20-23
4	SHRI SHAMSHER SINGH S/O SH HARNAM SINGH R/O VILL KAMRI TEHSIL & DISTT HISAR	23-38
5	SHRI KANT SHARMA JUNIOR SCALE STENO TYPIST HARYANA POLICE HOUSING CORPN K NO 7 PTC SUNARIA (ROHTAK)	38-40
6	SHRI VIJAY PAL S/O SH MAHENDER SINGH R/O V P O TIKLI TEHSIL AND DISTT GURUGRAM	41-42
7	DR PRADEEP MEDICAL OFFICER CIVIL HOSPITAL BHIWANI	42-46
8	SMT BHUPENDER KAUR D/o SH GURSHRAN SINGH VILL SALEMPUR BAN GAR P O CHACHHROLI DISTT YAMUNANAGAR	47 50
9	SHRI MAN ISH SAINI MD KAY KAY GLOBAL SUPPLIERS AMBALA CANTT	50-57
10	SMT MONIKA MEHTA W/o SH YOGESH MEHTA R/O B 801 APEX APARTMENT SECTOR 45 GURGAON	57-80
11	SHRI SANJAY KUMAR S/o SH OM PARKASH R/O VILLAGE GHORON PIPLI DISTT YAMUNANAGAR	80-85
12	SHRI BASVANANAD S/O SH DEVIDUTT #1047 FIRST FLOOR SECTOR 19 PANCHKULA	85-87
13	SMT USHA DEVI W /0 SH MANOI KUMAR H NO 646 SECTOR 9 JIND	87-89
14	DR P K BAJPAYEE PRINCIPAL MAHARAJA AGRASEN MAHAVIDYALAYA JAGADHRI	89-92
15	SMT SANTRO DEVI W /0 LATE SH RATAN SINGH VILL NIMANBAD TEHSIL SAFIDON DISTT JIND	92 100

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON PETITIONS (2017-2018)

CHAIRPERSON

1 Shri Ghanshyam Dass, MLA

MEMBERS

2	Smt Geeta Bhukkal, MLA	Member
3	Shri Zakir Hussain, MLA	Member
4	Smt Shakuntla Khatak, MLA	Member
*****5	Shri Umesh Aggarwal, MLA	Member
****6	Shri Jai Prakash, MLA	Member
7	Shri Anoop Dhanak, MLA	Member
8	Shri Jasbir Deswal, MLA	Member

SPECIAL INVITEE

*9	Shir Ved Narang, MLA	Special Invitee
**10	Shri Jagbir Malik, MLA	Special Invitee
***11	Shri Sri Krishan, MLA	Special Invitee

---

* Shri Ved Narang, MLA was nominated vide Notification No HVS/ Petitions/1/2017-18/55, dated 25th May, 2017

** Shri Jagbir Malik MLA was nominated vide Notification No HVS/ Petitions/1/2017-18/55, dated 25th May, 2017

*** Shri Sri Krishan MLA was nominated vide Notification No HVS/ Petitions/1/2017-18/55, dated 25th May, 2017

**** Shri Jai Prakash, MLA was nominated vide Notification No HVS/ Petitions/1/2017-18/64, dated 8th June, 2017

***** Shri Umesh Aggarwal, MLA was resigned vide Notification No HVS/ Petitions/1/2017-18/65, dated 8th June, 2017

SECRETARIAT

1 Shri R K Nandal, Secretary

2 Shri Vishnu Dev, Under Secretary

INTRODUCTION

1 I Ghanshyam Dass Chairperson of the Committee on Petitions having been authorized by the Committee in this behalf present this Eighth Report of the Committee on Petitions on the various Petitions/representations received by the Committee

2 The Committee considered all the Petitions/representations as per the details given in the Report and examined the concerned Government Officers The Committee made its observations and has tried its level best to redress the grievances of the Petitioners to the maximum extent

3 The Committee considered and approved this report at their sitting held on 1st March 2018

4 A Brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat

5 The Committee would like to express their thanks to the Government Officers and other representatives of various departments who appeared for oral evidence before them for the cooperation in giving information to the Committee

6 The Committee is also thankful to the Secretary and other Officer/Officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole hearted cooperation and assistance given by them to the Committee

Chandigarh
The 1st March 2018

(GHANSHYAM DASS)
CHAIRPERSON

REPORT

The Committee on Petitions for the year 2017-18 consisting of seven Members was nominated by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha on 25th April 2017 under Rule 268 of the Amended Rules of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the House Shri Ghanshyam Dass MLA was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon ble Speaker Three special invitee were also nominated by the Hon ble Speaker to serve on this Committee

The Committee held 51 sittings during the year 2017-18 (till finalization of the Report)

1 **PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SH NARESH KUMAR, RAMESH KUMAR AND SURINDER KUMAR S/O SH LAKHMIRA SINGH R/O VILL MANDOLE GAGAD, TEHSIL CHHACHROLI, DISTT YAMUNANAGAR REGARDING COMPLAINT AGAINST REVENUE DEPARTMENT, TEHSIL GHAURANDA, DISTT KARNAL**

The Petition received from Sh Naresh Kumar Ramesh Kumar and Surinder Kumar is reads as under

सेवा मे

माननीय चैयरमेन पैटिशन कमेटी
हरियाणा विधानसभा चण्डीगढ।

विषय— दरखास्त बाबत तहसील घरौण्डा जिला करनाल के राजस्व विभाग मे मिलीभकत करके प्रार्थीगण की जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने बारे।

श्रीमान जी

प्रार्थीगण आपसे निवेदन करते है कि—

1 यह कि प्रार्थीगण श्री सीता राम पुत्र श्री दीना निवासी गाव देवीपुर तहसील घरौण्डा जिला करनाल के वारिसान है।

2 यह कि सीता राम पुत्र श्री दीना ने रकबा तादादी 32 करनाल 18 मरले खसरा न० 392 417 157//1 2 3 4 5/1 कस्टोडियन विभाग से दिनाक 21 08 1965 को खरीद किया था। जो केन्द्रीय सरकार ने खुली नीलामी मे बेचा था। सीता राम ने सबसे अधिक बोली देकर पैसा जमा कराया था। जिस बाबत सेल सर्टीफिकेट भी सरकार द्वारा जारी किया था। इस बाबत इन्तकाल न० 697 मन्जुर हो गया था। जाकि यह इन्द्राज जमाबन्दी साल 1966—1967 मे अमल दरामद हो गया था और 1971—1972 की जमाबन्दी मे भी इन्द्राज सीता राम के नाम चलता रहा है। लेकिन रवैन्यू रिकार्ड के हल्का पटवारी ने इन्तकाल न० 944 मालकान के नाम से शामलात देह मे तबदील करने बारे इन्तकाल दर्ज कर दिया। लेकिन वह इन्तकाल मन्जूर ना हुआ। तहसीलदार ने वह खारिज कर दिया था और इसी प्रकार इन्तकाल न० 945—946 भी कभी मन्जूर ना हुआ है और इन्तकाल दर्ज करने बारे कोई सूचना सीता राम को ना दी गई थी। लेकिन उसके बाद जमाबन्दी मे इन्तकाल मन्जुर हुये बिना ही अमल दरामन्द कर दिया गया है।

3 यह कि सीता राम की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद उनके चार बेटे हरिपाल रघुबीर चन्दाराम व महाबीर व तीन बेटिया रघबीरी करेशनी उर्फ करेमो व भगती उनके कानूनी वारिस बने है। हरिपाल की मृत्यु हो चुकी है और हरिपाल की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र बलविन्द्र है और रघबीर की भी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद उसके तीन बेटे कृषणपाल सुरेन्द्र व प्रवीन कुमार है व चार बेटिया राजवती कान्ती मिथलेश व कमलेश है और भगती देवी की भी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद तीन लडके प्रार्थीगण नरेश रमेश व सलिन्द्र व एक बेटी ललतेश है जोकि

श्रीमति भगती देवी के कानूनी वारिसान होने के नाते उपरोक्त भूमि के 1/7 हिस्सा के मालिक है।

4 यह कि भूमि कभी भी शामलात देह ना रही है जब सरकार ने स्वय ही नीलामी करके भूमि को बेचा था। उस समय वह जमीन बिना किसी नोटिस के किसी के नाम इन्तकाल दर्ज करना गैर कानूनी है।

5 यह कि प्रार्थीगण इस बारे पहले भी कई अधिकारियो को दरखास्ते दे चुके है और हर जगह से दरखास्ते माक्र होकर तहसीलदार महोदय घरौण्डा के नाम जाती है। जब प्रार्थीगण तहसीलदार घरोण्डा से मिलते है तो वह कहता है कि 32 कनाल 18 मरले जमीन मै तुम लोगो के नाम फ्री मे थोडी ना नाम कर दूगा। इस भूमि की जितनी कीमत है उस हिसाब से मुझे भी हिस्सा दो मै तभी फर्द बदर बनाकर ठीक कर दूगा। इस प्रकार से तहसीलदार मुझसे रिश्वत की माग करता है। तहसीलदार कहता है कि आपकी जमीन इन्तकाल न० 944 की रूह से शामलात के नाम चली गई है। जबकि इन्तकाल न० 944 कभी मन्जूर ना हुआ है। इस बाबत जब रिकार्डरूम से नकल लेने के लिए दरखास्त दी तो उसपर रिकार्ड कीपर ने रिपोर्ट की कि इन्तकाल न० 944 जमाबन्दी साल 1976–77 के साथ रिकार्ड जमा ना हुआ है। जोकि इस भूमि बारे किसी प्रकार का कोई केस किसी भी अदालत मे विचाराधीन ना है।

6 यह कि तहसीलदार जो व्यक्ति उसको पैसे दे देता है उनके नाम दुरूस्ती कर देता है जो रिश्वत नही देता उसकी दुरूस्ती नही होती है। इस प्रकार से हम कानून मे विश्वास रखते है और हम प्रार्थीगण रिश्वत देने वाले मे से ना है।

इसलिए आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुऐ प्रार्थीगण का विरासत का इतकाल दर्ज करने व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाया जाऐ। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

दिनाक– प्रार्थीगण

हस्ता/–
नरेश कुमार रमेश कुमार व
सलिन्द्र कुमार पुत्रान श्री लखमीरा सिह
निवासीगण गाव मण्डौली गगढ
तहसील छछरौली जिला यमुनानगर।

The petition was place before the Committee in its meeting held on 22 12 2015 and the Committee considered the same and decided that said petition be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee does not receive any reply from the department Reminders was sent to the department on 10 02 2016 and 11 05 2016 Thereafter Committee orally examine Deputy Commissioner Karnal Tehsildar Ghauranda Distt Karnal and Petitioners in its meeting held on 06 06 2016 and 28 06 2016 The Committee

directed the petitioner to submit a new application along with the all the important documents and proof of thumb impression to Deputy Commissioner within 7 days Thereafter Deputy Commissioner will take necessary action and submit his report to the Committee within a month

Thereafter The Deputy Commissioner Karnal submit his report vide his letter No 2065/SK dated 30 08 2016 which reads as under -

प्रेषक

श्री मदीप सिह बराड आई ए एस
उपायुक्त करनाल।

सेवा मे

Principal Secretary
Haryana Vidhan Sabha
Secretariat Chandigarh

क्रमाक 2065/SK दिनाक 30—08—16

विषय Extract of the Proceedings of the meetings of the committee on Petitions held on 06 06-2016

यादी

आपके कार्यालय के यादी क्र० HVS/Petition/466/16-17/11419 दिनाक 28 06 2016 के सन्दर्भ मे।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा विधान सभा कमेटी द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार सबधित केस की जाच पडताल करने के लिए उपमण्डल अधिकारी (ना०) करनाल को अधिकृत किया गया। इस कार्यलय के यादी क्र० 1433/स क दिनाक 6 7 2016 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना०) करनाल से अनुरोध किया गया कि वह सबधित सभी पक्षो को सुनने उपरान्त रिकार्ड को ध्यान मे रखते हुए अपनी विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय मे 18 7 2016 तक भिजवाना सुनिश्चित करे। उपमण्डल अधिकारी (ना०) करनाल ने अपने कार्यालय के यादी क्र० 29/स्टैनो दिनाक 22 7 2016 द्वारा विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।

उपमण्डल अधिकारी (ना०) करनाल ने सबधित रिकार्ड का अवलोकन उपरान्त तथ्यो के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की है। उपमण्डल अधिकारी (ना०) करनाल की रिपोर्ट की एक प्रति आपकी सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलग्न – जाच रिपोर्ट।

(हस्ता०)
कृते उपायुक्त करनाल।

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी (ना०)
करनाल।

सेवा मे

उपयुक्त महोदय
करनाल।

क्रमाक 29/स्टेनो दिनाक 22–07–2016

विषय Extract of the Proceedings of the meetings of the committee on Petitions held on 06 06 2016

यादी

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक 1433/सक दिनाक 06 04 2016 के सदर्भ मे।

विषयाधीन मामले मे श्री नरेश कुमार पुत्र लखमीरा सिह निवासी गाव गगड मडौली तहसील छछरोली जिला यमुनानगर का शिकायत पत्र उपायुक्त करनाल के माध्यम से बराये जाच इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता का मुख्यत आरोप है कि उसके नाना सीता पुत्र दीना की 32 कनाल 18 मरले भूमि गाव गढीभलल तहसील घरौडा मे स्थित है। जोकि प्रार्थी के नाना ने तहसीलदार सेल्स करनाल से खुली बोली मे रघबीरा अमीचद नगीना गोपी आदि के साथ खरीदी थी और जिसका इतकाल न० 697 माल रिकार्ड मे 24 बीघे दर्ज है जाकि इस्तेमाल के बाद इतकाल न० 742 रकबा 32 कनाल 18 मरले दर्ज हुआ और फिर उसके बाद इतकाल न० 804 दर्ज हुआ जिसका अमल जमाबदी साल 1971–72 मे बतौर मालिक आया। प्रार्थी ने तहसीलदार घरौडा को अनुरोध किया कि उसके नाना की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके नाना के वारसानो के इतकाल दर्ज व तसदीक किए जावे। लेकिन हल्का पटवारी व कानूनगो ने तहसीलदार घरौडा को गुमराह करते हुए रिपोर्ट दी कि उक्त जमीन अनुसार इतकाल न० 944–945–946 अन्य किसी व्यक्ति के नाम चली गई है। इसलिए इसका इतकाल सीता के वारसानो के नाम नही हो सकता। जब प्रार्थी द्वारा इस मामले मे छानबीन की गई तो पता चला कि इतकाल न० 944–945–946 फर्जी है तथा इन इतकालो से सम्बधित कागजात तहसीलदार घरौंडा को दिखाए लेकिन तहसीलदार घरौंडा द्वारा उसकी समस्या का समाधान न किया। प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका व अन्य साथियो का रिकार्ड दुरूस्त करवाकर इतकाल इर्ज करवाया जाये तथा दोषीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त शिकायत के सबध मे सभी सम्बधित को सुना गया तथा उनके बयान कलमबद्व किए गए।

श्री नरेश पुत्र लखमीर उम्र लगभग 50 साल निवासी गाव मनडोली गगड तहसील छछरोली जिला युमनानगर ने ब्यान किया कि वर्ष 1965 मे मेरे नाना सीता पुत्र वीना ने 24 बीगे 0 बीस्वा भूमि तहसीलदार सेल्स करनाल से 2000 रु मे खरीदी थी। जिसका इतकाल न० 697 माल रिकार्ड मे दर्ज

है। उसके बाद चकबदी के लिए इतकाल न० 741 दर्ज हुआ व चकबदी के बाद मिसल हकियत न० 742 तकसीम दर्ज हुआ। जोकि भूमि स्थित गाव गढीमलल मुरब्बा न० 17 किला न० 11/2(0–18) 12 (8–0) 19 (8–0) 20 (8–0) कुल रकबा 32 करनाल 18 मरले माल रिकार्ड मे दर्ज हुआ। उसके बाद इतकाल न० 804 दर्ज हुआ जिसमे हमे भूमि स्थित गाव गढीमलल मुरब्बा न० 157 किला न० 1 (8–0) 2 (8–0) 3 (8–0) 4 (7–18) 5 (1–0) कुल रकबा 32 कनाल 18 मरले सीता को मिला। जोकि जमाबदी वर्ष 1971–72 मे दर्ज हुआ। इस जमाबदी मे कुछ रपट लिखी हुई है जैसे कि रपट रोजनामचा न० 68 इतकाल न० 1003 945 बैय 946 बैय लिखा हुआ है यह इन्द्राज गलत है क्योकि जब इतकाल न० 944 का ही कोई अस्तित्व न है तो इतकाल न० 945–946–1003 कैसे हो सकते है जोकि इतकाल न० 944 की रूह से किए गए है। इतकाल न० 944 कभी मजूर न हुआ और माल रिकार्ड मे क्रास का निशान हुआ है क्योकि इसमे दर्ज इन्ट्री तबादले हकुफ बाहुकम अदालत सम जज दर्जा 1 पानीपत केस न० 97 तिथि 18 12 1970 फर्जी है और इसके अलावा इतकाल न० 945 भी फर्जी है क्योकि इतकाल न० 944 1973 मे दर्ज हुआ तो माडा वगैरह 1971 मे कैसे 99 वर्ष का पटटा कर सकते है इसलिए इस इतकाल न० 945 को भी सम्बधित तहसीलदार ने कभी मजूर न किया है और यदि इतकाल न० 945 को सही मान लिया जाये जाकि माडा वगैरह के 99 वर्ष के पटटे पर आधारित है तो माडा वगैरह ने उपरोक्त भूमि का 99 वर्ष के लिए पटटा कर दिया ता उस पटटा करने के साथ ही उसका सम्बध उस भूमि से समाप्त हो जाता है और यह सबध समाप्त होने के उपरात भी वह अगले दिन इतकाल न० 946 मे दर्ज बैनामा कैसे बैय रजिस्ट्री कर सकते है इसलिए इतकाल न० 946 को भी किसी तहसीलदार ने कभी मजूर न किया। अत जब इतकाल न० 944–945–946 ही गैर कानूनी है और इनका कोई अस्तित्व न है तो इतकाल न० 1003 की भी कोई वेधता नही रहती। इस भूमि को मेरे पूर्वजो ने कभी किसी व्यक्ति सस्था या सरकार को रहन बैय वगैरह द्वारा न बेचा है और न ही यह रकबा हमारे पूर्वजो से कभी कैसिल हुआ है और न ही इस भूमि के बदले मलकीयत भूमि किसी अन्य गाव या बलहेडा मे नही मिली है और न ही किसी भूमि का इस भूमि के बदले हमारे पूर्वजो के नाम इतकाल दर्ज है और न ही गाव बलहेडा की जमीन से सीता पुत्र दीना का कोई लेना देना है। मेरा पूर्वज सीता पुत्र दीना अनपढ था। मौजूदा जमीन जो इतकाल न० 804 मे दर्ज है और जिसे गलत तरीके से सरकारी अधिकारियो द्वारा खर्दुबुर्द किया गया है उस भूमि को ढुढते–ढुढते सारी उम्र गुजार दी और मर गया ओर मेरी भी आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। लेकिन सफलता तब मिली जब मेरे मामा के लडके कषण पाल की अपील किसी अन्य जमीन से सम्बधित दिनाक 19 12 2013 को मलकीयत न होने की वजह से खारिज कर दी और उसने जब आरटीआई एक्ट के तहत तहसीलदार से सूचना मागी तो दिनाक 26 08 2014 को तहसीलदार ने जो सूचना दी तब इतकाल न० 804 का हमे पता चला। यह कि हमे अपने पूर्वज सीता राम से यह भी पता चला कि सीताराम से कागजो पर अगूठा लगवाने बारे कई बार पुलिस से पिटवाया गया था व बेईज्जती करवाई गई। फिर हम तहसीलदार घरौंडा से मिले ओर उन्हे दरखास्त देकर अनुरोध किया कि सीता पुत्र दीना की जमीन का इतकाल उसके कानूनी वारसो के नाम दर्ज कर लिया जावे तो तहसीलदार साहब ने पहले हा कर दी बाद मे इकार कर दिया और उसने इतकाल दर्ज करने के लिए 30 लाख रू की रिश्वत मागी और पैसे न देने पर हमारा इतकाल दर्ज न किया।

श्री रमेश सिगला तहसीलदार घरौंडा ने ब्यान किया कि उसके द्वारा उक्त मामले मे विस्तृत रिपोर्ट क्रमाक 291/ओके दिनाक 22 06.2016 जिला राजस्व अधिकारी करनाल को भेजी गई थी उसी

को उसके ब्यान समझे जावे। तहसीलदार घरौंडा द्वारा बिन्दुवार विस्तृत रिपोर्ट जिला राजस्व अधिकारी करनाल को प्रस्तुत की गई थी निम्न प्रकार से है

1 इन्तकाल न 697 741 803 का हिन्दी का अनुवाद करवाकर साथ सलग्न है। तथा 944 945 946 1003 की सत्यापित प्रति साथ सलग्न है।

2 गाव गढीभलल की रपट न 442 दिनाक 10–07–1968 का रोचनामचा उपलब्ध नही हुआ। पटवारी हल्का गढीभलल कई बार रोजनामचा लेने के लिए पानीपत ाया लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी रोचनामचा 1968 प्राप्त नही हुआ यह गाव गढीमलल हल्का बराना के साथ सलग्न था जो अब जिला पानीपत मे है।

3 गाव गढीभल मे रपट न 68 तिथि 01–11–1972 का अवलोकन किया गया अवलोकन उपरान्त पाया गया कि जिन 12 अलाटियान का रक्बा रद्द किया गया था उक्त अलाटी मौजुदा रिर्काड मे ना तो मालिक है न ही मौका पर कब्जा है और ना ही मुजारे है। मौका पर मालिक व कब्जा बारे तैयार की गई सुचि यखद्ध गाव गढीमलल साथ सलग्न है।

4 फिल्ड स्टाफ तहसील घरौण्डा से गाव बलहेडा बारे रिर्काड माल व मौका रिर्पोट ली गई तथा रिर्काड अवलोकन करने उपारन्त पाया गया कि गाव बलहेडा मे रपट न 10 दिनाक 10–09–1972 के तहत जो रक्बा 12 अलाटियो को अलाट किया गया था उन मे से गोपी पुत्र छज्जु, मागा पुत्र खजान गिरवर पुत्र उमरा व नत्थु पुत्र रामजी लाल के नाम तहसीलदार सैल्स द्वारा बैय की रजिस्ट्री की गई है व सीता पुत्र दीना गेर मरूसी रक्बा 32–18 का साल 2002 तक इस रक्बा पर काबिज रहा इस के बाद हासिस पुत्र मुन्शी) व जिसान सादिर याकुब यानुज रासिद पुत्रान जग्गा के नाम गिग्दावरी गैर मरूसी तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा की गई इसके बाद उक्त 32–18 मरले की गिरदावरी रपअ न 57 दिनाक 31–10–05 के तहत Ae IInd Grade Gharaunda द्वारा बत्तौर हिस्सेदार तबदील की गई बाकि अलाटियो का मौका पर इस समय कब्जा नही है। के नाम उन खसरा नम्बरान पर मौजुदा रिर्काड मे उक्त अलाटी ना तो मालिक है न ही मुजारे है और न ही मौका पर कब्जा है रिर्काड अनुसार मालिक व मौका स्थिती पर कब्जा बारे सूची यकद्ध गाव बलहेडा साथ सलग्न है।

5 केस न0 939 दिनाक 19–09–2005 के मूल फाईल की सभी कागजात सहित छाया प्रति।

6 छाया प्रति रपट न 57 तिथि 03–10–05 बाबत दरूस्ती गिरदावरी।

7 सिविल कोर्ट मे इन इन्तकालात से सम्बन्धित एक केस न्यायालस श्री गगन दीप मित्तल जे0डी0 करनाल के न्यायालय द्वारा दिनाक 14–09–2011 को एक फैसला आया था जिसकी अपील माननीय अतिरिक्त सैशन जज करनाल के न्यायालय से 19 12 2013 को फैसला हुआ जो अपील खारिज की गई की छाया प्रति साथ सलग्न है। इसकी अतिरिक्त एक सिविल सुट इन्ही इन्तकाल बारे कृष्ण पाल बनाम हरियाणा सरकार सिविल न्यायालय मे दिनाक 13–7–16 के लिए लम्बित है। जिसका जवाब दावा दायर किया जाना है जिसकी छाया प्रति साथ सलग्न है।

यहा यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि शिकायत कर्ता नरेश आदि ने जो भूमि सीता पुत्र दीना बारे माग की है वह भूमि गाव गढीभलल से तहसीलदार सैल्स के अनुसार बदलकर गाव

बलहेडा मे दी गई थी जिसका कब्जा भी दे दिया गया था रपट 68 पर सीता पुत्र दीना के कब्जा प्राप्त करने बारे हस्ताक्षर भी है।

श्री रामनिवास तहसीलदार सेल्स करनाल ने ब्यान किया कि बस्ती देवीपुर दाखली मौजा गढी भरल के कुछ परिवारो ने दिनाक 01 01 62 को उपायुक्त करनाल को आवेदन पत्र दिया कि इनकी मलकीतय रकबा जमना नदी मे बुर्द हो गया हे और उनके गुजारो कि लिए मौजा गढी भरल मे 20 साल के पटटे पर भूमि दी जावे। उपायुक्त करनाल ने इस आवेदन पत्र पर आदेश दिया कि प्रति व्यक्ति को 5 एकड वेस्ट लेण्ड दी जाये व पुलिस द्वारा कब्जा दिलवाया जाये। इस आदेश की पालना मे इन परिवारो को रपट रोजनामचा 499 तिथि 30 06 62 पर कब्जा दिया गया बाद मे मत्री परिषद (Council of Ministers) ने यह फैसला किया कि इन प्रत्येक परिवारो को 5 एकड भूमि निर्धारित मूल्य/कीमत पर दी जावे जो वह होगी जो पुर्नवास विभाग मे मुकरर की हुई है। इस निर्णय के अनुसार प्रत्येक परिवार को 5 एकड भूमि जिसकी किस्म सेलान थी और जिसका मूल्य 2000 दी गई। उस समय इस किस्म की भूमि की कीमत 400 रू प्रति एकड निर्धारित थी। 2000 रु की राशि मे से 500 रु प्रति कुटुम्ब ने स्वय अदा किए और शेष 1500 रू प्रति कुटुम्ब बतौर कर्जा सरकार की ओर से दिया गया। इस प्रकार तमाम राशि वसूल की गई। इस रकबा की रजिस्ट्री हर परिवार को दे दी गई। बाद मे 21 कुन्बो ने आवेदन पत्र दिया कि जो खसरा न० उनको दिए गए है वह इन खसरा नम्बरान से भिन्न है जो उनके कब्जा मे है और उन्हे खसरा न० दिए जाये जो उनके कब्जे मे थे या चकबदी मे उनके कब्जा मे जो नम्बर है वही दिए जाये। जाच पडताल के बाद इन कुनबो को काबल काश्त भूमि देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। पुर्नवास विभाग ने अपने ज्ञापन दिनाक 01 04 67 द्वारा 6 कुनबो को पहले दी गई जमीन बहाल रखी तीन कुनबो की अलाटशुदा जमीन मे कुछ तबदीली की ओर शेष 12 कुनबो का पहले रकबे के बदले मे नए खसरा नम्बरान अलाट किए गए। लेकिन इनका अमल दरामद चकबदी मे न हो सका। बाद मे पडताल के बाद यह रिपोर्ट भेजी गई कि 13 कुनबो को जो रकबा उनका आरभ मे अलाट हुआ था उसकी जो कीमत चकबदी मे लगी के बराबर बदले मे रकबा दिया जावे। बन्दोबस्त अधिकारी बिक्री के आदेश दिनाक 20 07 67 की पालना मे इन 12 परिवारो को बदले मे रकबा दिया गया। काश्ता रकबा का दखल मालकाना और फसल काश्ता का मुआवजा तजवीज (assess) किया गया। इन कुनबो ने आवेदन पत्र दिया कि वो मुआवजा फसल दाखिल नही कर सकते और उनको फसल उठने के बाद खाली रकबे का दखल दिया जाये। कुछ लोकल मुजारो ने अदालत दीवानी पानीपत मे जो रकबा इन कुनबो को अलाट किया गया था से बेदखली के खिलाफ दावा दायर किया। जिसमे यह भी सवाल उठाया गया कि यह रकबा लोकल मालकान का है और यह evacuee भूमि नही है। जिसमे तहसीलदार बिक्री को भी फरीक बनाया गया था लेकिन बाद मे उसे ड्राप कर दिया गया। अदालत दीवानी ने फैसला दिनाक 18 12 1970 को दावेदारो के हक मे किया जिसके खिलाफ इन कुनबो ने अतिरिक्त जिला एव सेशन जज करनाल की अदालत मे अपील दायर की लेकिन वह खारिज हो गई कयोकि इन कुनबो ने दावेदारो के साथ समझौता कर लिया।

अदालत दीवानी पानीपत के फैसले के बाद इन 13 कुनबो ने मुतबादल (exchanged) रकबा देने के लिए भूतपूर्व राजस्व मत्री तथा पुर्नवास विभाग को आवेदन पत्र दिए और तहसीलदार बिक्री करनाल के कार्यालय से इस सबध मे इस कार्यालय पूर्ण रिपोर्ट मागी जो दिनाक 04 05 71 को भेज दी गई। इन कुनबो ने गाव बलहेडा मे मुतबादल रकबा (exchanged land) देने के लिए आवेदन

पत्र दिया था। जिस रकबे की तजवीज (proposal) भेजी गई थी उसमे अधिकतर रकबा वह था जो पहले सीमित बोली मे हरीजनो को नीलाम किया गया था जो किश्ते अदा न करने के कारण वापिस ले लिय गया था और ब्याना की रकम जब्त कर ली गई थी। बाद मे यह रकबा नीलानी मे रखा गया लेकिन इस पर भी किसी पहले खरीददार ने जिससे वापिस भूमि ली गई थी न तो दोबारा बोली दी गई और न ही किश्त अदा करने के लिए आवेदन पत्र दिया। बाद मे उनसे पूछताछ भी की गई। लेकिन किसी ने किश्ते अदा नही की। जिस बारे पूर्ण रिपोर्ट अवर सचिव हरियाणा सरकार पुर्नवास विभाग चडीगढ को भेजी गई। पुर्नवास विभाग ने अपने ज्ञापन न० ज–1 (151)/9634 dated 02 08 1972 द्वारा सूचित किया कि सरकार ने इस कार्यलय को अनुमति प्रदान कर दी है और आगामी कार्यवाही पुर्नवास विभाग के नियमानुसार की जावे। इस आदेश के अनुसार इन कुनबो को यह रकबा जिसका सुझाव भेजा गया था उनको अलाट कर दिया गया और पटवारी हल्का को इनका कब्जा नियमानुसार देने का आदेश दिया गया। इस सबध मे यह भी वर्णन किया जाना उचित होगा कि इन 12 कुनबो मे से 6 कुनबो ने फिर आवेदन पत्र किया कि जो रकबा उनको दिया गया है वो निकम्मी है व काबिले काश्त न है और उन्हे बदले मे दूसरा रकबा दिया जाये। इस सबध मे पुर्नवास विभाग ने रिपोर्ट मागी और तत्कालीन तहसीलदार बिक्री द्वारा पत्र क्रमाक 2630/टीएसके दिनाक 12 12 72 द्वारा रिपोर्ट अवर सचिव विभाग हरियाणा सरकार को भेज दी। जिस पर जाच करने उपरात अवर सचिव हरियाणा सरकार चडीगढ के पत्र क्रमाक जी–1/(151)/63/10332 दिनाक 09 07 173 सर्वश्री 1 अमी चद पुत्र मगत राम 2 रूडा पुत्र नोबत 3 रूडा पुत्र हीरा 4 रूलिया पुत्र मामराज 5 माग पुत्र रामस्वरूप 6 मुखतियारा पुत्र हजारी निवासी देवीपुर को जो भूमि अलाट की थी के बदले मे भूमि दूसरे स्थान पर अलाट की जावे और भूमि जो उनके कब्जे मे है उसे नीलाम किया जावे जिस बारे तत्कालीन तहसीलदार बिक्री द्वारा आदेश पारित कर दिए गए। असल फाईल मे दस्तावेज उर्दू मे लिखे हुए है जिसका हिन्दी अनुवार उर्दू जानने वाले से करवाया गया है जो सलग्न है।

श्री वाजिद अली पुत्र श्री सलामुदीन निवासी गाव बलहेडा ने ब्यान किया कि हरीपाल महावरी व चन्दा पुत्र श्री सीता राम पुत्र श्री दीना राम यह जमीन मुतनजा 32 कनाल 18 मरले जोकि इन तीनो के पिता के नाम थी जो यह जमीन उन्होने असीम पुत्र मुन्शी पुत्र तुगल बलहेडा 1/2 भाग व जीसान साबिर सुनुस याकुब राशीद समी सभी 1/2 भाग निवासीगण गाव मुण्डीगढी को दिनाक 26 03.2002 को बेच दी थी वह मौके पर गिरदावरी इनके नाम करवाने बारे हल्फनामा दिया था जिसकी फोटोप्रति साथ सलग्न कर दी। उसके बाद हशीम वगैरह ने यह जमीन बराये इकरारनामा तिथि 09 11 2002 को युसुफ अली पुत्र अलाबक्श पुत्र सक्कु गाव बलहेडा को बेच दी थी। अनेक्सर–बी इसके बाद युसुफ अली पुत्र अनाबक्श ने यह जमीन 23 03 2005 को इसरान पुत्र मुन्शी पुत्र अल्लाबक्श निवासी गाव बलहेडा को बेच दी थी जिसका ब्यान हल्फी अनेक्सर सी है। इसके बाद इसरान पुत्र मुन्शी ने यह जमीन साखा पुत्र साबुदी को बेच दी।

सम्बधित व्यक्तियो के बयानो व जाच के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो व फाईल के अवलोकन से पाया जाता है कि तहसीलदार सेल्स द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकार्ड व ब्यान से स्पष्ट होता है कि बस्ती देवीपुर दाखली मौजा गढी भरल के कुछ परिवारो ने दिनाक 01 01 62 को उपायुक्त करनाल को आवेदन पत्र दिया कि इनकी मलकीयत रकबा जमना नदी मे बुर्द हो गया है और उनके गुजारे के लिए मौजा गढी भरल मे 20 साल के पटटे पर भूमि दी जावे। उपायुक्त करनाल ने इस आवेदन पत्र पर आदेश दिए कि प्रति व्यम्ति को 5–5 एकड वेस्ट लेण्ड दी जाये व पुलिस द्वारा कब्जा

दिलवाया जाये। इन आदेशो की पालना मे इन परिवारो को रपट रोजनामचा 449 तिथि 30 06 62 पर कब्जा दिया गया। बाद मे मत्री परिषद ने यह फैसला किया कि इन प्रत्येक को 5–5 एकड भूमि निर्धारित मूल्य/कीमत पर दी जावे कीमत वह होगी जो पुर्नवास विभाग द्वारा मुकरर की हुई है। इस निर्णय के अनुसार प्रत्येक परिवार को 5–5 एकड भूमि जिसकी किस्म सैलाब थी और जिसकी कीमत 2000 दी गई। 2000 रू की राशि मे से 500 रू प्रमि कुटुम्ब ने स्वय अदा किए और शेष 1500 रू प्रमि कुटुम्ब बतौर कर्जा सरकार की ओर से दिया गया। इस प्रकार तमाम राशि वसूल की गई। इस रकबा की रजिस्ट्री हर परिवार को दे दी गई। बाद मे 21 कुन्बो ने आवेदन पत्र दिया कि जो खसरा न० उनको दिए गए है वह इन खसरा नम्बरान से भिन्न है जो उनके कब्जा मे है और उन्हे वे खसरा न० दिए जाये जो उनके कब्जे मे थे या चकबदी मे उनके कब्जा मे जो नम्बर है वही दिए जाये। जाच पडताल के बाद इन कुनबो को काबल काश्त भूमि देने की तजवीज सरकार को भेजी गई। पुर्नवास विभाग ने अपने ज्ञापन दिनाक 01 04 67 द्वारा 6 कुनबो को पहले दी गई जमीन बहाल रखी तीन कुनबो की अलाटशुदा जमीन मे कुछ तबदीली की और शेष 12 कुनबो को पहले रकबे के मुतबादल (inexchange) नए खसरा नम्बरान अलाट किए गए। लेकिन इनका अमल दरामद चकबदी मे न हो सका। बाद मे पडताल के बाद यह रिपोर्ट भेजी गई कि 12 कुनबो को जो रकबा उनको आरम मे अलाट हुआ था उसकी जो कीमत चकबदी मे लगी के बराबर मुतबादल रकबा दिया जावे। बन्दोबस्त अधिकारी बिक्री के आदेश दिनाक 20 07 67 की पालना मे इन 13 परिवारो को मुतबादल रकबा दिया गया। काश्ता रकबा मालकाना और फसल काश्ता का मुआवजा तजवीज किया गया। इन कुनबो ने आवेदन पत्र दिया कि वो मुआवजा फसल दाखिल नही कर सकते और उनको फसल उठने के बाद खाली रकबे का दखल दिया जाये। कुछ लोकल मुजारो ने अदालत दीवानी पानीपत मे जो रकबा इन कुनबो को अलाट किया गया था से बेदखली के खिलाफ दावा किया जिसमे यह भी सवाल उठाया गया कि यह रकबा लोकल मालकान का और evacuee भूमि नही है। जिसमे तहसीलदार बिक्री को भी फरीक बनाया गया था लेकिन बाद मे उसे ड्राप कर दिया गया। अदालत दीवानी ने फैसला दावेदारो के हक मे किया जिसके खिलाफ इन कुनबो ने अतिरिक्त जिला एव सेशन जज करनाल की अदालत मे अपील दायर की लेकिन वह खारिज हो गई क्योकि इन कुनबो ने दावेदारो के साथ समझौता कर लिया। यहा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त दीवानी केस मे शिकायतकर्ता का नाना मूल अलाटी श्री सीता बकायदा पक्ष बनाया गया था। न्यायालयो के फैसले के उपरात तबादलाशुदा रकबा (Exchanged Land) का आवेदन भूतपूर्व राजस्व मत्री को इस आधार पर दिया कि जो रकबा उन्हे दिया गया है वह बहुत घटिया किस्म का है तथा उन्हे अच्छा रकबा दिया जाये। इस आवेदन मे प्रार्थी का नाना श्री सीता भी शामिल था। सरकार द्वारा उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए इन कुनबो का पुन रकबा अलाट करने की अनुमति दी और उनको गाव बलहेडा मे पहले रकबे के बदले मे दूसरा रकबा देने की मजूरी दी गई। मूल पत्रो की प्रतिया फाईल पर है।

तहसीलदार घरौडा द्वारा अपनी लिखित ब्यान के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है कि मूल अलाटी श्री सीता को अलाट की गई भूमि गाव गढीभरल मे तहसीलदा सेल्स के अनुसार बदलकर गाव बलहेडा मे दी गई थी और उसका कब्जा भी सीता ने प्राप्त कर लिया था और मुताबिक गिरदावरी यह रकबा जो गाव बलहेडा मे स्थित था वह प्रार्थी के वारसो द्वारा वर्ष 2002 मे 26 03 2002 को एक ब्यान हल्फी देकर अपनी सहमति प्रकट करते हुए उक्त भूमि की गिरदावरी सर्वश्री हाशिम पुत्र मुन्शी 1/2 भाग जोशान आदि 1/2 भाग के हक मे तब्दील करवाई। इसके उपरात हाशिम जोशान आदि

के नाम से इस भूमि की गिरदावरी वर्ष 2003 मे युसुफ पुत्र अल्लाबक्श के नाम बतौर गैर मौरूसी तब्दील होनी पाई गई है। इस भूमि पर 12 अलाटियो जिनमे सीता पुत्र दीना (शिकायतकर्ता का नाना) भी शामिल है वर्ष 2002 तक मुताबिक राजस्व रिकार्ड 32 कनाल 18 मरला पर काबिज रहे और इस रकबा की गिरदावरी रपट न० 57 दिनाक 31 10 2005 के तहत तत्कालीन सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी घरौंडा द्वारा तब्दील की गई। शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप है कि जो भूमि तबादला करके गाव बलहेडा मे उसके नाना श्री सीता को अन्य 11 कुन्बो के साथ दी गई थी वह सारी कार्यवाही फर्जी है जबकि इस सबध मे मूल रिकार्ड जो तहसीलदार बिक्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से पाया जाता है कि सरकार द्वारा उक्त तबादले की मजूरी विधिवत प्रदान की हुई है तथा मूल रिकार्ड तहसीलदार सेल के कार्यालय मे उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया गया है तथा उसकी प्रतिया भी फाईल पर उपलब्ध करवाई गई है। अत शिकायतकर्ता का यह आरोप निराधार है। जहा तक शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि इतकाल न० 944 कभी मजूर न हुआ है इसलिए उसके आधार पर किए गए इतकाल 945 व 946 गलत है इस बारे स्पष्ट किया जाता है कि इतकाल न० 944 मे दर्शाया गया रकबा उसी स्थिति अनुसार कलेक्टर महोदय करनाल के आदेश दिनाक 25 12 75 जो सिविल न्यायालय पानीपत के आदेश दिनाक 18 12 70 के आधार पर पारित किया गया था की पालना मे इतकाल न० 1003 स्वीकत हो चुका है जिसकी प्रति रिकार्ड पर है। अत यह आरोप भी निराधार पाया गया है। यहा यह भी उल्लेख करना उचित है कि इतकाल की कार्यवाही व गिरदावरी की कार्यवाही राजस्व विभाग की एक लगातार प्रक्रिया है और यदि कोई व्यक्ति सहायक कलेक्टर के द्वारा पारित आदेशो से असतुष्ट हो तो वह नियमानुसार अपील सक्षम राजस्व न्यायालय मे करके उसमे दुरूस्ती विधिवत तरीके से करवा सकता है। अत इस सबध मे शिकायतकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र या अपील सम्बधित राजस्व न्यायालय/अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत न की है। जो एक न्यायिक प्रक्रिया का भाग है। नियमो के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे यदि कोई तकनीकी या लिपिक त्रुटि रह जाती है तो उसमे दुरूस्ती करने की शक्तिया राजस्व अधिकारीगण के पास है परतु वर्तमान केस मे समस्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की स्वीकति के उपरात की गई है और राजस्व रिकार्ड के बारे मे कभी कोई शिकायत प्राप्त न हुई है तथा उपरोक्त तथ्यो के अवलोकन से भी पाया जाता है कि राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार की कोई गलती नही हुई है जिसकी दुरूस्ती की आवश्यकता हो। उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत शिकायत पत्र निराधार पाया गया है तथा इसे दाखिल दफ्तर किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट आपकी सेवा मे आगामी कार्यवही हेतू प्रेषित है।

(हस्ता०)
उपमण्डल अधिकारी (ना0)
करनाल।

The Committee orally examined the Deputy Commissioner Karnal Tehsildar Ghauranda Distt Karnal and Petitioners and discussed the petition in brief in its meeting held on 10 01 2017 The Committee give its observation on its meeting held on 16 05 2017 which reads as under

The Committee considered the Petition of Sh Naresh Kumar and others in its meeting held on 22 12 2015 The Committee also orally examined the D C Karnal DRO Karnal and Tehsildar Gharaunda Distt Karnal in respect of petition submitted by Sh Naresh Kumar Ramesh Kumar and Salinder Kumar S/o Sh Lakhmira Singh R o Vill Mandoli Gagad Tehsil Chhachhraouli Distt Yamunanagar regarding complaint against Revenue Department in its meetings held on 06 06 2016 28 06 2016 and 03 10 2016 The Committee observed that the case is very old The Committee is not in position to examine such a case where the title of a land is to be decided The matter falls under the jusrisdiction of Civil Court The aggrieved party can seek remedy through Court of Law Therefore the Committee decided to dispose of the petition accordingly

---

2 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI RAJENDER KUMAR AND PREET SINGH, BOTH ART MASTER, GOVT ARTS SCHOOL, SECTOR 6 I T I CAMPUS ROHTAK, REGARDING GRADE PAY OF ARTS MASTER

The Petition/ Representation received form Shri Rajender Kumar and Preet singh reads as under -

सेवा मे

चेयरमैन
Petition Committee
विधान सभा हरियाणा
सैक्टर–1 चण्डीगढ।

विषय– अधिकारी श्रेणी–I की Degree पर Roll No अकित न होने कारण Degree की तहकीकात करने बारे व Rs 4800/- Pay Band मे भरे पद प्रति मेरा आवेदन न भेजने कारण पदोन्नति देने/दिलवाने बारे (प्रार्थना पत्र)।

मान्यवर महोदय

निवेदन है कि M D University Rohtak ने R T I Act 05 मे प्राप्त Degree पर Roll No अकित न होने कारण Fair/Fresh & visible Photocopy के लिए Advise किया है। (Degree व M D V का पत्र सलग्न)।

1 दूसरी बार विज्ञापित पद प्रति HPSC के पत्र क्र० RG 88/375 दिनाक 20 4 1990 अनुसार मेरी योग्यता को Ignore करके यह पद भरा गया था। इन नियुक्त अधिकारी का आवेदन पत्र विभाग मे न मिलने कारण F I R सैक्टर–17 चण्डीगढ मे 3/2015 को हुई है–सूचनार्थ है।

अध्यक्ष महोदय विधान सभा हरियाणा चण्डीगढ ने भी मेरे पत्रो का अवलोकन करके पदोन्नति बारे "मुख्य मत्री महोदय मुख्य सचिव मत्री महोदय वित्तायुक्त एव प्रधान सचिव निदेशक को 1/2015 को लिखा/कार्यवाही अभी भी अधूरी है।

2 दिनाक 25 1 2013 को विभाग ने मुझे पदोन्नति बारे आफश पत्र देने उपरान्त 13 9 2013 को पुन विज्ञापित पद Rs 4800/- Pay Band मे होने पर आवेदन समय पर कर दिया था जोकि Govt Art School Rohtak Ind Trg Deptt के Dispach No 499 व 500 पर अकित है व मैने भी R T I Act-05 के अर्न्तगत प्राप्त किया है।

उपरोक्त हुई वर्ष 1991 की नियुक्ति व Rs 4800/- Pay Band का भरा आवेदन पत्र को मध्यनजर रखते हुए मुझे पदोन्नति पद इन Pay Band मे देने/दिलवाने की कृपा/कष्ट करे।

सधन्यवाद

तिथि 1 7 2015

नोट— सम्बन्धित वर्णित पत्र पहले ही कई बार विभाग को भेजे जा चुके है।

प्रार्थी
Rajinder Kumar
Gobindgarh farm
Jagadhari (YNR) Haryana

Preet Singh H No 490/5
L 11 New Kailash Nagar
Model Town Ambala city

The Petition/representation was place before the Committee in its meeting held on 18 02 2015 the Committee considered the same and desired that the comments of the concerned department may be obtained witin a period of 15 days The Haryana Industrial Training Directorate has sent their reply/comments vide their letter No KC/TP/4/Pay Anomaly/Art Master/128 dated 18 03 2015 which reads as under -

To

The Principal Secretary
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Sector-1 Chandigarh 160001

Memo No KC/TP/4/Pay Anomaly/Art Master/128 Dated 18/3/15

Subject Regarding Grade Pay of Arts Teacher

Kindly refer to your office letter No HVS/Petition/14 15/2757 dated 23 2 2015 on the subject cited above

As desired the Comments of this office on the petition submitted by Sh Rajender Kumar and Preet Singh Art Master Govt Art School Sector-5 I T I Campus Rothak are enclosed herewith

(Sd)
Assistant Director (Planning)
for Director General Industrial Traning Department
Haryana

Sr No	Points raised in petiton	Comments of the department
1	The Pay Band of Rs 3600/ has been granted to instructors w e f 12 12 2011 by the department and Finance Department whereas the qualification and designation was similar to the instructors posted in Technical Education Department Haryana	The petitioners have mentioned Pay Band of Rs 3600/ whereas it is Grade pay • The Grade Pay of Instructor in Technical Education Department is also Rs 3600/ which is similar to the Grade Pay of Instructors posted in Industrial Training Department • The qualification of Instructor in Technical Education Department is lower than ITI Department The petitioner are Group C employees and are equivalent to Instructors in ITI Department
2	One department has provided equality while following the other department but the Pay Band of Rs 4800/ has not been granted by the Industrial Training Department whereas qualification and designation of Art Master is similar to the instructors posted in Education Department	The Pay Scale of Art Master posted in Industrial Training Department and Education Department was Rs 1400 2600 from the year 1986 to 1995 Rs 5000 7850 form the year 1996 to 2005 • The designation is not same in ITI Department and Education Department It is Art Master in ITI Department and It is TGT Art in Education Department • The Pay Band and Grade Pay of TGT Art is Rs 9300 34800+4600 in Haryana School Education Deptt
3	The Industrial training Department is running Govt Arts School Rohtak (Non Technical) in which the designation and qualification of Art Master have been kept similar to the Education Department	The pau band Grade Pay of Principal Art School Rohtak and Principal ITIs Group B is Rs 9300 34800+4200 The Art Master is subordinate to the Principal and as such Pay band higher to senior post *i e* Principal cannot be granted to post of Art Master The designation is not same in ITI Department and Education Department It is Art Master in ITI department and it is TGT Art in Education Department The qualification for the post are not similar as compared below

Qualification of TGT Art in Education Department in 2012 Rules	Qualification of Art Master in Industrial Training Department in 2013 Rules
1 B F A /B A and 2 year Diploma in Elementary Education OR B F A /B A with at least 50% marks and 1 year Bachelor in education (B ed) OR B F A /B A with at least 45% marks and 1 year Bachelor in Education (B ed) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulation issued time to time in this regar OR Senior Secondary (or its equivalent)	1 Bachelor in Fine Arts degree in Painting or Masterin Fine Arts in Painting from recognized university/ institution 2 Hindi/Sanskriti upto Matric Standard or higher education Note Preference shall be given to candidates prossessing additional qualification of two years course in Art &Craft teacher training from institute recognized by Industrial Training Department Haryana

	with at least 50% marks and 4 year Bachelor in Elementary Education (B El Ed) OR Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year BA ED OR B F A /B A with at least 50% marks and 1 year B Ed (Special Education) 2 In case of B A Arts at least 50% marks in Fine Art as an Elective Subject 3 In Case of B Ed Fine Art as a teaching subject from a recognized University 4 Certificate of having qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) /School Teachers Eligibility Test(STET) 5 Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/ B.A./M A. with Hindi as one of the Subject	
4	The Art Master posted in this department are getting the same Pay Band which they were getting before 26 years	The Pay Scale/Pay Band has been not downgraded in previous pay commissions and granted in corresponding Slabs There is no disparity or anomaly at present
5	As the instructors posted in Polytechnics have been provided the same designations and qualifications similarly it is requested to grant the Pay Band of Rs 4800/ havig same designation and qualification while adopting the system of Education Department In this regard they request has been earlier also in 2011 and 2012	• The demand is not based on facts due to following o The designation is not same in ITI Department and Education Department it is Art Master in ITI department and it is TGT Art in Education Department o The qualification for the posts are also not similar o The Pay Band and Grade pay of Principal Art School Rohtak and Vice Principal ITI Group B is Rs 9300 34800+4200 The Art Master is subordinate to the Principal and as such Pay band higher to senior post i e Principal cannot be granted to Art Master o The matter of upgradation of Pay Scales of various posts in ITI Department has been examined earlier and the proposal was returned by FD on 20 10 2014 with the remarks that the proposal may be sent to Pay Anomaly Commission when the applications/ proposal will be invited by the Pay Anomaly Commission

The Committee orally examined the Departmental representatives and the petitioner in its various meetings held on 13 05 2015 29 07 2015 10 05 2016 12 07 2016 03 10 2016 25 10 2016 14 12 2016 and 17 01 2017 and also sought legal opinion from Advocate General Haryana which reas as under

LEGAL OPINION

Subject Petition submitted by Sh Rajinder Kumar and Sh Preet Singh both Art Master Govt Art School Rohtak

After going through the file it transpires that Sh Rajender Kumar and Sh Preet Singh were appointed as Drawing Master in ITI (Women Wing) A perusal of the file further show that the above said employees possesses qualification of degree in technology There was no rules framed at the time of their appointment however on the basis of draft rules appointments were made It transpires that the rules governing the service condition of Drawing Masters were notified in the year 1988 as per the above said rules a degree holder working on the post of Drawing Master were eligible for promotion to the post of Technician-cum Designer which is a class III Post as per the above said rules Technician cum Designer were further eligible for promotion to the post of Principal In the year 2001 1998 Rules were amended and as per the amended Rules there was no further channel for promotion from the post of Designer-cum Technician In view the above said amendment there was stagnation at the level of the post of Designer cum-Technician as a consequence of this Drawing Master were not considered for promotion to the post of Technician-cum Designer

That the perusal of the file further would show that there was restructuring done in ITIs in the State of Haryana After the restructuring the nomenclature of post of Drawing Master was changed to Art Master It is relevant to mention here that the pay of Art Master in Education Department was fixed in the pay band of Rs 4800/- however pay of Art Masters in ITI were fixed in the pay band of Rs 3600/ It is further relevant to state here that in fact the nature of duties and responsibilities performed by Art masters in Education Department and in Women Wing in ITI was similar That the perusal of the file would further show that in the year 2010 post of Art Master in ITI (Women Wing) was abolished and as a consequence of this Sh Rajender Kumar and Sh Preet Singh were adjusted in ITI i e Government Art School Rohtak It further transpires that the courses in Art School in Rohtak was stopped in the year 2005 and as a consequence of this the above said employees were appointed afresh on the post of Painter instructor in ITI It is further relevant to mention here that Sh Rajender Kumar was appointed at ITI Barala and Sh Preet Singh was appointed at ITI Panchkula It transpires that a perusal of the condition of appointment letter issued in favour of above said employees would show that above said appointment was fresh and previous service rendered by above said employees in ITI (Woman Wing) was not to be taken into consideration for any

purpose except protection of their pay The above said appellant filed a representation to the Committee of the Haryana Vidhan Sabha A copy of the petition is already attached in the file A perusal of the petition filed by the above said employees would show that case has been set up by the above said employees is that in fact their fresh appointments are totally arbitrary and unreasonable Apart from this it is also the case of above said employees that they should be granted same pay band which are given to the similar situated persons working on the same post in the Education Department

That the above said representation was duly considered by the Committee and it is being observed by the Committee that the opinion should be sought from the Ld Advocate General Haryana The above said Committee has marked the file to the undersigned for rendering opinion in regard to the petition filed by Sh Rajender Kumar and Sh Preet Singh

Now the file has been sent to undersigned for opinion as sought by the Committee In regard to the opinion as sought by the Committee is concerned a perusal of the facts mentioned above would show that in fact Sh Rajender Kumar and Preet Singh were appointed a Drawing Master in the year 1988 inspite of the fact the above said employees have approximately rendered service of almost more than three decades they are not to be even considered for promotion till date A perusal of the above said facts would show that in fact above said employees has suffered a lot It is relevant to mention here that the employee who joins the service in the Government always has an expectation of getting at least one promotion in his/her service career In fact the above said employees have been offered fresh appointment in the month of July 2015 on the post of Painter Instructor As fresh appointment has been offered to the above said employees the previous service rendered by the above said employees is not to be taken into consideration for any purpose except protection of pay meaning thereby that the seniority of the above said employees has to be reckoned from the date of appointment on the post of Painter Instructor w e f 7th July 2015 As the seniority has to be fixed w e f July 2015 the above said employees are the junior most employees in the cadre of Painter Instructor and cannot be considered for further promotion for the simple reason that in fact there are many Painter Instructor who are senior to above said employees Apart from this the above said employees are also going to be retired in the year 2019 2020 A perusal of the above said facts would show that inspite of fact that the above said employees have almost 26 years of service in their credit yet they are now junior most in the cadre of Painter Instructor Painter Instructors who have some years of service are now senior to the above said employees in the cadre of Painter Instructor

Taking into consideration the above said facts the action of department in appointing the above said employees a fresh on the post of Painter Instructor in ITI is totally unreasonable and arbitrary and also violate article 14 and 16 of the Constitution of India In my view department should make endeavour by way of necessary modifications/amendment in the letter of appointment/rules in the case of above said employees so that the previous service rendered by the above said

employees may be taken into consideration for the purpose of seniority so that the above said employees may have a chance to be considered for promotion and are also entitled for other benefits

Sd/-

PARVINDER CHAUHAN
Addl Advocate General Haryana

During the course of oral examination the Committee received various applications/representations from the petitioners and their counter reply from the Department Department has resolved various grievances of the Petitioner A reply received from the Principal Secretary to Govt Haryana Industrial Training Department Haryana vide their letter No KC/TI/Rajender & Preet Singh/Admn II/ 1438 dated 15 09 2015 which reads under —

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
औधोगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा।

सेवा मे

चेयरमैन विधान सभा
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा सचिवालय।

यादी क्र० केसी/टीई/राजेन्द्र व प्रीत सिह/प्रशा–II/1438
दिनाक 15/9/15

विषय— Meeting of the Committee on Petitions

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र यादि क्रमाक HVS/Petitions/2/2015-16/11304 13 दिनाक 22 7 2015 व इस निदेशालय के यादि क्रमाक केसी/टीई/राजेन्द्र व प्रीत सिह/प्रशासन–II/1352 दिनाक 21 8 2015 के सदर्भ मे।

सूचित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह कला अध्यापक राजकीय कला स्कूल रोहतक अब पेन्टर अनुदेशक द्वारा चेयरमैन पैटीशन कमेटी विधानसभा हरियाणा को दी गई पैटीशन बारे इन दोनो कर्मचारियो का दिनाक 25 8 2015 को प्रधान सचिव महोदय द्वारा निजी रूप से सुना गया। निजी सुनवाई के दौरान उन्होने बताया कि वह टैक्नीकल मे आते है क्योकि उनकी डिग्री मे इजिनियरिंग के विषय भी होते है। उनकी डिग्री टैक्नीकल और नान टैक्नीकल दोनो जगह

काम करती है जबकि इजिनियरिंग की डिग्री केवल एक जगह ही काम करती है। उनकी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का नियमो मे प्रावधान था जो बाद मे बदल दिया गया। 27 वर्ष की सेवा मे उनकी केवल एक मास की वरिष्ठता है और उनके पढाए विधार्थी उनसे वरिष्ठ हो गये बताते हुए अन्त मे कहा कि उन द्वारा जो पैटीशन की हुई है उस पर कार्यवाही करते हुए प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करने का अनुरोध किया। प्रधान सचिव महोदय द्वारा इन दोनो कर्मचारियो व विभाग दोनो का पक्ष सुनने उपरान्त उन द्वारा अपनी पैटीशन व निजी सुनवाई के दौरान उठाए गए बिन्दुओ बारे केस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त बिन्दुबार सूचना निम्न प्रकार से है—

1 श्री राजेन्द्र कुमार व प्रीत सिह के वर्तमान वेतन बारे।

श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह के पद का वेतनमान 9300—34800+3600 ग्रेड पे है और इन्हे दिनाक 11 06 2015 के आदेशो से दिनाक 01 01 2015 से त तीय ए0सी0पी0 वेतन बैण्ड 9300—34800+4200 ग्रेड पे दे दिया गया है (प्रति सलग्न)

2 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह को ग्रेड पे 4800 देने बारे।

इस विभाग के सभी अनुदेशको का वेतन बेण्ड 9300—34800+3600 ग्रेड पे है और विभाग द्वारा आर्ट मास्टरो सहित सभी अनुदेशक जिनका वेतनमान 9300—34800+3600 ग्रेड पे है उन सभी पदो का वेतनमान निम्न प्रकार से बढाने हेतु मामला पे अनोमली कमेटी को यादि क्रमाक टीपी/4/पे अनोमली/प्रतिवेदन/928 दिनाक 11 04 2015 (प्रति सलग्न)। द्वारा भेजा हुआ है—

Entry Level PB II 9300 34800+4600 G P

ACP after 5 years GP Rs 4800

After 11 years Rs 5400

After 17 years Rs 6000

Fixed Workshop Allowance per month 2000/-

3 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह की पद सज्ञा पेन्टर अनुदेशक की बजाये पेन्टर बारे।

इन कर्मचारियो की पदसज्ञा पेन्टर न होकर पेन्टर अनुदेशक है और समायोजन आदेशो मे टाईपिग चूक से पेन्टर अक्ति हो गया था जो पेन्टर अनुदेशक अकित करते हुए दिनाक 03 07 2015 को सशोधित आदेश जारी कर दिये गये है (प्रति सलग्न)

4 श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह को प्रधानाचार्य वर्ग 'क के पद पर पदोन्नत करने बारे।

श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह ने क्रमश दिनाक 13 01 1988 व दिनाक 14 01 1988 को तदर्थ आधार कला अध्यापक के पद पर कार्यग्रहण किया था और इन्हे मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी नीति अनुसार दिनाक 01 01 1991 से वेतनमान 1400—2600 मे नियमित किया गया था। इनकी नियुक्ति महिला विग काडर मे थी और हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण एव व्यवसायिक शिक्षा विभाग क्षेत्रीय कार्यालय ग्रुप 'ग सेवानियम 1998 दि ाक 12 2 1998 को अधिसूचित हुये थे जिनमे महिला विग काडर के ड्राईंग मास्टर का पदोन्नति का चैनल निम्न प्रकार से था—

(क) प्रधानाचार्य की दशा मे– प्रधानाचार्य का यह पद वर्ग ग दिनाक 1 1 2006 से वेतनबैण्ड 9300–34800+3600 ग्रेड पे था जिसे दिनाक 12 12 2011 को वेतनबैण्ड 9300–34800+4200 ग्रेड पे मे अपग्रेड किया गया है)

(i) 75 प्रतिशत मुख्याध्यापिका तकनीकी अध्यापिका शिल्प अनुदेशिका तकनीशियन एव डिजाईनर मे से पदोन्नति द्वारा और

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या

(iii) किसी राज्य रकार या भारत सरकार की सेवा मे पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ख) तकनीशियन एव डिजाईनर की दशा मे–

(i) ड्राईंग मास्टर मे से पदोन्नाति द्वारा या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा मे पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) ड्राईंग मास्टर कनिष्ठ अध्यापिका (कटाई सिलाई कढाई तथा सूई का कार्य ड्रैस मेकिग निटिग विद मशीन तथा हेयर एण्ड स्कीन केयर) की दशा मे–

(i) सीधी भर्ती द्वारा या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा मे पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

सरकार द्वारा इन नियमो मे 28 02 2003 को सशोधन करते हुए प्रधानाचार्य वर्ग 'ग के पद पर पदोन्नत होने वाले पदो मे से तकनीशियन कम डिजाईनर शब्द को हआ दिया गया (प्रति सलग्न) लेकिन ड्राईंग मासटर के पद से तकनीशियन कम डिजाईनर के पद पर पदोन्नति का प्रावधान था (प्रति सलग्न) और इन नियमानुसार ड्राईंग मास्टरो की तकनीशियन कम डिजाईनर के पद पर पदोन्नतिया होती रही लेकिन दिनाक 2 9 2009 को जारी स्थाई वरिष्ठता सूची (प्रति सलग्न) अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह की तकनीशियन कम डिजाईनर के पद पर पदोन्नति हेतु बारी नही आई और यदि उस समय वरिष्ठता अनुसार इनकी पदोन्नति के लिए बारी आती तो इन्हे तकनीशियन कम डिजाईनर के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता। इन कर्मचारियो के मूल आई टी आई महिला विग काडर मे प्रधानाचार्य का पद वर्ग 'ग का है और उस काडर मे प्रधानाचार्य वर्ग 'क का कोई पद स्वीकत नही है। कला अध्यापको के पद सम्बन्धित सस्थानो मे समाप्त होने के कारण इन कला अध्यापको को राजकीय कला स्कूल रोहतक मे कला अध्यापको के रिक्त पदो के प्रति दिनाक 28 9 2010 को समायोजित कर दिया गया लेकिन रा कला स्कूल रोहतक भी बन्द कर दिए जाने के कारण इन कर्मचारियो को आई टी आई काडर मे दिनाक 3 7 2015 को पेटर अनुदेशक के पद के प्रति समायोजत कर दिया गया है।

जहा तक नियमो मे सशोधन का मामला है तो सरकार विभाग की आवश्यकता अनुसार किसी भी विभागीय अधिसूचित सेवानियमो मे कैबिनेट से अनुमोदन उपरान्त सशोधन कर सकती है और इस विभाग द्वारा वर्ष 2003 मे सशोधन करके प्रधानाचार्य वर्ग 'ग का पद जिन पदो मे से पदोननति द्वारा

भरे जाने का प्रावधान था उन पदो मे से तकनीशियन कम डिजाईनर का पद हटाया गया है। इन नियमो के अधिसूचित होने से पूर्व जो कर्मचारी प्रधानाचार्य वर्ग 'ग के पद पर पदोन्नत हो चुके थे उनकी सेवाओ पर इन नियमो का कोई प्रभाव नही पडा जबकि श्री राजेन्द्र कुमार व श्री प्रीत सिह का पद कला अध्यापक का था और उनकी पदोन्नति का अगला पद तकनीशियन कम डिजाईनर का था जिनमे कोई सशोधन नही किया गया। से कर्मचारी अब आई टी आई काडर मे पेटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत है और इस काडर के कर्मचारियो के लिए पदोन्नति हेतु नियमो मे प्रावधान किया हुआ है।

विभाग/सरकार इन कर्मचारियो का विभागीय अधिसूचित सेवानियमो व सरकार की हिदायतो के अन्तर्गत जो लाभ दे सकती थी वह लाभ दे दिए गए है। इन कर्मचारियो को अपने काडर मे फालतू होने के कारण इनकी सेवाए बचाने के लिए दूसरे काडर मे समायोजित किया गया है। अत ऐसी स्थिति मे यह विभाग/सरकार इन कर्मचारियो को इस समय किसी भी पद पर पदोन्नत करने अथवा इन्हे पदोन्नत करने के लिए नियमो मे कोई भी प्रावधान करवाने मे असमर्थ है।

Sd/

सलग्न उपरोक्त अनुसार

अधीक्षक (औद्यो० प्रशि०)
कते प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

The Committee again orally examined the departmental representatives and the petitioner in its meeting held on 22 08 2017 in which departmental representatives informed the Committee that maximum benefits were given to the petitioner which petitioners are entitled and requested the Committee to dispose the petition

The Committee considered the department request and recommend the department to withdraw the charge sheet issued to petitioner and consider petitioners grievances sympatatically and Committee disposed of the petition accordingly

---

3 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI ROOP CHAND VERMA, H NO 638, SECTOR 17, HUDA, JAGADHARI, REGARDING RELEASING OF PAY FROM SEPTEMBER 2014 TO 29TH JULY, 2015 OF HIS DAUGHTER IN LAW

The Petition/Representation received from Room Chand Verma read as under -

To

The Chairmain
Petitions Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub - The on road period pay of my daughter in law Ritika Nirmal Lecturer Pol Sc G.S S S Sohana Distt Gurgaon from Sep 2014 to July 2015

R/Sir

It is requested that the Director Secondary Education office is harassing my family by not releasing the salary of my daughter in law Ritika Nirmal Lecturer Pol Sc G S S S Sohana Distt Gurgaon EID 94809 for the last about two years She filed her request Ref No 1736 Dt 3 8 2015 to the director Copy enclosed as P C Thereafter I approached every hook and corner for getting This work done but of no use I do not remember last how may times to visted the office of DSE and met director and Additional Director-HRC and all of no use

After about one year on dt 1 8 2016 I requested the Hon ble CM all through CM Window vide Grevience No 2016/055104 Copy enclosed P-2 wrote another reminder to CM Window on dt 27-9-16 Vide Grievence No 2016/77486 Copy P 3 but of no use Lasfly it was decided by the Commissioner last such cases are not dealt on CM Window The Decision of the Commissioner was so painful that can t be described because if not through CM Window my complaint should have delt n routine manner because the complaint was with The Commissioner

Then again on dt 25/11/2016 I wrote a registered letter to Hon ble CM and Secretary Education Haryana to release this salary copy of concern receipt P-4

Since here I have visiting DSE office about every fortnight and visited The Commissioner office twice but of no use Moreover it is shocking that the pay file was returned by the Director six times by levelling different objections everytime The objections levelled by director proves that the office is not seen by rules but deny by will of director

The most painful was the second week of April 2017 when the Additional Director misbehaved with me when I visited his office to know the status of this file I could not understand how the DSE office is working and what they aspect from public by not solving their problems

Therefore it is requested that a through enquiry the ordered into the laps of posting order of my dauther-in-law from 21 8-2014 to 27 7-2015 Which caused a on road period of 11 month and thereafter the non payment of salary of these 11 months form sept 2014 to july 2015 during the last about two year

Lastly I applied for an information of on road lecturer under RTI on 01 08 2016 but the DSE office has not supplied this information in spile of clear orders of its apleate authority and the information Commissoner Haryana copies enclosed on P-6 and P 7

This all show the problems faced by the general public in dealing with this office so you are requested to get the salary of my daughter in law released at the earliest

I shall be highly thankful to you

Dt 02 05 2017 -

Your Sincerley
Sd/
Roop Chand Verma
H no 638 Sector-17
HUDA JAGADHARI

The Petition/representation was placed before the Committee in its meeting held on 09 05 2017 the Committee considered the same and desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days The representation was sent to the concerned department on 16 05 2017 As no reply was received within the stipulated period from the Department The Committee called the Additional Chief Secretary to Govt Haryana Education Department Director School Education Department Haryana and the Petitioner in its meeting held on 08 08 2017 and 02 01 2018 in which Additional chief Secretary to Govt Haryana Education Department has brought in the notice of the Committee that due to non given of posting to the dauther-in law of the petitioner she was on road for 11 months due to this she has not given salary of 11 months and power to condone the waiting period is with Finance Department In addition to it he has also informed the Committee that he will fix accountability and a disciplinary action also be taken against the officials who sent the wrong proposal of the daughter in law of the petitioner Thereafter Committee received the order dated 01 01 2018 which reads as under -

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Order

The 1st January 2018

Order No 2/365 2014 PGT II(1) —The on road period of Smt Ritika Nirmal(094809) PGT Political Science Govt Sr Secondary School Sohna (Gurugram) from 10 09 2014 to 25 07 2015 is hereby treated as duty period spent for all intents and purposes as provided under Rule 82 Chapter-VI Part-I of Haryana Civil Services Rules 2016

K K KHENDELWAL
Additional Chief Secretary to Govt of Haryana
School Education Department Chandigarh

As the grievances of the petitioner has been settled Hence the petition is disposed off in its meeting held on 23 2 18

4 **PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI SHAMSHER SINGH S/O SH HARNAM SINGH R/O VILL KAMRI, TEHSIL & DISTT HISAR REGARDING ENQUIRY OF POWER ATTORNEY**

The Petition/Representation received from Shri Shamsher Singh reads as under

सेवा मे

चेयरमैन

पटीशन कमेटी हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ।

विषय फर्जी पावर ऑफ अटोर्नी की जाच करवाने बारे।

श्रीमान् जी

प्रार्थी निम्नलिखित अर्ज करता है—

1 प्रार्थी गाव कैमरी तहसील व जिला हिसार का स्थाई निवासी है।

2 प्रार्थी की गाव बिलासपुर जिला गुडगाव तहसील मानेसर मे लगभग 21 कनाल जमीन है जो प्रार्थी के नाम है।

3 यह कि दोषी कष्ण लाल पुत्र श्री देवी लाल हाल निवासी मकान न0 215 सैक्टर—14 गुडगाव हरियाणा जोकि वर्तमान मे जिला भिवानी बतौर चकबन्दी अधिकारी के पदइ पर कार्यरत है।

4 यह कि उक्त दोषी ने तहसील बेरी जिला झज्जर मे बतौर तहसीलदार के पद पर रहते हुए प्रार्थी की उक्त जमीन का वर्ष 2003 मे फर्जी मुखत्यारनामा अपने नाम बनाकर जोकि स्वय द्वारा हस्ताक्षरित है।

5 यह कि वर्ष 2008 मे उक्त जमीन की दो बार रजिस्टरी उपरोक्त मुखत्यारनामा के आधार पर Athuk Hotel PVT LTD के नाम करवाई गई उक्त फर्म जिसका मालिक दोषी कष्ण लाल का पुत्र विकास है।

6 यह कि उक्त दोषी द्वारा धोखाधड़ी करने बाबत चौकी बेरी मे दो बार दरखास्त दी गई लेकिन फिर भी दोषी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई। दरखास्त का न0 30—एसडी/22—7—2014 है।

7 यह कि प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झज्जर को भी उक्त मामले बारे दरखास्त लिखी जिसमे पुलिस अधीक्षक महोदय Economic Cell को जाच के लिए दरखास्त न0 1311 दिनाक 06/08/2014 के तहत भेजी गई जिस पर भी कोई कार्यवाही ना हुई। जाच के लिए ईकोनोमिक सैल अधिकारी ने दिनाक 21 10 2014 को प्रर्थी के हस्ताक्षर मिलान बारे हस्ताक्षर लिए जो मधुबन मे रिपोर्ट के लिए भेजे गए लेकिन आजतक उक्त हस्ताक्षर की रिपोर्ट भी नही आई।

8 यह कि एक दरखास्त पुलिस महानिरीक्ष महोदय रोहतक को भी लिखी जिस पर कार्यवाही करते हुए डीएसपी धीरज कुमार ने प्रार्थी के ब्यान लिये और प्रार्थी की दरखास्त खारिज कर दी और प्रार्थी के हस्ताक्षर मिलान भी नही करवाए।

9 यह है कि प्रार्थी ने जिला स्तर के अधिकारियो द्वारा उक्त मामले मे कोई कार्यवाही ना करने के बाद माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को दिनाक 30/12/2014 को उक्त मामले की जाच डीएसपी धीरज कुमार द्वारा ब्यान लेकर दरखास्त को खारिज करने व प्रार्थी के हस्ताक्षर का मिलान न करने बाबत एक दरखास्त लिखी जिसका नम्बर CMOFF/N/2014/02671 है जिस पर प्रार्थी ने दोषीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का इन्तजार था लेकिन प्रार्थी की उक्त दरखास्त का कोई जवाब नही मिला।

10 यह है कि प्रार्थी ने दिनाक 02/03/2015 को दोबारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को एक दरखास्त उक्त मामले बारे लिखी जिसका नम्बर CMOFF/N/2015/27856 है जिसमे प्रर्थी की दरखास्त पर कार्यवही करते हुए उपायुक्त झज्जर ने प्रार्थी की दरखास्त तहसीलदार झज्जर को भेजी तहसीलदार ने उक्त दरखास्त की कार्यवाही करते हुए लिखा कि प्रार्थी की दरखास्त का बिन्दू 3 से 10 तक अवलोकन कर लिया है। प्रार्थी को हिदायत दी कि यह उचित होगा कि तहसीलदार के विरूद्ध यदि कोई मामला दर्ज व जाच पडताल करवाना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय व सम्बन्धित विभाग मे चारा जोई करे।

11 यह है कि प्रार्थी ने दोबारा दिनाक 16/03/2016 को एक दरखास्त श्रीनान उपायुक्त महोदय जिला झज्जर के नाम उक्त मामले बारे लिखी जिस पर उपायुक्त महोदय ने मामले की जाच दोबारा करने बारे उपमण्डल अधिकारी (ना0) बेरी को भेजी। उपमण्डल अधिकारी (ना0) बेरी ने प्रार्थी के हस्ताक्षर मिलान के लिए हस्ताक्षर लिए व सम्बन्धित व्यक्तियो (तहसीलदार नायाब तहसीलदार दो गवाह व वसीका नवीस) के ब्यान लिये । उपमण्डल अधिकार (ना0) सजय राय बेरी द्वारा प्रार्थी के हस्ताक्षर मिलान के लिए फोरैन्सिक लैब मधुबन मे केवल फोटोकापी भेजी जबकि लैब अधिकारी असल हस्ताक्षर की माग करते है।

12 यह है कि फोरैन्सिक लैब मधुबन अधिकारीगणो ने उपमण्डल अधिकारी (ना0) बेरी को पत्र लिखकर प्रार्थी की जमीन का जो मुख्त्यारनामा बनाया गया था उसकी असल कापी व प्रार्थी के हस्ताक्षरो की असल कापी की माग की गई थी लेकिन उपमण्डल अधिकारी (ना0) बेरी ने दोषी कृष्ण लाल के बचाव के लिए उससे साजबाज होकर तथा मामले को रफादफा करने के लिए केवल उक्त मुख्त्यारनामा व हस्ताक्षरो की छायाप्रति ही भेजी जबकि असल दस्तावेज भेजे जाने चाहिए थे जिससे की दोषी की असलियत सामने आ जाती व दोषी द्वारा की गई धोखाधडी का पर्दाफाश हो सकता था।

13 यह है कि प्रार्थी को अपनी दरखास्त पर कोई कार्यवाही होती नजर नही आ रही थी। इसलिए प्रार्थी ने दिनाक 06/05/2016 को पुलिस अधीक्षक झज्जर व उपायुक्त महोदय झज्जर को दोबारा मामले की जाच बारे लिखी जिसमे पुलिस अधीक्षक महोदय ने Economic Cell को दोबार जाच के लिए भेजा और उपायुक्त महोदय झज्जर ने उपमण्डल (ना0) बेरी को दोबारा जाच के लिए भेजा जो कि यह कार्यवाही इन्ही अधिकारियो द्वारा पूर्व मे हो चुकी है लेकिन कोई निष्कर्ष नही निकला।

14 यह है कि दोषी कष्ण लाल जो कि प्रशासनिक अधिकारी है और उच्च प्रभाव वाला है जिससे कार्यवाही मे जिला स्तर के अधिकारी दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने मे आनकानी कर रहे है और दोषी का बचाव कर रहे है।

अत आप मान्यवर से दरखास्त देकर गुजारिश है कि दोषी के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कानूनी कार्यवाही करे दोषी द्वारा पद का दुरूपयोग करने वा प्रर्थी की जमीन को धोखधडी से हडपने बाबत मुकदमा दर्ज करके दोषी को पदच्युत किया जावे और प्रार्थी की जमीन वापिस दिलवाई जावे।

प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

दिनाक 9-5-2017

प्रार्थी

Sd/

शमशेर सिह पुत्र श्री हरनाम सिह

निवासी गाव कैमरी तहसील व जिला हिसार।

The Petition/representation was placed before the Committee in its meeting held on 16 05 2017 the Committee considered the same and desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days The representation was sent to the concerned department on 24 05 2017 The Deputy Commissioner Haryana has sent their reply along with the enquiry report vide their letter No 1936/E B dated 07 08 2017 which reads as under -

प्रेषक

उपायुक्त झज्जर।

प्रेषित

सचिव

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

चण्डीगढ।

क्रमाक 1936/E B दिनाक 7-8-2017

विषय-- Regarding enquiry of Power attorney

डपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक HVS/Petition/532/17-18/11122 दिनाक 24/05/2017 के सन्दर्भ मे।

सदर्भित मामले की जाच उपमण्डल अधिकारी(ना0) बेरी से करवाई गई। जाच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाच रिपोर्ट अनुसार फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल द्वारा मुखत्यार नामा आम न 4/50 दिनाक 18/02/2003 पर श्री शमशेर सिह पुत्र श्री हरनाम सिह निवासी 388-ए/2डी एल एफ गुडगाव किए गए हस्ताक्षरो व उस द्वारा दिए गए हस्ताक्षर नमूनो का मिलान करवाने पर उक्त हस्ताक्षरो का मिलान नही हुआ है। तत्कालीन तहसीलदार बेरी श्री कष्ण लाल जिसके हक मे मुखत्यार नामा दिया गया है तथा मुखत्यार

नामा आम पजिकत करने वाले श्री रोशन लाल नायब तहसीलदार बेरी तत्कालीन हाल तहसीलदार (सेवा निवृत) द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।
अत जाच रिपोर्ट की छाया प्रति अनुलग्नको की छाया प्रति सहित जाच रिपोर्ट से सहमत होते हुए आपकी सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलग्न— उपरोक्त

(हस्ता०)
कते उपायुक्त झज्जर।

प्रेषक

उपमण्डल अधिकारी (ना0)
बेरी।

प्रेषित

उपायुक्त महोदय झज्जर।
क्रमाक 533/रीडर दिनाक 4—8—2017

विषय— For including the enquiry against Krishan Lal and others pending with SDO (C) Jhajjar

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमाक 1951/ई0बी0 दिनाक 02 06 2016 तथा स्मरण पत्र क्रमाक 177/एच0आर0सी0 दिनाक 24 05 2017 के सदर्भ मे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी ने इस कार्यालय मे तिथि 06 10 2016 को कार्यग्रहण किया था। विषयाधीन जाच बारे अधोहस्ताक्षरी ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए आपके स्मरण पत्र दिनाक 24 05 2017 से पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 83/रीडर दिनाक 25 04 2017 द्वारा आपसे मूल जी0पी0ए0 क्रमाक 50 दिनाक 18 02.2003 बारे अनूरोध किया था कि यह मूल प्रति आपके कार्यालय की एच0आर0ए0 शाखा मे दाखिल हो चुकी है। इस मूल प्रति को भेजने के आदेश पारित करने का कष्ट करे। इसके पश्चात इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 199/स्टैनो दिनाक 13 06 2017 द्वारा पुन: अनूरोध किया गया था शिकमूल जी0पी0ए0 क्रमाक 50 दिनाक 18 02 2003 को डायरेक्टर फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल को जाच हेतू भेजी जानी है। इसलिए इस जी0पी0ए0 से सम्बन्धित मूल बही डायरेक्टर फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल से पावती लेकर मूल बही सम्बन्धित विभाग मे रखने का कष्ट करे। आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक 252/एच0आर0ए0 दिनाक 16 06 2017 द्वारा लिखा गया है कि रजिस्ट्रैशन एक्ट मे कही भी रिकार्ड को किसी जाच एजेन्सी मे जमा कराने का प्रवाधान नही है। अत हिदायत की जाती है कि रिकार्ड को जमा किए बिना आवश्यकतानुसार जाच एजेन्सी को प्रस्तुत करे व साथ ही कर्मचारी को हिदायत की जाती है कि वह अपनी हाजिरी मे रिकार्ड की जाच करवाये तथा रिकार्ड वापिस लाकर सम्बन्धित कार्यालय मे जमा करे ताकि रिकार्ड के साथ छेडखानी ना हो सके। उपरोक्त पत्र की पालना मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 342/रीडर दिनाक 04 07 2017 द्वारा श्री सजय

कुमार लिपिक तहसील कार्यालय बेरी को हिदायत की गई कि वह आपके कार्यालय से असल जिल्द प्राप्त करके अपनी हाजिरी मे रिकार्ड की जाच करने उपरान्त असल जिल्द को वापिस लाकर आपके कार्यालय मे जमा करवायेगा। सम्बन्धित लिपिक द्वारा यह असल जिल्द आपके कार्यालय से प्राप्त करके डायरेक्टर फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल के कार्यालय मे जाच उपरान्त वापिस प्राप्त करके पुन आपके कार्यालय मे जमा करवा दी थी। इसके पश्चात इस कार्यालय द्वारा यह जाच रिपोर्ट डायरेक्टर फारेसिक साईंस लाईब्रेरी मधुबन करनाल के कार्यालय से दस्ती लाने बारे लिखा गया। वाछित रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्राप्त हो चुकी है।

यहा यह स्पष्ट करना अति अनिवार्य है कि यह जाच इस कार्यालय मे पहले से लम्बित थी। जिसमे पहले ही सम्बन्धित अधिकारियो एव गवाहो के ब्यान कलमबद्ध किए जा चुके थे। लेकिन दिनाक 19 02 2016 को कार्यालय मे आगजनी के कारण यह असल जाच फाईल नष्ट हो गई थी। पूर्व मे कलमबद्ध किए गए ब्यानात जिनकी सत्यापित प्रति की फोटोप्रति जाच फाईल मे उपलब्ध है। उनके मूलाबिक श्री रविन्द्र प्रकाश शर्मा वसिका नवीश बेरी ने तिथि 22 06 2015 को ब्यान कलमबद्ध करवाए थे उसने ब्यानो मे कहा कि एक मुख्तयारनामा आम दिनाक 18 02 2003 को शमशेर सिह पुत्र हरनाम सिह निवासी 388–ए/2 डी0एल0एफ0 गुडगाव श्री कृष्ण लाल पुत्र देवीलाल निवासी 215/14 गुडगाव के हक मे दिया था जो कि मेरे रजिस्टर के क्रमाक 82 दिनाक 18 02 2003 को दर्ज है। जिस पर शमशेर सिह निश्पादक के हस्ताक्षर है इसकी पुष्टि लम्बरदार ब्रजलाल बेरी व ग्वाह जीत सिह पुत्र अमर सिह ने की थी। यह दस्तावेज मैने ड्राफट किया था। मै शमशेर सिह निश्पादक को जाति तौर पर नही जाता है। जिनके हक मे मुख्यतारनामा किया था वो श्री कृष्ण लाल तहसीलदार बेरी कार्यरत थे।

श्री जीत सिह पुत्र श्री अमर सिह पाना हिन्दयान बेरी गवाह ने अपने ब्यानो मे कहा कि जो मुख्तयारनामा आम वसिका नवीस ने रजिस्टर पेश किया है देख लिया है। उस पर बैतोर मेरे हस्ताक्षर है। मै शमशेर सिह जाति तौर पर नही जानता। श्री कृष्ण लाल उस समय यानि 2003 मे बैतोर तहसीलदार बेरी कार्यरत थे। उन्होने मुझ से कहा था कि शमशेर मेरा चचेरा भाई है। यह जी0पी0ए0 उसने मेरे नाम किया है। आप इस पर बैतोर गवाह अपने साईन कर दो। मैन उनके कहने से अपने हस्ताक्षर कर दिए थे।

श्री रोशन लाल तत्कालिन नायब तहसीलदार बेरी हाल रिटायर्ड तहसीलदार ने अपने ब्यानो मे कहा कि मै वर्ष 2003 बैतोर नायब तहसीलदार बेरी लगा हुआ था। उस समय श्री कृष्ण लाल तहसीलदार बेरी लगे हुए थे। दिनाक 18 02 2003 को मुख्तयारनामा न0 4/50 शमशेर सिह पुत्र हरनाम सिह ने श्री कृष्ण लाल तहसीलदार बेरी के हक मे पजीकृत करवाया था। शमशेर सिह तहसीलदार कष्ण लाल की बुहा के लडके है जिसकी शनाख्त ब्रजलाल नम्बरदार बेरी व जीत सिह पुत्र अमर सिह निवासी बेरी ने की थी। सभी मेरे सम्मुख पेश हुए थे और कृष्ण लाल ने शमशेर सिह के फोटो उक्त मुख्तयारनाम पर लगे हुए थे तथा सभी फरीकैन व गवाहो ने मेरे सामने हस्ताक्षर/अगुठा किए थे।

श्री कृष्ण लाल तहसीलदार बेरी ने हाल बदोबस्त अधिकारी भिवानी निवासी मकान न0 215 सैक्टर–14 गुडगाव ने अपने ब्यानो मे कहा कि दिनाक 18 03 2003 को मै तहसीलदार बेरी लगा हुआ था। उस समय श्री शमशेर सिह पुत्र हरनाम सिह कौम बिशनोई निवासी 388–आर0/2 डी0एल0एफ0 गुडगाव जो कि मेरी सगी बुहा का लडका है जिसको मै जाति तौर पर जानता हु। उसके

नाम लगभग 21 कनाल रकबा बिलासपुर जिला गुडगाव मे था जिन्होने स्वय दिनाक 18 03 2003 को तहसील बेरी मे आकर उपरोक्त जमीन का मुख्तयारनामा पजिकत मेरे नाम करवाया था जिसकी सनाखत ब्रजलाल नम्बरदार बेरी व जीत पुत्र अपरसिह बेरी ने की थी और सभी ने सब रजिस्ट्रार के सम्मुख हस्ताक्षर/अगुठे किए थे। यह मुख्तयारनामा श्री आर0पी0 शर्मा वसिका नवीस बेरी के रजिस्टर मे क्रमाक 82 पर दर्ज है। यह मुख्तयारनामा नियमानुसार पजिकृत किया था। मैने इस मुख्तयारनामे के द्वारा वसिका न0 9899 दिनाक 17 07 2008 व वसिका न0 11409 दिनाक 06 08 2008 को विकास बिशनोई के नाम पर पजीकत करवाई। सब रजिस्ट्रार गुडगाव के कार्यालय मे हुई। यदि मुझे इस बाबत कोई धोखाधडी या जालसाजी करनी तो मै लगभग 5 वर्ष तक इन्तजार नही करता। यह कार्यवाही तुरन्त की जा सकती थी। उपरोक्त रकबा बिलासपुर जिला गुडगाव मे लगभग इतना रकबा मेरे सगे भाई राजकुमार के नाम था जिसमे उसकी रजिस्ट्री एथेनिक होटल प्राईवेट लिमिटेड के नाम वसिका न0 12474 दिनाक 20 08 2008 व वसिका न0 9580 दिनाक 16 08 2008 को पजिकृत करवा दी गई थी। इसमे मेरे पुत्र विकास बिशनोई के नाम पर जो इस कम्पनी मे डायरेक्टर थे समय–समय पर झूठी दरखास्ते देकर परेशन करता रहा था। जो जाच के बाद सभी खारिज हो चुकी है। जिसकी प्रति पेश कर रहा हु। प्रार्थी ने अपनी दरखास्त मे जो भिन्न–भिन्न दरखास्तो को हवाला दिया है उन सभी की जाच हो चुकी है। शमशेर ने जो दरखास्त 19 06 2014 को बेरी थाने मे दी थी जिसकी जाच 14 08 2014 को हो चुकी है। दूसरी दरखास्त 06 08 2014 को एस0पी0 झज्जर को दी इसकी जाच इचार्ज इक्नोमिक्स सैल द्वारा 06 11 2014 को की जा चुकी है। एक दरखास्त दिनाक 15 09 2014 को आई0जी0 महोदय रोहतक को दी जिसकी जाच एस0पी0 झज्जर दिनाक 12 12 2014 को की जा चुकी है। उपरोक्त तीनो जाचो मे शमशेर सिह शामिल हुआ था और उसने अपने ब्यान भी कलमबद्ध बरवाए थे। तीनो जाचो की छायाप्रति प्रस्तुत करता हु। शमशेर सिह ने इसी जमीन से सम्बन्धित 17 11 1998 को एक अन्य मुख्तयारनामा भी पजिकत करवाया था। जहा तक प्रार्थी को धमकी देने की बात है। मैने कोई धमकी नही दी और ना ही कोई अन्य कार्यवाही की है। यह आरोप सरासर झूठ है। पारिवारिक मतभेद होने के कारण लगभग 13 वर्ष बाद मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बार–बार झूठी दरखास्ते देकर परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जाच मे यह कहा है कि यह जमीन मेरे पिता जी ने खरीद की हुई थी। वह बाद मे मेरे नाम की जो की सरासर गलत है। यह जमीन शुरू स ही शमशेर सिह के नाम आई हुई है। अलग–अलग जाच मे भिन्न ब्यान देने से प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता सरासर झूठ बोल रहा है। अत शिकायतकर्ता की दरखास्त को दाखिल दफतर किए जाने को अनूरोध किया जाता है।

नस्ती पर आए कागजात एव ब्यानात का अवलोकन करने से पाया जाता है कि तिथि 18 02 2003 को श्री कृष्ण लाल बैतोर तहसीलदार बेरी तथा श्री रोशनलाल बैतोर नायब तहसीलदार बेरी कार्यरत थे। राज्य जन स्चना अधिकारी एव राजस्व अधिकारी झज्जर के पत्र क्रमाक 418/एच0आर0ए0 दिनाक 19 07 2017 से इस् तथ्य से भी पुष्टि होती है कि तिथि 18 02.2003 को तहसील बेरी मे सात दस्तावेज पजीकृत हुए थे। जिसमे से 6 इस्तावेज कम्प्यूटराईज हुए था तथा एक दस्तावेज मैनुवल पजीकत किया गया है। दिनाक 18 02 2003 को मैनूवल करने के सम्बन्ध स्वीकति प्रदान करने की बाबत सप्रेषण रजिस्टर का दिनाक 18 02 2003 से पूर्व का अवलोकन किया गया परन्तु सप्रेषण रजिस्टर मे मैनुवल पजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत कुछ नही पाया जाता है। श्री जीत सिह गवाह ने भी अपने ब्यान मे स्पष्ट तौर से कहा है कि वह शमशेर सिह को जाति तौर पर नही जानता। उसने कृष्ण लाल तहसीलदार के कहने पर बैतोर गवाह हस्ताक्षर किए थे। यह सिद्ध

होता है कि कृष्ण लाल तत्कालीन तहसीलदार बेरी तथा श्री रोशनलाल तत्कालीन नायब तहसीलदार बेरी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है।

डायरेक्टर फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल की रिपोर्ट का अवलोकन करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मुख्तयारनामा आम क्रमाक 4/50 जो दिनाक 18 02 2003 को पजीकृत किया गया है उस पर जो हस्ताक्षर किए हुए है वे हस्ताक्षर शिकायतकर्ता शमशेर सिह के हस्ताक्षर से मेल नही खाते। डायरेक्टर फारेसिक साईस लाईब्रेरी मधुबन करनाल से प्राप्त रिपोर्ट आपकी सेवा मे आगामी आवश्यक कार्यवही हेतू प्रेषित हे जो सलग्न है।

(हस्ता०)–
उपमण्डल अधिकारी (ना०)
बेरी।

The Committee orally examined the Deputy commissioner Jhajjar District Revenue Officer Jhajjar and the petitioner in its meeting held on 08 08 2017 and discussed the case During the proceedings of the case Sh Roshan Lal S/o Sh Phool Chand R/o H No 688 ward No 9 Mohalla Haripura Distt Jhajjar who is retired as Tehsidar from Tehsil Beri Distt Jhajjar submit a representation to the Committee to provide an opportunity of hearing him and request the Committee to stay the observations of the Committee dated 08 08 2017 The Committee accepted the same The application of Sh Roshan Lal is reads as under -

Before Sh Ghanshyam Dass M L A Chair Person Committee on petition Haryana Vidhan Sabha Chandigarh

R/Sir

The application submits as under

1 That application Roshan Lal S/o Sh Phool Chand is R/o House No 688 ward No 9 Mohalla Haripura Jhajjar Distt Jhajjar who has retired as Tehsildar on 31/12/2012 from Tehsil Beri Distt Jhajjar

2. That one Shamsher Singh S/o Harnam Singh R/o Village Kamri Tehsil and Distt Hissar has made a complaint to you stating that he never executed any GPA on 18/2/2003 in favour of Krishan Kumar S/o Sh Devi lal H no 215 Sector 14 Gurgaon He has further alleged that some other person had appeared as Shamsher Singh and Krishan Kumar above mentioned got a false G P A registered in his favour incollusion with Sh Roshan lal (Applicant) the then Naib Tehsildar cum joint Sub Registrar Beri on 18/2/2003

3 That your Honour has directed an inquiry into the above mentioned matter and finally has directed Deputy commissioner Jhajjar to lodge an FIR vide order dt 8/8/2017 and in pursuance of that the proceeding for lodging FIR are in progress in the office of Deputy Commissioner Jhajjar

4 That applicant has no fault in doing registration of G P A dt 18/2/2003 because the applicant had followed the procedure as mentioned in Section 35 of the

Registration Act, and as per Registration Act Sh Brijlal Numberdar had identitifed and Sh Jeet Singh witness had identified Shamsher singh executants so there is a no fault of applicant It is also stated that since 2003 Shamsher Singh has not challenged the validity of the G P A in any civil court upto date

5 That before passing the order by you the applicant was never given any opportunity of hearing nor he was given any chance to explain his position In this way your honour it is stated that the applicant be also provided an opportunity of hearing and upto the time the applicant is provided opportunity of hearing the implementation of order dt 8/8/2017 be stayed

Applicant
Sd/-
Roshan Lal S/o Sh Phool Chand
R/o House No 688 Ward No 9
Mohalla Haripur Jhajjar
Distt Jhajjar

The Committee orally examined the Departmental representatives Sh Shamsher Singh and Sh Roshan lal in its meeting held on 04 10 2017 and give its recommendations as under

कमेटी की रिकमण्डेशन

गलत ढग से की गई जी पी ए के इस केस मे पूर्व मे समिति द्वारा दोषियो के खिलाफ इक्वॉयरी करने व एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश पर एस डी एम बेरी द्वारा इक्वॉयरी की गई और इस इक्वॉयरी मे उन्होने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बेनिफिशरी अर्थात जिसके पक्ष मे जी पी ए हुई तथा तसदीककर्ता अर्थात नम्बरदार को दोषी माना।

श्री रोशन लाल नायब तहसीलदार (सेवानिवृत) (जिसने जी पी ए की थी) को जब यह सज्ञान हुआ कि हरियाणा विधान सभा की याचिका समिति द्वारा गलत ढग से की गई जी पी ए के मामले मे इक्वॉयरी करने व दोषियो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है और जब इनको आभास हुआ कि क्योकि यह उस समय जबकि जी पी ए की गई थी स्वय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी थे इस शका के मद्देनजर की कही इनके खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज न हो जाये इसी अदेशे के ध्यानार्थ श्री रोशन लाल ने सबधित मामले मे उनका स्वय का पक्ष सुनने के लिए एक लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से समिति के समक्ष गुहार लगाई और समिति ने डी आर ओ ए झज्जर की उपस्थिति मे री रोशन लाल सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार का पक्ष सुना। दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात तथा रजिस्ट्रेशन मैनुअल को भी ध्यान मे रखते हुए यह समिति सस्तुति प्रस्तुत करती है कि गलत ढग से की गई जी पी ए के इस मामले मे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का कोई दोष नही है बल्कि वास्तव मे असली दोष तो बेनिफिशरी (जिसके पक्ष मे जी पी ए हुई है) तथा तसदीककर्ता नम्बरदार (जिसने तसदीक की है) का ही है। अत यह समिति पूर्व मे सभी दोषी पक्षो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के समिति के निर्देश मे सुधार करते हुए पुन निर्देश जारी करती है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चूकि दोष मुक्त है अत उसके खिलाफ एफ आई आर दर्ज न की जाये बल्कि दो अन्य पक्ष अर्थात बेनिफिशरी व

तसदीककर्ता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की जाये और इस एफआईआर की एक प्रति सबधित मामले की प्रोसिडिग प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर अन्दर समिति को प्रस्तुत की जाये।

याचिकाकर्ता की अपील पर कि उनकी इस जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाये पर यह समिति यह भी अनुशसा प्रस्तुत करती है कि याचिकाकर्ता की जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए सबधित डी सी के माध्यम से टाउन एड कट्री डिपार्टमैट को भी लिखा जाये।

Thereafter Sh Krishan Lal Bishnoi DRO (Retd) H No 215 Sector 14 Gurgaon has filed an application before the Committee with the request he may also be heard Committee perused his application The application/representation filed by Sh Krishan Lal Bishnoi reads as under

Application of Krishan Lal Bishnoi Before the Hon ble Committee on Petitions Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh

In the matter of Chairman Sh Ghanshyam Dass Ji M L A Y Nager in recomplaint submitted by Sh Shamsher Singh s/o Sh Harnam Singh resident of Village Kaimri Tehsil and District Hisar

Sir

The instant representation is being filed before the Hon ble committee on petitions on account of the orders that had been passed by the by the committee in its meeting held on August 8 2017 and the subsequent hearings on the petition submitted by Sh Shamsher Singh slo Sh Harnam Singh resident of Village Kaimri Tehsil and District Hisar regarding Inquiry of forged power of attorney The Hon ble committee has directed the authorities to get FIR registered against the applicant without appreciating that the applicant has not been granted any opportunity of hearing and that vital facts that required to be before the Hon ble committee have not been disclosed Apart therefrom various issues pertaining to the civil rights have been determined with such determination has to be done as per the process of law by approaching the competent court of original jurisdiction

Thus the necessity to approach the Hon'ble committee so as to apprise it of the necessary facts and to request that the order passed by the committee be recalled

Facts as alleged -

Sh Shamsher Singh slo Sh Harnam Singh resident of Village Kaimri Tehsil and District Hisar submitted a complaint to the committee on petitions alleging that the land owned by him has been sold off by the applicant on the basis of the general power of attorney allegedly executed by the complainant During the course of proceedings held on August 8 2017 reliance was placed on the report of the handwriting expert wherein the signatures are alleged to have not been found matching The Hon ble committee directed that case be got registered and the furnished to the complainant so that by placing reliance on the same the complainant may get the sale deed cancelled and transferred in his own name

Brief factual Matrix

The complainant became owner of land measuring 9 Kanal 16 Marla situated in the revenue estate of village Bilaspur District Gurgaon (now Gurugram) by virtue of 3 different sale deeds registered in his favour The details of the same are as under

a Sale deed No 14697 dated January 17 1997 for an area measuring 4 kanal 12 marla situated in the revenue estate of Village Bilaspur Tehsil and District Gurgaon (Now Gurugram) **Annexure I**

b Sale deed No 14699 dated January 17 1997 for an area measuring 4kanal-4marla situated in the revenue estate of Village Bilaspur Tehsil and District Gurgaon (Now Gurugram) **Annexure-II**

c Sale deed No 5454 dated July 21 1997 for an area measuring 1 kanal situated in the revenue estate of Village Bilaspur Tehsil and District Gurgaon (Now Gurugram) **Annexure III**

Mutation with respect to the properties in question was duly sanctioned in favour of the complainant

That apart from the aforesaid 3 sale deeds for which mutations were duly recorded the complainant also became owner to the extent of 11 Kanal of land situated in the revenue estate of village Bilaspur District Gurgaon by virtue of an arbitration award dated December 12 1998 The said arbitration award became role of the court in civil suit No 457 of 1998 titled Shamsher Singh son of Sh Hamam Singh resident of 388 Al2 DLF colony sector 14 Gurgaon versus Smt Vedo widow of Sh Amar Singh resident of village Bilaspur District Gurgaon By virtue of the decree passed in the aforesaid civil suit on December 19 1998 by the court of Ms Madhu Khanna Civil Judge (Jr Division) Gurgaon the award passed by the arbitrator was made rule of the court As well as the decree passed by the civil courts are attached as Annexures IV and V respectively Resultantly a total land measuring 21 Kanal 1 Marla got mutated in favour of the complainant The details of the land mutated in favour of the complainant are as under

a Mutation number 1665 Mustil no 24/10 (8 0) 24111 (8 0),201112(0 - 11) total 16 Kanal 11 Marla 2/5 share 6 Kanal 12 Marla

b Mutation number 1668 Mustil no 2411 0 (8 0) 24111 (8 0) 20/1/2 (0 11) total 16 Kanal 11 Marla 2/5 share 3 Kanal 19 Marla

c Mutation number 1796 Khewat no 26/41 min 43 and Mustil no 6/125//2 (5 4) 252/7/2 (7 1) 2411 (8 0) 25//412/212(3 3) 7/12 7/21 (8-0) total 39 Kanal 220/780 share 11 Kanal

Copies of the mutations are however not being appended The same may be verified by the Hon ble committee in case it is so desired

The General Power of Attorney

The complainant thereafter executed a registered general power of attorney on 18th of February 2003 in favour of the applicant with respect to the entire property as aforesaid i e

21 Kanal 1 Marla in favour of the applicant A copy of the said general power of attorney registered vide vasika number 4/50 dated 18 2 2003 is attached as **Annexure VI** Some of the essential recitals of the said general power of attorney are as under

9 To enter into agreement for the sale of the said properties with any person/ S and to receive consideration amount in full and final from the intending purchaser in his own name in cashlby check/bank draft or acknowledge the same

10 To sell mortgage transfer or dispose of my property/ies to any personls and to execute the sale deed mortgage deed transfer deed and to get it registered with the office of sub registrar and to receive the consideration amount

Thus a perusal of the powers vested upon the applicant on the strength of the aforesaid power of attorney establishes beyond realm of any doubt that the applicants was fully authorised to alienate the property in question and was also within his authority to receive the sale consideration in his own name

Subsequent Events

The applicant also initiated proceedings for seeking partition of the land in question After the aforesaid proceedings had been finalised registered sale deed with respect to the property in question was executed by the applicant in favour of Ethnic Hotel Private Limited on July 17, 2008 The alienation of the said land was done toseparate sale deeds for an area measuring 10 Kanal 13 Marla and 10 kanals are attached as **Annexure-VII** and **VIII** respectively After the execution of the sale deed mutation of the property in favour of the purchaser was entered in the revenue record in the year 2008 itself

PREVIOUS COMPLAINTS

Despite the sale deed having been executed on July 17 2008 there was no complaint of any nature whatsoever by the executed of the general power of attorney viz the complainant herein Before filing of the instant complaint to the Hon ble Committee on Petitions the following complaints were made by the complainant which all found the complaint to be baseless and unworthy of any merit The details of the same are stated as under

1 A complaint dated 29th of June 2014 which was received in the police station on 22 d of July 2014 was submitted by the complainant levelling said allegation about the Power of Attorney being forced and that the sale deed having already been got executed on the strength of the said forged our of attorney An enquiry to the knowledge of the applicant was conducted by the police at the relevant point of time and after coming to a conclusion that the complaint was baseless and that s the general power of attorney had actually been executed by the complainant himself the said complaint was confined to record Having concluded that the complaint was unsubstantiated and that no cognizable offence was made out upon verification of the averments contained in the complaint the same was consigned A copy of the said complaint is attached as **Annexure-IX**

2 A complaint dated September 15 2014 was also sent to the Inspector General of police Rohtak Range Rohtak Upon receipt of the said complaint that had all the allegations which had previously been conveyed to the SHO the office of the Inspector General of

police marked the said complaint to the Superintendent Of Police Jhajjar to get an enquiry conducted through the Economic Offences Wing An enquiry into the allegations was conducted by the Economic Offences Wing and the statement of the complainant as well as other witnesses and accused persons was also recorded After conducting the enquiry a report was submitted no criminal case was made out and that the dispute, if any was civil in nature Vide letter dated December 13 2014 information in this regard was conveyed by the office of Supt of Police to the Inspector General Of Police A copy of the said complaint along with the statements of witnesses recorded by the Economic Offences Wing and letter sent by the Supt of Police to the Inspector General are attached as **Annexure-X (colly)**

3 That having come to know of the report forwarded by the Superintendent of Police to the Inspector General dated 13 12 2014 instead of taking recourse to the remedy available to him in law the complainant filed a fresh complaint to the worthy Chief Secretary Haryana on December 15,2014 A copy of the said complaint is attached as **Annexure XI** The aforesaid complaint received by the Chief secretary to government of Haryana was forwarded to the office of Additional Chief Secretary and FCR Haryana

4 The complainant however submitted that another complaints to the Hon ble Chief Minister of Haryana on January 13 2015 on the same set of allegations The copy of the said complaint is attached as Annexure XII the said complaint was forwarded to the Director General of Police from where it was sent to the Superintendent of Police Jhajjar who got the enquiry conducted from Sh Dheeraj Kumar HPS Dy S P The enquiry officer again recorded the statements of all the witnesses and furnishes report to the Superintendent of Police Jhajjar who vide his letter number 343 P dated 19 2 2015 forwarded his report to the Inspector General of Police In the said report it was specifically conveyed that the allegations levelled were found to be bereft of truth and merit and that s the same was baseless The copies of the statements recorded by the Deputy Superintendent of Police are attached as Annexure XIII and the report forwarded by the Superintendent of Police Jhajjar is attached as Annexure XIV

Perusal of the aforesaid sequence of previous complaints establishes beyond any doubt that the complainant had been taking recourse to submitting complaints to various authorities that had been independently enquired into Now the authorities found any substance in a complaint so levelled and decided to consign the said complaints to record as being without any merit All the aforesaid facts had been concealed by the complainant while submitting the complaint to the Hon ble Committee on Petitions

The worthy committee without issuing any notice to the applicant and having been kept uninformed of the same by the authorities associated issued orders for registration of case against the applicant so that the sale deed could be got cancelled Necessity has thus reason for the applicant to make the instant representation and to apprise the Hon ble committee and to request it to recall its order severely prejudices the applicants apart from in violation of the statutory mandate and the powers conferred upon the committee

Grounds for seeking recall

a. The complainant is concealed vital information from the Hon ble committee thus rendering the order to have been passed on the basis of conjectures The only

premise for passing the said order is the report of the handwriting expert Needless to mention that report of handwriting expert is a very weak evidence apart from the fact that the purported report pertains to comparison of the signatures that had been fixed in the year 2003 vis a vis the signatures that may have been sent for comparison in the year 2015 The possibility of the signatures that have been appended over a gap of more than a decade to match negligible

b. The matter had already been enquired into on as many as 4 occassions by the administrator authorities as well as by the police All the authorities had not only concluded that the complainant had miserably failed to bring any evidence to substantiate or to support the allegations, but also concluded that no criminal case of any nature was made out The said record was never produced before the Hon ble committee

c The Hon ble committee has directed registration of case against the applicant without associating the applicant in the proceedings and without granting any hearing The aforesaid order thus having been passed at the back of the applicant deserves to be recalled

d. That it is further well established Cardinal principle of law and no person should be condemned unheard Since the order passed by the committee had the effect of vitally affecting the rights and liberties of the applicant hearing or to have been extended to the applicant before passing any such order as is prejudicial to the rights and liberties of the applicant

e. That by means of securing the aforesaid order on account of concealment of vital facts the complainant is wanting to revive a dead horse Even if all the contentions of the complamant are accepted as per the averments of the complainant himself he had acquired knowledge of the said sale deeds in the month of June 2014/complaint was submitted to the police in July 2014 Thus knowledge with respect to the sale deed had been acquired and as such the time limit prescribed for the purposes of raising a challenge is 3 years from the date of knowledge Hence the complainant could have at the most filed a civil suit till July 2017 As per the law of limitation the complainant has no remedy in law Once the right to challenge the sale deed has been lost no such right can be conferred by the orders of the Hon ble committee

f. That the order so passed by the Hon'ble committee amounts to substituting the satisfaction of the investigating agency and exercising it power that is not conferred upon it under the Criminal Procedure Code The satisfaction as regards existence of any cognizable offence is to be that of the investigating agency and once the said investigating agency has concluded more than once that no cognizable offence is made out and only a civil dispute if any exists no such directives could have been issued by the Hon ble committee The remedy if any, which was available to the complainant was to have approached the concerned competent court of jurisdiction for the purposes of raising a dispute to the decisions of the investigating agency and to pursue the private complaints The committee cannot vest what is prohibited by law

g That the authorities have also failed to consider that the executed under the generalpower of attorney had duly appeared before the sub registrar and it was only thereafter that the photographs had been appended as a mark of verification and

authentication No challenge has been made to the general power of attorney and the same has not been got cancelled by the complainant Thus the document which has come into being by operation of law is being sought to be annulled without taking recourse to the remedy available in law No cogent reason or explanation is being offered by the complainant as to why he ought not take recourse to the remedy which is available as per law

h That the provisions of the Specific Relief Act As Well as the Limitation Act had been specifically examined so as to verify the remedies that are available to any agreed person as per law and within what specified timeframe such a remedy can be invoked The law is well settled that any action initiated after the expiry of the period of limitation prescribed in law is unsustainable and liable to be ignored Despite being conscious and aware of alleged wrong no steps have been taken by the complainant to take anappropriateremedy before the court of law The said act is a deliberateandmischievous act on the complainant was all along well aware of the fact that whatever he was contending was not only incorrect but was alsofraudulent in nature Thus fearing adverse order being passed by the court the complainant deliberately chose not to take recourse to the appropriate remedy

i That the vesting of powers is a statutory function and only the authority which has been vested with the specific power can exercise the same No other authority can direct such authority to exercise its powers in any specific manner The substitution of satisfaction of the competent authority is not a domain of any other authority Whenever any such substitution is effected the same vitiates the action

j That determination of civil rights is not within the domain of Committee on Petitions and all such declarations can only be given by Court of law

k That the Hon ble committee has already amended its order in relation to the concerned sub registrar and has directed that no such case be registered against him Once the registering authority is protected the allegation itself falls flat since the entire gist of allegations pertains to the registration of the GP A

l. That the complainant has opted to dispute be GP A at his convenience No challenge is raised to the partition proceedings that have been initiated on the strength of the said attorney Once the complainant accepts the partition proceedings to be valid all other subsequent proceedings on the basis of the said GP A too have to be accepted and acknowledged

m. That the authorities have also failed to appreciate that what is prohibited directly cannot be permitted to be done indirectly Since the sale deeds in question could not have been disputed or be got annulled directly by taking recourse to appropriate proceedings in annulled directly by taking recourse to appropriate proceedings in law the present indirect methodology has been adopted by the complainant

n That the complainant has also deliberately not conveyed that he is a cousin to the applicant and that considering the relationship it is seemingly impossible that the complainant was not aware of having executed the GPA in the year 2003 The very fact that the complainant chose to remain silent for a period of nearly 1] years since the execution of the GP A in itself suggestive of the fallacy of the allegations

o That the authorities have issued the directions on the basis of conjectures and presumptions as regards the alleged misconduct without seeking a report from the concerned quarters to whom the complaints had been submitted earlier

p That the settled actual and legal rights are being sought to be unsettled by means of the aforesaid order calling for recall of the same

It is therefore respectfully prayed that the order dated August 8 2017 be recalled in the facts and circumstances of the case and in the interest of Justice and fair play

Regards
Yours sincerely
Sd/-
Krishan Lal Bishnoi (Retd D R O)
R/o 215 Sec -14 Gurugram

To

The Secretary
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Subject **In re Complaint submitted by Sh Shamsher Singh s/o Sh Harnam Singh resident of Village Kaimri, Tehsil and District Hisar**

In reference to the subject mentioned above the applicant wants to submit the aforesaid representation to the worthy Committee on Petitions against the order dated 8 8 2017and all other proceedings arising therefrom since the order has been passed condemning the applicant unheard

You are requested to kindly put up the matter before the Hon ble Committee on petitions and to intimate the date of personal hearing to the applicant to present his case with necessary proof

Regards

Sd/-
(Krishan Lal Bishnoi)

The Committee orally examined the Deputy Commissioner Jhajjar District Revenue Officer Jhajjar Sh Shamsher Singh Sh Roshan Lal and Shri Krishan Lal Bishnoi in its meeting held on 02 01 2018 and discussed the matter in detail After hearing all the parties Committee made following observation

समिति की अनुशसा

समिति ने इस मामले मे पहले केवल मात्र कम्पलेनैंट को ही सुनकर एफ आई आर दर्ज करवाने के आदेश दिये थे। कमेटी की आज की मीटिग मे इस मामले से सम्बधित सभी पक्षो को सुना गया जिसके पश्चात् इस मामले से जुडे बहुत से तथ्य समिति के सामने आये इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस मामले मे कमेटी ने जो इससे पहले निर्णय दिये थे कमेटी अपने उन सभी निर्णयो को वापिस लेती है।

अब इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्ष करने के उपरात कमेटी ने यह ऑब्जर्व किया है कि इस मामले मे पहले ही काफी इक्वॉयरीज हो चुकी हैं जो कि परस्पर विरोधाभासी हैं। इसके साथ ही साथ कमेटी के नोटिस मे यह तथ्य भी आया है कि यह मामला एक पारिवारिक मामला है।

इन तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए कमेटी यह अनुशसा करती है कि इस मामले से सम्बधित दोनो पक्ष अपने स्तर पर ही इस मामले का निपटारा कर ले।

चेयरपर्सन इस पैटीशन को डिस्पोज ऑफ किया जाता है।

The petition is disposed of accordingly on 02 01 2018

---

5 PETITION RECEIVED FROM SHRI KANT SHARMA, JUNIOR SCALE STENO TYPIST, HARYANA POLICE HOUSING CORPN , K.NO 7, PTC, SUNARIA (ROHTAK) REGARDING CORRECTION IN DATE OF REGULARIZATION OF SERVICES TO THE POST OF STENO TYPIST

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha

Subject Correction in date at Regularization of services to the Post of Steno typist w e f 01 10 2003 as per Haryana Govt. Notification

Hon ble Sir

With due regards it is kindly submitted as under -

1 That I was appointed as a Steno typist in Haryana Police Housing Corporation Divisional office on 01 08 1995 against sanction accorded vide M D HPHC Panchkula office letter No 5122 dt 04 07 1995 on D C rate

2. As per Haryana Govt Notification No G S R 24/Const/Art 309/2003 Dated 01 10 2003 the services of adhoc/contract employees who have completed three years service on 30 9 2003 and were in service on that date snould be made regular w e f 1 10 2003

3 My services were regularzed vide M D HPHC Panchkula order No HPHC/Estt 05/3762 dated 28 04 2005 and my date of joining have been considered on 3 05 2005 whereas my joining was to be considered on 1 10 2003 as per above Haryana Govt Notification

4 The other Corporation officials Sh Lalit Nanda & Kamal Kishore J Es who were working on adhoc basis were regularized by HPSC in compliance of same Haryana Govt Notification mentioned above w e f 1 10 2003 vide order No HPHC/Estt/05/HPHC/11488 dated 12 12 2005

5 I have represented to Managing Director Haryana Police Housing Corporation Panchkula in the year 2005 to 2011 but no action have been taken The representations were also sent through proper channel through XEN HPHC Madnuban vide memo No HPHC/ MBN/12/3995 dt 20 7 12 3422 dt 20 8 13 & 5044 dt 1 10 2014 but till date no action have been taken

6 By ignoring my date of joining on 1 10 2003 my juniors Smt Sushil Kumari & Parveen Arora were promoted as Junior Scale Stenographer vide order No 12800 13 dt 8 11 12

7 I am suffering loss financially for the last 13 years

In view of above it is requested that my date of regularization may be corrected/ considered w e f 01 10 2003

I shall be very thankful to you

Sincerely yours

Sd/

DA as above

(Shri Kant Sharma)
Junior Scale Stenotypist
Haryana Police Housing Corpn
K No 7 PTC Sunana (Rohtak)

The Petion was placed before the Committee in its meeting held on 20 08 2016 and the Committee considered the same and decided that said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee received the reply from Chairman and Managing Director Haryana Police Housing Corporation Plot No C 10 Sector 6 Panchkula vide their letter No 11959 dated 19 09 2016 as under

HARYANA POLICE HOUSING CORPORATION
(A Haryana Government Undertaking)
Plot No C 10, Sector 6, Panchkula 134109

Ref 11959 Dated 19 9 16

To

The Principal Secretary
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Sector 1 Chandigarh

Subject -Regarding correction in date of regularization of services to the post of steno typist.

Kindly refer to your office letter No HVS/Petition/501/16 17/20045 dated 08 09 2016 on the above noted subject

2 Sh Shrikant Sharma was appointed on daily wages fixed by DC Hisar doing 7/1995 He had earlier submitted requests to Head office for regularization of his services the same were not considered by the then MD since he had filed an appeal in the cout of District Judge Hisar against regularization of his services and matter was sub judice Since he had given an assurance at that time regarding withdrawal of all court cases hence the then MD had considered his request and regularized his services as Steno typist with immediate effect vide orders dated 28 04 2005(Copy enclosed) Accordingly Sh Shri Kant

Sharma had submitted his joining as Steno typist on 03 05 2005 FN (Copy enclosed) At the time of joining he did not represent against regularization of his services w e f 01 10 2003 instead of immediate effect

3 During 2013 i e after a lapse of 08 years of his regularization he had represented first time in Head Office vide his request dated 20 08 2013(copy enclosed) regarding regularization of his services w e f 01 10 2003 instead of 03 05 2005 However his request was considered at length and rejected by the undersigned being time barred

4 Now Sh ShriKant Sharma has been promoted as Junior Scale Stenographer on 12 09 2014(Copy enclosed) Even though he is representing time and again through his requests dated 01 10 2014 01 01.2015 16 07 2015 and 10 09 2015(Copies enclosed) regarding the requlanization of his services as Steno typist w e f 01 10 2003 instead of 03 05 2005 as per Govt policy along with all consequential benefits The same were also considered and rejected being time barred

5 It will not be out of place to mention here that in case he is considered for rregularization of his services w e f 01 10 2003 instead of 03 05 2005 then the seniority of Steno typists existed at that time will be disturbed Since two more Steno typists who were absorbed from fisheries department on 31 10 2003 were senior to him Now on date out of these two senior steno typists one steno typist is in the cadre of Senior Scale Steno and another is in the cadre of Junior Scale Steno Thus it will be higly discriminatory to supersede already promoted Steno typists by granting Sh ShriKant Sharma the regularization w e f 01 10 2003 This will also lead to unnecessary litigations

6 Further on his request the case of Sh Shrikant Sharma was also placed before Departmental Level Grievance Redressal Committee under State Litigation Policy 2010 of this Corporation

The Committee observed that Sh Shrikant Sharma neither submitted any representation on the issue during 2005 to 2013 nor he could submit any evidence/ documentary proof of the same during hearing Hence the committee was of the view that the request of Sh ShriKant Sharma cannot be accepted at this stage being time barred and may be filed

7 In view of above circumstances the appeal of Sh Shrikant Sharma regarding regularization of services w e f 01 10 2003 instead of 03 05 2005 alongwith all consequential benefits was considered and filed by the undersigned being time barred Acordingly he was also informed vide this office letter No 11268 dated 26 08 2015(Copy enclosed)

Sd/

Chairman and Managing Director
Haryana Police Housing Corporation
Panchkula

The Committee considered the same in its meeting held on 12 01 2018 and Committee was satisfied with the reply hence decided to dispose of the said petition

---

6 PETITION RECEIVED FROM SHRI VIJAY PAL S/O SH MAHENDER SINGH R/O V P O TIKLI, TEHSIL AND DISTT GURUGRAM, REGARDING NOT GRANTING OF NOC

The Petition received from Shri Vijay Pal reads as under

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

विषय – एन.ओ सी नही देने बारे।

श्रीमान जी

निवेदन यह कि जय प्रकाश–सजय–विजयपाल–महेश पुत्रान स्व० श्री महेन्द्र सिह निवासी गाव व डाक० टीकली सब तहसील बादशाहपुर व जिला गुरूग्राम हरियाणा के रहने वाले है। निवेदन यह है कि हमने अपने हिस्से अनुसार रकबा 00 बिघा 01 बिस्वा 14 बिस्वासी वाका मौजा गाव टीकली सब तहसील बादशाहपुर व जिला गुरूग्राम को श्रीमति अनिता धर्मपत्नी श्री देशराज निवासी गाव व डाक० टीकली सब तहसील बादशाहपुर जिला गुरूग्राम को बय करने की बाबत एक एन ओ सी दिनाक 11–04–2017 को डी टी पी (एनफोर्समेट) कार्यालय गुरूग्राम मे लगाई हुई है। जोकि हमे अभी तक नही मिली है विभाग के चक्कर काट–काट कर हम थक चुके है। एन ओ सी नही मिलने के कारण हम ना ही रजिस्ट्री करा पा रहे और ना ही उपरोक्त रकबे को बेचने की बाबत मिली हुई रकम से कोई जमीन खरीद पा रहे है। डी टी पी (एनफोर्समेट) कार्यालय गुरूग्राम से जमीन बेचने के लिये सरकारी नियमो अनुसार एन ओ सी लेना आवश्यक है जोकि सभी सम्बन्धित दस्तावेजो के साथ डी टी पी (एनफोर्समेट) कार्यालय गुरूग्राम मे दिनाक 11–04–2017 से जमा है। इसी डी टी पी अधिकारी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की कई एन ओ सी जारी की जा चुकी है लेकिन हमे हमारे द्वारा लगाई गई एन ओ सी लेने के लिये बार बार चक्कर कटवा रहा है।

अत जनाब से अनुरोध है कि हमे जल्द से जल्द एन ओ सी दिलवाने का कष्ट करे ताकि हम रजिस्टरी करा सके और कोई दूसरी जमीन खरीद सके। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित

भवदीय
Sd/

दिनाक – 08–05–2017

विजयपाल एव महेश पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र सिह निवासी गाव व डाक0 टीकली तहसील व जिला गुरूग्राम हरियाणा

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 16 05 2017 and the Committee considered the same and decided the same and decided that said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15

days The Committee did not received any reply from the Department Therefore the Committee orally examine the Director General Town and Country Planning Haryana, District Town Planner (Enforcement) Gurugram Haryana and the Petitioner in its meeting held on 29 08 2017 and discussed the matter with the departmental representatives and the Director General Town and Country Planning Haryana assured the Committee that matter in question would be is resolved within 24 hrs

Shri Vijay Pal submitted application that his grievances were resolved and her case may be disposed off Application submitted by Shri Vijay Pal reads as under

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Sub Thanks for the Hon ble Chairman all petition committee members and Staff

R/Sir

With due respect I would like to state I have made a complaint against DTP (Enforcement) Gurugram Mr Rajender T Sharma for not issue the NOC in respect of registration of sale deed of land measuring 01 Biswa 14 Biswansi of Village Teekli Sub Tehsil Badshahpur Gurugram Haryana

In this regard the committee had taken up the issue on dated 29 08 2017 of NOC very seriously results the NOC has been issued

Now I want to thanks the Hon ble Chairman whole committee and staff for solve my grievance

Thanks

With Regards
Sd/
(VIJAY PAL)
S/o Late Sh Mahender Singh
R/o VPO Teekli Gurugram

The petition is disposed off/accordingly on 12 01 2018

---

7 PETITION RECEIVED FROM DR PRADEEP, MEDICAL OFFICER, CIVILHOSPITAL BHIWANI REGARDING PAY PROTECTION OF PREVIOUS SERVICE

The Petition received from Dr Pradeep reads as under

To

The Chairman
Petitions Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Subject Grievances Redressal

R/Sir

It is humbly requested that I am posted as Medical officer in Civil Hospital Bhiwani since 15-09 2015 Before this appointment I remained posted at PGIMS Rohtak on regular basis from 15 10 2010 to 14 09 2015 I applied HCMS cadre through proper channel

I requested to the Director General Health Services Haryana through Principal Medical Officer Civil Hospital Bhiwani vide E- I/CHV2513 dated 10 05 2016 for pay protection for previous serevice

Director General Health Services Haryana raised objection vide letter no 78/ P( ) 7E2 2016/7097 dated 23 08 2016 which was removed and case was resend to the Director General Health Services Haryana vide letter no E I/CHI3010 dated 30 09 2016

I again reminded on dated 31-01 2017 bye mail and the same through Principal Medical Officer Civil Hospital Bhiwani vide letter no E I/CH/133 dated 09 02 2017

But even after my case is still pending resulting into my following due benefits are still pending due to non protection of pay and I am facing hard ship

1 Pay Protection
2 ACP due w e f 01 01 2016
3 Pay in 1[h] pay commission
4-LTC

You are requested to kindly direct to the authorities concerned to release the due benefits at the earliest to avoid further financial loss

Dated -20-02 2017

Sd/-

Dr Pradeep
Medical Officer
Civil Hospital Bhiwani

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 21 02 2017 the Committee considered the same and decided that the said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee did not received any reply from the Department Thereafter Committee orally examined Additional Chief Secretary to Govt Haryana, Health Department, Director General

Health Services Haryana and the Petitioner in its meeting held on 30 05 2017 and discussed the matter in detail in which ACS Health Department informed the Committee that matter regarding pay protection is pending with the Finance Department and they will pursue it positively Additional Chief Secretary to Govt , Haryana, Health Department has also sent their reply vide their letter No 32/02/2017 6HV dated 08/12/ 06 2017 and letter No 32/02/ 2017 6HB dated 01 08 2017 which are reads as under

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय।
यादी क्रमाक 32/02/2017–6एच0बी0।
दिनाक चण्डीगढ 8 जून 2017

विषय – **Meeting of the Committee on petitions-Haryana Vidhan Sabha Secretariat-regarding pay protection of previous service of PGIMS Rohtak Dr Pardeep Kumar, Medical Officer, Civil Hospital, Bhiwani**

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक HVS/Petitions/2/2017 18/12256 65 दिनाक 6 6 2017 के सदर्भ मे।

2 विषयोक्त मामले मे अवगत करवाया जाता है कि डा0 प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी द्वारा पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक मे उन द्वारा पूर्व मे की गई सेवा अनुसार वेतन नियम/निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

स्वास्थ्य निदेशालय से उनके कार्यालय के पत्र **दिनाक 17 2 2017(पताका–क)** द्वारा डा0 प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी का उन द्वारा पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक मे पूर्व मे की गई सेवा अनुसार वेतन नियम/निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

तदानुसार इस कार्यालय द्वारा मामला वित्त विभाग को इस कार्यालय के ओन–लाईन **चालान क्रमाक 6914 दिनाक 22 5 2017 (पताखा–ख)** द्वारा अधिकारी की सेवापुस्तिका भेजते हुए वेतन–नियत करने हेतू आवश्यक मत्रणा/सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

वित्त विभाग द्वारा दिनाक उनके कार्यालय के अशा0 क्रमाक **1/102/2012–1पी0आर0(एफ0डी0) दिनाक 1 6 2017 (पताका–ग)** द्वारा डा0 प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी के वेतन नियत मामले मे खेद/असहमति प्रकट की है। तदानुसार कार्यालय के पत्र **7/8 6 2017 (पताका–घ) द्वारा विभाग/सम्बन्धित अधिकारी को सूचित कर दिया गया है।**

उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार डा0 प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी के वेतन–नियत के सम्बन्ध मे पटीशन कमेटी को मामला सूचनार्थ एव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

सलग्न उपरोक्तानुसार

Sd/

अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य
कृते प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

सेवा मे

सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय।

यादी क्रमाक 32/02/2017–6 एच0बी0
दिनाक चण्डीगढ 25 जुलाई 2017

विषय – Meeting of the Committee on petitions Haryana Vidhan Sabha Secretariat-regarding pay protection of previous service of PGIMS Rohtak Dr Pardeep Kumar, Medical Officer, Civil Hospital, Bhiwani

*****

उप्रोक्त विषय पर सरकार के पत्र समसख्यक दिनाक 08 06 2017 व आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक HVS/Petitions/2/2017-18/15378-87, दिनाक 18 07 2017 के सदर्भ मे।

2 विषयोक्त मामले मे अवगत करवाया जाता है कि डा0 प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी द्वारा पी0जी0आई0एम0एस0 रोहतक मे उन द्वारा पूर्व मे की गई सेवा अनुसार वेतन नियम/निर्धारित करने के सम्बन्ध मे वित्त विभाग ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमाक 1/102/2012–1पी0आर0(एफ0डी0) दिनाक 21 07 2017 द्वारा निम्न मत्रणा दी है—

1 *'AO of the Department has advised in a very causal manner because the pay on subsequent appointment from one department to another department only is protected as per Rules Hence Finance department is unable to accept the AD s proposal*

2 *State Government has not adopted the instruction dated 30 03 2010 issued by the GOI*

3 *Finance Department cannot accept such type of cases and if only single case is considered in favour of the incumbent it may invite litigation and it will be ultra virus of the Article 14 of the Constitution in the eyes of Hon ble Court*

4 *AD has referred the case of pay protection of Dr Pardeep Medical Officer who was initially appointed in the University of Health Science on 15 10 2010 in terms of Rule 10 of HCS (PAY) Rules 2016*

5 *As per Act 26 of 2008 issued vide Government Not fication No S O 74/HA 26/ 2008/S 1/2008 dated 18 08 2008 passed by the State Assembly it is a maintained institute/autonomous body*

6 *Rule 10 of HCS (PAl) Rules 2016 provides the pay protection on subsequent appointment from one department to another department only and does not provide for protection of pay of the university/autonomous body on subsequent appointment in the Government Department*

7 *Moreover CSR Vol-I Part I is applicable at the time of subsequent appointment i e 16 09 2015 there is no provision in these rules also to protect the pay of the university/autonomous body*

Therefore keeping in view of the above facts the case of the pay protection is neither covered under Rule 10 of HCS (PAY) Rules 2016 nore under the provision of CSR Vol-I Part 1 as such Finance Department Is not agreed with the proposal of AD

वित्त विभाग से प्राप्त उक्त मन्त्रणा अनुसार डा० प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी का उन द्वारा पी०जी० आई०एम०एस० रोहतक में की गई सेवा अनुसार वेतन निर्धारित नही किया जा सकता। वित्त विभाग से प्राप्त उक्त पत्र की प्रति सलग्न है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति अनुसार डॉ० प्रदीप कुमार चिकित्सा अधिकारी सिविल हस्पताल भिवानी के वेतन–नियत के सम्बन्ध मे पटीशन कमेटी को मामला सूचनार्थ एव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

अधीक्षक स्वास्थ्य–I
कृते प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

अशा० क्रमाक 32/02/2017–6एच०बी01 दिनाक चण्डीगढ 25 जुलाई 2017

इसकी एक प्रति महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाए हरियाणा पचकूला को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

Sd/-

अधीक्षक स्वास्थ्य–I
कृते प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

The committee considered the reply received from the department in its meeting held on 12 01 2018 and felt satisfied and decided to dispose of the petition accordingly

8 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SMT BHUPENDER KAUR D/o SH. GURSHRAN SINGH, VILL. SALEMPUR BANGAR PO CHACHHROLI, DISTT YAMUNANAGAR, REGARDING ALLOTMENT OF PLOT IN OUSTEES OUOTA.

The Petition/Representation received from Smt Bhupender Kaur reads as under

सेवा मे

पटिशन कमेटी,
हरियाणा विधानसभा।

विषय – ग्राम रैली (सैक्टर 12–ए) पचकूला मे Questess Queta मे प्लाट अलाट होने बारे।

श्रीमान जी

सविनय प्रार्थना हैं कि मेरे पिता जी श्री गुरशरण सिह पुत्र श्री ध्यान सिह जी की ग्राम रैली सैक्टर–12ए पचकूला मे 81 कनाल के लगभग भूमि अर्जित हुई थी। मेरे पिता जी ने Questess Queta मे प्लाट अलाट करवाने के लिए राशि जमा करवाई थी। यह कि मेरे पिता श्री गुरशरण सिह जी बुजुर्ग थ तथा चलने फिरने मे असमर्थ थे। यह कि विजय धवन पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी पचकूला ने मेरे पिता को बहला फुसला कर पावर आफ अटारनी अपने नाम करवा ली और गुरशरण सिह जी से खर्चे के पैसे लेता रहा। यह कि दिनाक 15 04 2006 को मेरे पिता जी का स्वर्गवास हो गया था तथा उमृके मरने के बाद पावर ऑफ अटारनी खत्म हो गई। यह कि मेरे पिता के स्वर्गवास के पश्चात उम्र पलाट पर अब मेरा हक है परन्तु विजय धवन पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी पचकूला मुझे धमकी देता हैं कि हुडडा मे मेरी सैटिग है और यह प्लॉट मै तुम्हारे नाम पर निकलने नही दूगा और हमे पैसो की आफर करता हैं तथा हम 10 साल से इस छानबीन मे लगे हुए है तथा हमे कुछ भी प्राप्त नही हुआ।

अन जनाब से प्रार्थना है कि यह 10–10 मरले के दो प्लॉट मेरे नाम पर किया जाए जिसके हम हकदार बनते है । क्योकि उस दौरान के सभी प्लॉट किये जा चुके है और हम पूरी राशि अदा कर चुके हैं। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित।

दिनाक – 19 07 2016

Sd/-

प्रार्थीगण
भूपिन्द्र कौर सपुत्री श्री गुरशरण सिह
धर्मपत्नी श्री परमजीत सिह निवासी
ग्राम सलेमपुर बागर डा0 छछरौली
जिला यमुनानगर

The petition/representation was placed before the committee in its meeting held on 02 08 2016 The committee considered the same and desired that the comments of the concerned departments may be obtained within a period of 15 days The representation was sent to the concerned department on 04 08 2016 the Chief Administator Haryana, HUDA Haryana has sent their reply vide their letter No 66516, dt 09 09 2016 vide their reply they stated

That the report was collected from Estate Office who has submitted that the application of Sh Gursharan Singh 5/0 Sh Dhian Singh had applied for 2 Nos 10 maria plots in Sector 12 A Panchkula As per report of LAO Panchkula the applicant Sh Gursharan Singh 5/0 Sh Dhina Singh and his mother Smt Kartar Kaur were the cosharer Total land measuring 81 kanal was acquired The applicant along with the co sharer is found eligible for two plots of 10 maria each (copy of proceeding attached)

As per record available in Estate Office Sh Gursharan Singh had expired on 15 4 2016 and he executed un registered will on 29 8 2003 in favour of Sh Vijay Kumar 5/0 Sh Ram Chand R/o H No 134 Village Maheshpur Panchkula The will if out of family

Vide representation dated 19 7 2016 (received from Hon ble Petition Committee on 18 8 2016) the applicant Smt Bhupinder Kaur is claiming to be legal heir of deceased Sh Gursharan Singh and she wants that she should be considered under oustees quota being legal heir As per record available in our office Smt Bhuipinder Kaur never applied for any oustee plot earlier nor on the basis of said decision of Screening Committee any plot was allotted to anyone

In compliant of the decision of Hon'ble Apex Court in Sandeep s case and Bhagwan Singh case the Headquarter has issued a latest policy on the oustees dated 11 8 2016 Now this office submits that, the balance plot for oustees of Urban Estate Panchkula are being advertised and the oustees may apply against this advertisement along with the documents as mentioned in the latest oustees policy dated 11 8 2016

The latest oustee policy dated 11 8 2016 is available on official website of HUDA (www huda gov in) and other details on vacant plots their size and rates etc are likely to be hosted soon The copy is also attached

Ms Bhupinder Kaur may apply against this advertisement after fulfilling the formalities and her claim will be settled as per law

The Committee orally examined the Departmental representatives and the petitioner in its meeting held on 24 09 2015 in which Committee desired that department provide all the documents related to this case to the Committee and the petitioner after examining this Committee will proceed further in this case The Chief Administrator HUDA Panchkula has submit his reply vide their letter No UB A 7 2016/129238 dated 09 12 2016 in which he has stated as under

'The Estate Officer HUDA Panchkula has intimated that as per condition no 15 of policy issued vide no UBI A 5/2016/46608 09 dated 11 08 2016 (copy enclosed) an oustees who has made an application for allotment of plot under oustees policy on any previous occasion and said application either is pending for decision or was rejected on any ground and said rejection order was impugned before any court of law or Aurhority or forum of any nature and matter has been remanded back to the Authority for fresh decision shall be informed of the decision in Bhagwan Singh s case and Sandeep s case and may be advised to apply for allotment of plot in fresh advertisement which will be issued after determination of reservation and their earnest money may be refunded alongwith interest

@5 5 % per annum from date of deposit till date of payment However litigation is pending then the court of law of authority of forum where litigation is pending may be informed of the aforesaid decision and efforts may be made to get the litigation disposed off in terms specified herein

The Estate Officer HUDA, Panchkula has intimated that he has already requested to Smt Bnupiner Kaur W/o Sn Paramjeet Singh D/o Sh GursharanSingh R/o Village Salempur Bangar Post Office Chhachhroli Distt Yamunanagar to submit no Objection of other legal heirs for refund of earnest money against 2 No Plots applied under oustees quota amounting to Rs 1 99 972/- vide memo no 8681 dated 06 09 2016, but till date no documents has been received from the petitioner/applicant in his office

The Committee considered the reply and discussed the matter in its meeting held on 14 12 2016 in which departmental representatives informed the Committee that a new oustee policy has been enforced and the petitioner has to apply according to new policy and department will consider her claim when she will apply according to the new policy of oustees The Committee satisfied with the reply of department and disposed off the petition

Thereafter Petitioner Smt Bhupinder Kaur has submit new representation/ petition dated 12 01 2017 before the Committee which reads as under

PAS TE new Petition dated 12 01.2017

सेवा मे

माननीय पैटिशन कमेटी
हरियाणा विधानसभा चण्डीगढ।

विषय – दरखास्त बाबत प्रार्थीया को प्लाटस पुरानी पोलिसी के तहत देने बारे।

श्रीमान जी

प्रार्थीया आपसे निवेदन करती है कि –

1 यह कि प्रार्थीया भूपेन्द्र कौर पुत्री श्री गुरसरण सिह निवासी गाव सलेमपुर बागर डाकखाना छछरौली तहसील छछरौली जिला यमुनानगर की रहने वाली है।

2 यह कि प्रार्थीया ने पुरानी पोलिसी हाउसटीज कोटा के तहत प्लाटस के लिए आवेदन किया था लेकिन हुडा विभाग पचकूला प्लाटस द्वारा अब प्रार्थीया को नई पोलिसी के तहत आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन प्रार्थीया ने तो पुरानी पॉलिसी के तहत 2003 मे प्लाटस के लिए आवेदन किया था और प्रार्थीया की जमीन भी पुरानी पॉलिसी के तहत अधिकृत की गई थी।

3 यह कि आज के समय मे हुडडा प्लाटो की कीमत विभाग मे पुरानी पॉलिसी के हिसाब से बहुत अधिक बढ हो चुकी है लेकिन जब प्रार्थीया की जमीन अधिकृत हुई थी तो उस समय जमीन की कीमत बहुत कम थी और उसी कीमत यानि राशि के हिसाब से मुझ प्रार्थीया ने प्लाटस के लिए आवेदन किया था। जो कि नई पॉलिसी अब दिसम्बर 2016 मे लागु की गई है जो कि प्रार्थीया के उपर लागु नही होती।

4 यह कि प्रार्थीया 14 सालो से धक्के खा रही है और प्रार्थीया बार बार हुडडा विभाग के चक्कर लगाा रही है और हुडा विभाग के कर्मचारी प्रार्थीया को यह कहते है कि अपने पैसे वापिस ले लो और जब भी नई पॉलिसी आयेगी उसके तहत ही दोबारा से आवेदन कर देना। जब प्रार्थीया ने पहले ही 2003 मे आवेदन किया हुआ है और उस समय के हिसाब से फीस अदा की हुई है तो दोबारा से आवेदन करने का तो कोई औचित्य ही नही बनता।

5 यह कि यहा बताने योग्य बात यह है कि जिन व्यक्तियों ने प्रार्थीया के साथ पुरानी पॉलिसी के तहत आवेदन किये थे उन सभी को पुरानी पॉलिसी के तहत प्लाट भी मिल चुके है लेकिन मुझ प्रार्थीया को आज तक भी प्लाट ना मिला है और जो नई पॉलिसी आई है प्रार्थीया अपनी सारी जमीन बेचकर भी उसकी फीस अदा नहीं कर सकती।

इसलिए आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुये प्रार्थीया को पुरानी पॉलिसी के हिसाब से प्लॉटस दिये जाये।

आपकी अति कपा होगी।

दिनाक – 12/01/2017 प्रार्थीया

Sd/-
भुपेन्द्र कौर पुत्री श्री गुरसरण सिह
निवासी गाव सलेमपुर बागर
डाकखाना छछरौली तहसील
छछरौली जिला यमुनानगर।

The Committee orally examined the departmental representatives and the petitioner in its meeting held on 17 01 2017and 25 07 2017 in which committee discussed the matter and considered the petitioner request and desired that petitioner may be given the plot on the rates which were existed on date of her entitlement the same after following all the procedure and approval of the Govt

The petition was disposed of by the Committee in its meeting held on 23 2 2018

---

9 **PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SHRI MANISH SAINI, MD, KAY KAY GLOBAL SUPPLIERS, AMBALA CANTT, REGARDING COMPLAINT /RE-SAMPLING IN TENDER NO 10261**

The Petition/Representation received from Shri Manish Saini reads as under

Add 3171 12 Cross Road Ambala Cantt Haryana INDIA (133001) TIN 06031045259

To

The Chairman,
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Subect **Request for Re-Sampling in Tender No 10261 for supply of supply of Science Lab Kits for Education Department opened on 04 02 2016 by Department of Supplies & Disposals**

Respected Sir

I am to invite a reference to Tender No 10261 floated by the Director General of Supplies & Disposals Department inviting supply of Science Lab kits on behalf of Haryana School Siksha Pariyojna Parishad (HSSPP) opened on 04 02 2016 In the process of opening of tender following shortcomings/omissions were noticed and pointed out to The Director General Supplies & Disposals (DS&D) and The Director Haryana School Siksha Pariyojna Parishad (HSSPP) by me but no satisfactory reply has been received so far I therefore bring to your kind notice the Omissions noticed in the process of opening/Checking of Samples dtd 22/03/2016

(a) As enunciated in note 7 of the terms & conditions of the tender In case of Evidence of cartel formation by the bidders the EMD is liable to be forfeited along with other actions as are permissible to Goverment But it was noticed and pointed out that the following firms formed the CARTEL

(i) Laboratory Instruments & Chemical

(ii) Ahuja Scientific & Sports Works

(iii) Sachdeva Instruments Co

(iv) Medrworld India

Clear Proofs of formation of CARTEL by these companies were on the record as all these companies had provided Sample items similar to each other They have also given bid for Similar Chemical in the brand name of ALPHA CHEM which is Health Hazardous for the students This is a clear cut proof of formation of CARTEL and despite sufficient proof of Cartel the finance bid has been opened and tender is likely to be allotted to the CARTEL

(b) The ALPHA CHEM brand chemicals are registered at the address of MIS APLHA CHEM 341 Industrial Growth Centre, Saha (Ambala) which is merely a plot size of 450 Sq Meters No Chemical industry can be set up in such a small land and is against the prescribed norms

(c) Formation of Cartel benefited these firms and they quoted overprice of items which may be a loss to the Education Department

(d) Close discussions of these firms with Sh Rajeev Vats consultant HSSPP Haryana were noticed during the process of sampling The Entire Sample selection team was closely monitored and directed by him to follow his instructions scrupulously

(e) Some of our Samples were straight away rejected by the team of Sh Rajeev Vats without assigning any reason

(f) As per financial Rules the tender may be allotted to the lower priced person and in case of non allotment of tender to lower priced tenderer reason may be recorded in writing But it seems that this formality has also not met with

(g) There were about 30 40 Different written complaints related to the above mentioned CARTEL from various other companies were forwarded to both the departments And it was clearly highlighted that the terms & conditions of this Tenderwere made Specifically favourable only to this Cartel

The above omissions and facts were pointed out to the Director General of Supplies & Disposals Haryana and The State Director Haryana School Siksha Pariyojna Parishad Haryana and an Inquiry Committe was formed and headed by the same person who was appointed to open and check the specifications of the Tender and Tender Sample Items respectively and who was fully helpful to the CARTEL formed by above four firms

As per various judgments of the Supreme Court the appointment of a person as Inquiry Officer who originally headed the work is against the rules as he cannot provide justice in the same matter having bias mind

I shall be highly thankful to you if you could kindly intervene in the matter and arrange to expedite the Re Sampling by an independent body that has no links with the bidders or CARTEL In addition to this the above facts may also be got examined by that independent body and suitable action may be taken against the erring officers

Yours faithfully

(MANIS SAINI M D)
KAY KAY GLOBAL SUPPLIERS
AMBALA CANTT

Dtd 12 08 2016

The Petition/representation was placed before the Committee in its meeting held on 20 08 2016 the Committee considered the same and desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days The representation was sent to the concerned department on 08 09 2016 The State Project Director HSSPP Panchkula has sent the reply vide thier letter no SSA/PO/2016/21708 dated 05 10 2016 which reads as under

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd Under Societies Registration Act 1860)
Shiksha Sadan 3 d & 4th Floor Sector 5 Panchkula 134109
Tel 0172 2590505 2586026(F) I E mail I Website www hsspp in

Ref No SSA/PO/2016/21708 Dated 5 10 2016

To

The Principal Secretary
Haryana Vidhan Sabha
Secretariat, Chandigarh

Subject - Regarding complaint/re-sampling in Tender no 10261

Please refer to your office letter no HVS/Petition/503/ 16 17/20046 dated 8 10 2016 on the subject cited above

It is stated that a committee has been formed to verify the procedure and to submit the fact finding report soon

After examining the report the reply would be sent accordingly

State Project Director
HSSPP Panchkula

Encl
Copy of Committee members

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd Under Societies Registration Act, 1860)
Shiksha Sadan 3rd & 4lh Floor Sector S Panchkula 134109
Tel 0172 2590505 2586026(F) I [mail I Website www hsspp in

Ref No Dated

To

The Accounts Officer
0/0 The Principal Secretary
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Subject - Regarding complaint/re-sampling in Tender No 10261

Please refer your letter no HVS/Petition/503/20046 dated 14 9 2016

At the outset it is submitted that the allegations made in the complaint are frivolous baseless and devoid of substance and any merit which arc also not supported with any material proofs

The entire process of callingof online bids for tender No 10261 supply of Science Items and opening of bids by the appointed committee was done at the level of Director Supplies and Disposal The Parishad had no role in any way or at any stage to influence the rate contract Infact there was complete transparency and fair play adopted by the

Director Supplies and Disposal and HPPC selected only the eligible companies who fulfill the laid down norms as per the tender

Further HSSPP had also received a similar complaint which was examined by a appointed committee The appointed committee checked and verified the procedure adopted during the finalization or the tender The committee did not find any irregularity in finalizing or the successful bidder A photocopy of the written report submitted by the appointed committee is attached as Annexure for your ready reference please

A similar complaint received by Director Supplies & Disposal Haryana was brought before the HPPC which was headed by the Finance Minister Haryana and other complaints in this matter was apprised by the Hon ble Chief Minister Thereafter after considering all facts the High Power Purchase Committee finalized the tender

Delay submission of reply is highly regretted

Sd/-
State roject Director
HSSPP Panchkula

COMMITTEE MEMBERS

1 Sh Dilbag Singh Joint Director % District Elementary Education

2 Smt Kamlesh Kumari Principal Govt Sr Sec School Badgodam Panchkula

3 Sh Surender Kumar DSS % District Education Officer Kurukshetra

4 Dr Ashok Kumar, Lect In Chemistry Govt Sr Sec School Murtzapur Kruksherta

5 Sh Sanjeev Kumar Mehta Account Officer % District Programme Coordinator SSA/RMSA Ambala

From

DilbagSingh Joint Director
Shiksha Sadan Sector 5 Panchkula

To

Procurement Officer
For State Project Director
HSSPP~ Panchkula

Memo SPL I
Dated 25 10 20 16

Subject Regarding to verify the procedure and put up a fact finding report of Tender No 10261 for purchase of Lab Equipment (physics, Chemistry and Biology Labs).

On the subject cited above report submitted to you for further necessary actions

Attachment

1 1 to 4 pages

(Dilbag Singh)
Joint Director Masters
0/0 Director Elementary Education
Panchkula Haryana

Subject - Regarding to verify the procedure and put up a fact finding report of Tender No 10261 for purchase of Lab Equipment (physics, Chemistry and Biology Labs).

*****

That in reference to letter no PO/SSA/ RMSA/20 16 17/21714 a committee was constituted on dated 06 10 2016 namely Sh Dilbag Singh Joint Director O/o Directorate of Elementary Education Panchkula Chairman Smt Kamlesh Kumari Principal GSSS Badgodam Panchkula Member I Sh Surinder Singh DSS 0/0 District Education Officer Kurkshetra- Member 2 Dr Ashok Kumar Lect In Chemistry GSSS Murtzapur Kurukshetra Member 3 Sh Sanjeev Kumar Mehta, Account Officer O/o District Programme Coordinator Ambala Member-4 to verify the procedure and put up a fact finding report of Rate Contract for Lab Equipments (physics Chemistry & Biology) for HSSPP and Secondary Education as finalized by Director Supply & Disposal Haryana through the High Power Purchase Committee CHPPC) for 1163 Science Labs in various schools of State In this context as per the record provided by the HSSPP to the committee it is submitted as under -

1 That Tender No 10261 on dated 16 10 2015 was floated by the Director General Supplies & Disposal through the e tendering inviting science lab equipments on behalf of HSSPP with date of opening of technical bid being 18 11 2015 with brief intimation in the news paper which was further extended upto 31 12 2015 In the mean time on dated 28 12 2015 the HSSPP vide its memo no 36606/PC/science/SSA requested for the withdrawal of the above composite tender

2 That 'afterwards HSSPP Panchkula submitted fresh indent for the purchase of Laboratory items i e Physics Chemistry & Biology amounting approximately for Rs 13 63 Crores

3 That tender was published on web portal https /haryanaeprocurement gov in with brief intimation in the news paper and as well as emails to manufacturers and technical bids were opened on 04 02 2016 by Technical Committee Comprising

(I) Sh Vikas Gupta IAS Director Supplies and Disposals Haryana

(II) Sh Sudhir Rana Deputy Director Supplies and Disposals Haryana

(III) Sh Rajeev Vats HSSPP Panchkula

(IV) Sh Amit Sharma, HSSPP, Panchkula

(V) Sh Vivek HSSPP Panchkula

(VI) Sh Omveer Malik Govt Q M C (plastic) Faridabad

(VII) Sh Surender Singh Inspector State Vigilance Bureau, Haryana

(VIII) Sh Subhash Garg, Subject Specialist Physics % SCERT Gurgaon

(IX) Smt Poonam Yadav Subject Specialist Biology % SCERT Gurgaon

(X) Sh Gurdeep Gulati Lect Chemistry % DEO Ambala

(XI) Sh Rakesh Kumar Lect Chemistry % DEO Ambala

(XII) Sh Ashish Aggarwal Lect In Physics O/o DEO Ambala

(XIII) Sh Ram Sharan Lect In Physics % DEO Ambala

4 That in response to tender following 8 no of firms submitted their bids namely M/s Lab oratury Instruments & Chemical (LINCO) M/s Kay Kay Global Suppliers M/s Mediworld India M/s Sachdeva Instruments Co M/s Ahuja Scientific and sports works, M/s Quality Industrial Corporation M/s Jain Scientific Glass Works & M/s Abom Exports

5 That after scrutiny of technical bids by technical committee two firms namely M/s Jain Scientific Glass Works & M/s Abom Exports were not found eligible as per NIT

6 That in the samples testing report Technical Committee finalized samples submitted by M/s Laboratory Instruments & Chemical (LINCO) Mis Sachdeva Instruments Co M/s Mediworld India M/s Ahuja Scientific and sports works have been observed to be as per NIT specifications vise by the sample testing committee so their samples are to be considered as per NIT

7 That financial bids of technically qualified bidders were opened on 03 05 2016 on the basis of reasonable rates offered by bidders The Committee decided to arrange the annual rate contact with firms as under

Sr No	Description of Store	Rate	Name of the firm	Quantity No allocation
1	Physics Lab Item	32,8001	Ahuja Scientific and sports works Ambala	100%
2.	Chemistry Lab Item	40 000/	Sachdeva Instruments Co Ambala	60%
			Laboratory Instruments & Chemical (LINCO) Ambala	40%
3	Biology Lab Item	23 750/	Laboratory Instruments & Chemical (INCO) Ambala	100%

The terms and conditions would be as per NIT On asking of the firms it was clarified by the representatives of the indenting department that the supply orders would preferably be placed by the Head Offices in collective manner

8 That various representations/complaints namely Rapposns Laboratory Services Jain Laboratory Glassware Co Kay Kay Global Suppliers M/s Anil Scientific M/s The Laboratory Glassware CO M/s Gupta Scientific Industries received regarding this tender has already been decided on merits by higher authorities and hence needs no comments It is further submitted that the sample testing was done by the concerns subject experts and needs no comments

9 Reasonability of Rates As per standing decision of High Power Purchase Committee (HPPC) the indenting deptt is required to bring rates of at least three adjoining states so as to assess Reasonability of Rates in the meeting otHPPC In this context it is submitted that the rates submitted by HSSPP vide their letter dated 10 05 2016 (Annexure 6) is of Rajasthan & Punjab in which reasonability of rates is relied upon the letters/ demand from Principal/ Headmaster Adarsh Sr Sec School Balwada, Block Sayala Jalore (Rajasthan) and Principal Govt Higher Secondary School Jaswantpura Jalore (Rajasthan) has ordered to supply the Science equipments goods to M/s Shree Enterprises Ambala Cantt On dated 20 03 2015 and 17 03 2015 respectively In case of Punjab Punjab School Shiksha Board complex 4th Floor E Block Phase 8 Ajitgarh has ordered to M/s M S Sachdeva enterprises company Ambala Cantt, to supply of Science Equipments/ goods on dated 30 03 2016 and vide tender dated 16 07 2014

It is pertinent to mention that the reasonability of rates has been verified from the office record i e page No 450 to 467 and 468 to 478 of two states

To

Procurement Officer
For State Project Director
HSSPP Panchkula

1 Sh Dilbag Singh Chairman

2 Smt Kamlesh Kumari Member 1

3 Sh Surinder Singh Member 2

4 Dr Ashok Kumar - Member 3

5 Sh Sanjeev Kumar Mehta Member 4

The Committee orally examined the Additional Chief Secretary to Govt Haryana School Education Department Haryana, Director Haryana School Siksha Pariyojna Parishad and the petitioner in its meeting held on 14 03 2017 and 06 06 2017 and desired that Additional Chief Secretary to Govt Haryana School Education Department Haryana will give personal hearing to the Petitioner and Petitioner will submit all his fact to them

The Committee disposed of the petition in its meeting held on 23 2 2018

10 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SMT MONIKA MEHTA W/o SH YOGESH MEHTA, R/O B 801 APEX APARTMENT, SECTOR 45, GURGAON, REGARDING CRIMINAL COMPLAINT AGAINST RAM SHANTI SHANTI COOP GROUP HOUSING SOCIETY LTD

The Petition/representatioin received from Smt Monika Mehta reads as under

To

The Chairman
Petition Committee
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Date 7/09/15

Sub **Criminal complaint against (1) Sh Randip Singh resident of B 503, Aralias DLF Golf Course Road, Gurgaon (2) Vijay Tehlani R/o CGHS Plot No 19, Sector-52, Gurgaon,Haryana and (3) other unknown accomplices of serial numbers 1 to 2, for committing criminal conspiracy, misappropriation, breach of trust, cheating forgery, and document manipulation with the motive of deriving wrongful gain for themselves and by causing corresponding wrongful loss to the complainant**

Sir

The complainant most respectfully submits as under

1 That the complainant has purchased a flat in The Ram Shanti Coop Group Housing Society Ltd Plot No 19 Sector-52 Gurgaon Haryana in April 2013 share certificate/membership certificate No 144 given after purchase is attached with this complaint The accused no 1 is Vice President accused no 2 is Secretary of above said society

2 That the complainant has purchase the flat for a total sale consideration of Rs 102 75 lacs Out of which 31 60lacs has been paid to society and recipt of same is attached with complaint 52 lacs were given to Mr Randip through Mr Himanshu Maggaon who is a witness of our case and rs 0 75lacs were paid towards transfer of falt to Mr Randip in his office Farm house no 1 near Ghitorni Metro station New Delhi in presence of Mr Himanshu Maggon

3 The said flat has been purchased by the complainant from Mr Randip The membership was confirmed by accused no 1 vide Welcome letter which is attached herewith The accused no 1 also demanded Rs 31 60 lacs to be deposited in the account of society which was deposited and recipt is attached herewith That the complainant had made initial payment of Rs 31 60 lacs vide cheque no 730519 730520 of Rs 25lac and 6 60lacs respectively dt 07 05 2013 drawn on OBC S LOK 1 GURGAON That after some time the complainant has come to know that the affairs of the above mentioned society are not carried out as per provisions of the law No meeting was ever conveyed by the managing committee nor any information regarding the construction of flat have ever been given to the complainant and other members The complainant time and again visited the office of society and met with the accused persons but no satisfactory reply was given to the complainant

4 That the complainant has not received neither transfer letter nor name of member resigned from society whose flat will be allotted to complainant from society till time and till date So they are liable to be prosecuted for the offence of cheating by impersonation misappropriation and criminal breach of trust

5 Since all the record of the society are in the custody of accused persons and the account of the society is being operated by them and the complainant has no access to them so he is not able to unearth the fraud committed by the accused persons

6 The complainant has also learnt that several other complaints of serious nature for same or similar type of offence are pending against the accused persons It is evident from the foregoing that in pursuance of their nefarious and sinister design the accused persons their accomplices and cohorts subjected the complainant to several serious criminal offences which to our understanding of law prima facie attract the provisions of 403 406 420 IPC against the aforesaid accused persons and other unknown accomplices who may be involved in the entire conspiracy and may have jointly and severally committed the aforesaid offences It is therefore requested that an FIR may be registered to investigate the matter and to unearth the truth so as to bring the guilty to justice

Your Sincerely Monika Mehta W /0 Yogesh Mehta R/o B 801 Apex Apartment Sec-45 Gurgaon 122003

Enclosures

1 The Ram Shanti Cooperative Group Housing Society Ltd Membership Certificate No 144 dated 03 05-2013

2 Letter from the Vice President The Ram Shanti Cooperative Group Housing Society Ltd Confirming Membership to the Society along with the details of Flat booking

3 Receipts of payment of Rs 31 60 lacs to the society

4 Copy of mails exchanged with Mr Randip for Transfer of flat

5 Police Copy attached/Police complant

The Petition/representation was placed before the Committee in its meeting held on 14 09 2015 the Committee desired that comments of the concerned department may be obtained within a 15 days As no reply was received within astipulated period reminders were issued on 14 10 2015 After that the Committee received reply from Commissioner of Police Gurgaon vide their letter No 46476/ CC dated 20 10 2015 which reads as under

प्रेषक

पुलिस आयुक्त
गुडगाव।

सेवा मे

प्रधान सचिव
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
सैक्टर–1 चण्डीगढ।

क्रमाक 46476/सी0सी0 दिनाक 20–10–15

विषय **Complaint of Monika Mehta was Yogesh Mehta r/o B-801, Apex Apartment, Sec-45 Gurgaon and others**

यादि

कृपया आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक HVS /Petition/15-1614665 67 दिनाक 15 09 15 व स्मरण पत्र क्रमाक HVS /Petition/15 16/16002 दिनाक 14 10 15 के सन्दर्भ मे।

2 उपरोक्त विषयाधीन परिवाद की जाच पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव के माध्यम से इन्चार्ज आर्थिक उपराध शाखा पूर्व गुडगाव द्वारा कराई गई। दौराने जाच परिवादीगण को शामिल जाच करके उनके कथन अकित किये गये व राम शान्ति को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी सैक्टर–52 गुडगाव तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकार्ड लिया। सोसायटी द्वारा बतलाया गया कि समिति का प्रधान धर्मवीर मग्गु, उसका भाई अमरजीत मग्गु, उसके रिश्तेदार रामप्रकाश मिगलानी बहन कुसुम गुलशन व दो अन्य सदस्य थे जो सोसायटी छोडकर भाग गये है इसलिए सहायक रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी ने समिति भग कर दी है। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली गई जिन्होने लिखित मे बतलाया कि परिवादी श्री रजत कल्याल व श्री विमल एन जेठा पहले समिति के सदस्य थे लेकिन अब नही है तथा श्रीमति मोनिका मेहता भी सदस्य नही है। परिवादीगण श्री रजत कल्याल द्वारा 35 लाख 50 हजार रुपये श्री विमल एन जेठा द्वारा 20 लाख रुपये व श्रीमति मोनिका मेहता द्वारा 31 लाख 60 हजार रुपये समिति मे जमा कराया गया है लेकिन रिकार्ड के मुताबिक परिवादीगण की सदस्यता समिति मे नही है। पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव द्वारा इन्चार्ज आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगाव की जाच रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पर धारा 406 420 भा0द0स0 के तहत थाना सुशान्त लोक गुडगाव मे अभियोग अकित करने की सिफारिश की गई। मामले बारे अभियोग अकित करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव व आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगाव से प्राप्त रिपोर्ट की छायाप्रति अवलोकनार्थ सलग्न है।

सलग्न–यथोपरी।
स्टाफ आफिसर–I
कृते पुलिस आयुक्त
गुडगाव।

The Committee orally examined the departmental representatives in its meetings held on 09 01 2016 02 02 2016 and 20 05 2016 During oral examinations Registrar Cooperative Societies Commissioner of Police Gurgaon and Ex Hon President of Ram Shanti CGHS Gurgaon vide their letter No 4660 dt 19 05 2016 letter No 620 PD dt 01 06 2016 and letter dt 20 05 2016 respectively

क्रमाक 4660/ आर के I/सरस/ दिनाक 19–05–2016

प्रेषित

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया गुडगाव।

सेवा मे

रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया हरियाणा
पचकूला।

विषय **दी राम शान्ति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव का मौजूदा सक्षेप विवरण व कार्यवाही**

दी राम शान्ति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव मे दिनाक 25 05.2003 को रजिस्टर्ड हुई है। समिति का गत चुनाव दिनाक 30 06 2010 को हुआ था। समिति की प्रबन्धक कमेटी का कार्यकाल दिनाक 29 06 2015 को समाप्त हो गया है। समिति का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कार्यालय द्वारा दिनाक 17 07 2015 को प्रशासक मण्डल की नियुक्ति की गई। समिति मे प्रशासक मण्डल के द्वारा समिति का रिकार्ड कब्जे मे लेने के लिए समिति की भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी को भिन्न–2 तिथियों पर पत्राचार किया गया परन्तु भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी के द्वारा कोई भी रिकार्ड प्रशासक मण्डल को उपलब्ध नही कराया गया। प्रशासक मण्डल द्वारा कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड समिति रजिस्ट्रेशन फाईल व आडिट रिपोर्ट से समिति का चुनाव कराने हेतू सम्भावित सूचि दिनाक 26 10 2015 को जारी की गई। इस सम्बन्ध मे प्रशासक मण्डल द्वारा दो राष्ट्रीय समाचार पत्र मे विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया कि अगर किसी समिति सदस्य को इस सम्भावित सूचि पर किसी प्रकार की कोई आप्पति है तो एक महिने के अन्दर–2 अपना ऐतराज दाखिल करे। तत्पश्चात सदस्यो के द्वारा प्रशासक मण्डल मे सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया गुडगाव के सम्मुख ऐतराज दाखिल किए गए। प्रशासक मण्डल द्वारा 9 ऐतराजो की सुनवाई करते हुए दिनाक 15–01–2016 को फैसला कर दिया गथा। प्रशासक मण्डल द्वारा 9 ऐतराजो की सुनवाई करते हुए दिनाक 15–01–2016 को फैसला कर दिया गया। प्रशासक मण्डल की अवधि 15 01 2016 को समाप्त हो गई थी। प्रशासक मण्डल की अवधि मे समिति का चुनाव न होने के कारण प्रशासक मण्डल की अवधि बढाने बारे इस कार्यालय से अनुरोध किया गया। इस कार्यालय द्वारा प्रशासक मण्डल की अवधि बढाने का केस सरकार के पास भेजा गया। सरकार द्वारा दिनाक 29–03–2016 को प्रशासक मण्डल की अवधि दिनाक 15 01 2016 से अगले छ माह/समिति का चुनाव होने तक जो भी पहले हो तक बढा दी गई। इस कार्यालय मे समिति सदस्यो के कुल 23 ऐतराज प्राप्त हुए। जिनकी सुनवाई हेतू सबधित को नोटिस जारी कर सुनवाई की गई। सुनवाई के समय भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी की तरफ से कोई भी सदस्य हाजिर नही हुआ। कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर व एतराजकर्ताओ द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजो के आधार पर 23 ऐतराजो मे से 5 ऐतराजो पर फैसला कर दिया गया। इसी दोरान पूर्व प्रबन्धक कमेटी के सदस्यो श्री विजय तहलानी व अन्य के द्वारा माननीय पजाब एव हरियाणा उच्च न्यायालय मे CWP no 2392/2016 याचिका दायर की गई कि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया गुडगाव द्वारा उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। तत्पश्चात इस कार्यालय द्वारा भूतपूर्व प्रबनध क कमेटी सदस्यो मौका देते हुए ऐतराजो पर सुनवाई हेतू नोटिस जारी किए गए। इसके फलस्वरूप 13 केस इस कार्यालय द्वारा निपटान कर दिये गए। इस प्रकार कार्यालय द्वारा कुल 18 केसो का निपटान कर दिया गया। शेष 5 केसो का निपटारा जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी व नई प्रबधक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा।

इसके अलावा निरीक्षक सहकारी समितिया गुडगाव–I द्वारा समिति का रिकार्ड प्राप्त करने हेतू इस कार्यालय द्वारा सर्च वारन्ट नागा गया था। इस कार्यालय द्वारा दिनाक 03 03 2016 को सर्च वारन्ट जारी कर दिया गया था। इस सदर्भ मे निरिक्षक सहकारी समितिया गुडगाव–I ने दिनाक 04 05 2016 को रिपोर्ट की है कि समिति कार्यालय मे रिकार्ड सर्च किया गया व भूतपूर्व सचिव श्री विजय तहलानी भूतपूर्व श्री रणदीप सिह उप प्रधान से रिकार्ड प्राप्त करने हेतू काफी प्रयास किए गए परन्तु भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी द्वारा उसे समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। निरीक्षक ने यह भी रिपोर्ट की है कि भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी द्वारा समिति का रिकार्ड उपलब्ध न कराना यह दर्शाता है कि भूतपूर्व प्रबन्धक के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने की स्फिारिश की है। समिति के रिकार्ड को बरामद कराने हेतू कार्यालय के पत्र क्रमाक 4523 दिनाक 05 05 16 के द्वारा माननीय पुलिस आयुक्त को एफ आई आर कराने की प्रार्थना दे दी गई है।

समिति की भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य श्री धर्मबीर मग्गु प्रधान श्री रणदीप सिह उप प्रधान श्री विजय तहलानी खजाची व श्री अमरजीत मग्गु कमेटी सदस्य द्वारा समिति मे काफी व्यक्तियो को हिस्सा प्रमाण पत्र (शेयर सर्टिफिकेट) जारी करने समिति मे काफी अनियमितताए करने व गबन होने का अन्देशा बारे उक्त सभी के विरूद्ध दिनाक 21 04 2016 को आदरणीय पुलिस आयुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लिख दिया गया था। हरियाणा राज्य के सभी सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सम्पदा अधिकारी हुडा विभाग व तहसीलदारो को आगामी आदेशो तक इनकी सम्पति को अन्य के नाम तबदील न करने बारे व सम्पति का ब्यौरा देने बारे लिख दिया गया है।

समिति मे विवाद ज्यादा होने के कारण समय लग सकता है तथा विवाद निपटाने के प्रयास जारी है ओर विवादो का शीघ्र निपटान कर दिया जाएगा।

सहायक रजिस्ट्रार

सहकारी समितिया गुडगाव

क्रमाक 4217/ आर के II/सरस/ दिनाक 29–04–2016

प्रेषक

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया गुडगाव।

सेवा मे

आयुक्त पुलिस
गुडगाव।

विषय दी राम शान्ति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव के भूतपूर्व कमेटी सदस्यो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (FIR) करने बारे।

यादी

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे दि राम शाति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव के प्रबधक कमेटी सदस्य भूतपूर्व प्रधान श्री धर्मवीर मग्गु भूतपूर्व उपप्रधान श्री रणदीप हुडडा भूतपूर्व खजाची श्री विजय तहलानी भूतपूर्व प्रबधक कमेटी सदस्य श्री अमरजीत मग्गू द्वारा समिति मे काफी सदस्यो को गलत तरीके से हिस्सा प्रमाण–पत्र (शेयर सर्टिफिकेट) जारी किए व समिति मे काफी अनयमितताए व गबन होने का अदेशा है। अत आपसे अनुरोध है कि श्री धर्मवीर मग्गू श्री रणदीप हुडडा श्री विजय तहलानी व श्री अमरजीत मग्गू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कपा करे।

1 श्री धर्मबीर मग्गु पूर्व प्रधान मकान न0 टी–05 बी विडसर कोर्ट डी एल एफ फेस–4 गुडगाव।

2 श्री रणदीप सिह पूर्व उप–प्रधान मकान न0 बी–503 एरालीयाज डी एल एफ गोल्फ कास रोड गुडगाव।

3 श्री अमरजीत पूर्व कमेटी मेम्बर सदस्य मकान न0 2516 सैक्टर–1 हुडडा रोहतक–124001

4 श्री विजय तहलानी पूर्व कमेटी मेम्बर सदस्य डी–12 सैक्टर–47 नोयडा–201301

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया गुडगाव।

क्रमाक 4523/ आर के ा/सरस/ दिनाक 5–5–16

प्रेषक

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया गुडगाव।

सेवा मे

आयुक्त पुलिस
गुडगाव।

विषय **दी राम शान्ति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव के भूतपूर्व कमेटी सदस्यो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (FIR) करने बारे।**

यादी

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे दि राम शाति सहकारी ग्रुप हाऊसिग समिति लि0 गुडगाव का रिकार्ड प्राप्त करने हेतू निरीक्षक सहकारी समितिया गुडगाव–I के अनुरोध पर सर्च वारन्ट जारी किये गए परन्तु प्रबधक कमेटी सदस्य भूतपूर्व प्रधान श्री धर्मवीर मग्गू, भूतपूर्व उपप्रधान श्री रणदीप हुडडा भूतपूर्ट खजाची श्री विजय तहलानी भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य श्री अमरजीत मग्गू से समिति का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका। निरीक्षक ने भूतपूर्व प्रबन्धक कमेटी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सिफारिश की है।

अतः निरीक्षक सहकारी समितिया गुडगाव–I की सिफारिश को मध्यनजर रखते आपसे अनुरोध है कि श्री धर्मवीर मग्गू श्री रणदीप हुडडा श्री विजय तहलानी व श्री अमरजीत मग्गू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे व रिकार्ड कब्जे मे लेकर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

1 श्री धर्मबीर मग्गु पूर्व प्रधान मकान न0 टी–05 बी विडसर कोर्ट डी एल एफ फेस–4 गुडगाव।

2 श्री रणदीप सिह पूर्व उप–प्रधान मकान न0 बी–503 एरालीयाज डी एल एफ गोल्फ कास रोड गुडगाव।

3 श्री अमरजीत पूर्व कमेटी मेम्बर सदस्य मकान न0 2516 सैक्टर–1 हुडडा रोहतक–124001

4 श्री विजय तहलानी पूर्व कमेटी मेम्बर सदस्य डी–12 सैक्टर–47 नोयडा–201301

Sd/-

सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितिया गुडगाव।

To

The Hon ble Chairman
Petition committee
Vidhan Sabha Govt of Haryana
Chandigarh

Dated 20/05/2016

Sub **Complaint filed by Monika Mehta in respect of Ram Shanti CGHS, Gurgaon**

Ref - **Notice dated 13/05/2016 vide its no HVS/Petitions/2/2016 17 8702 08 Your Excellency,**

May I take this opportunity to present this supplication for kind consideration of Your Excellency

Though earlier I have appeared physically before your honour but this time due to bereavement in the extended family I am unable to come and I am sending my submissions through my Attorney (legal)

1 At the very outset it is stated that the Ram Shanti CGHS society is registered in the year 2003 under Haryana Co operative societies Act 1984 bearing its no 82G having its registered office at Plot No 19 Sector 52 Gurgaon

2. A committee under Mr Dharam Vir Maggo was formed In 2010 and membership increased from 42 to 96 and more than 100 memberships changed in hands by Mr Mago President of the society from 2010 to the end of his term in 2015 Society was working regularly and the day to day business affairs was managing by the management committee under the president ship of Mr Dharamvir Maggo

3 However it was just an eye wash as the President Mr Dharamvir Maggo had kept three of his family members on the board/management committee like his brother Amarjit Maggon and his brother in law Ram Prakash Miglani and his sister Kusum

Gulshan and two more members in the Society books, just to show diversity The truth is that his Family controlled and managed the business affairs of the said society without giving any reference and knowledge to the other office bearers and other members of the society

4 Mr Mago s term was autocratic as he had majority support in the committee thorough his family and friends This was accentuated also by the mutual greed of several individuals (now members) who connived with Mr Maggo ex president to further fortheirown interests This was the reason due to which several deserving members did not get their memberships and several others were kept as members in waiting or Non members since 2010 and their contribution are visible in audited books of the Society Copy of the audited balance sheet is attached herewith for you kind perusal

5 Mr Mago s family (Amarjeet Mago Ram Prakash etc are in connivance with some members from so called core committee (e g Mr Rohit Arora who got a very favorable deal illegally through Mr Dhgr~vir Maggo and the members who exited still has all their money stands outstanding with the society) Same goes for most other members of the core committee Mr Savinay Gupta who was a committee member and whose name was objected by auditors had also been in connivance (can be seen in the audited Balance Sheet) All these people are wanting to deny the legitimate claims of several non members and members in waiting taking advantage of sentiments of members who have become vulnerable due to the fact that previous President is absconding

6 It is also pertinent to inform and intimate to your excellancy that the Ex President Dharam Vir Maggo is intentionally and deliberately hiding himself from the process of law and the same is in the knowledge of every public Authority for which the said society has also published a public notice

7 It is also informed that the term of the said management committee has also expired and assistant Registrar who is the appropriate local authority of CGHS as per Act has appointed an Administrator/body of administrators to look after the affa rs of the society

8 Ms Monika Mehta who is the petitioner herein has come before your honour to get her membership in the said society In respect of the same the Board of Administration (under concerned Registrar CGHS Gurgaon) has been in charge since last 10 months There are members with no payment and their membership may be transferred

9 I was ex Honorary Vice President in the said society now I am not in any capacity to help in this matter although I have tried at my level best earlier when the said subject was brought o my notice by the petitioner

10 It is very pertinent to mention here that the petitioner lady herein had supposedly bought membership through Mr Himanshu Mago (former President s nephew) His uncle (President Mr Dharam Vir) and his father Amerjeet Mago and his uncle Mr Ram Parkash were sufficient quorum to transfer memberships so the answering respondent is totally surprised wh / this could not be happened and why the petitioner did not approach them and why I required to take care of that

11 Supposedly one year after her supposed purchase of membership she contacted me and after two years of supposed purchase she started alleging that she supposedly puchased from me

12 I want to state, I did not know her or any of her kin I nerver solicited any sale of apartment or membership to her I was trying to held her only after she approached me with her problem and I tried my level best to influence former President to help her but was unsuccessful My personal friends and family have also been members in waiting or non membership transferred because I was a minority in the management committee So Maggo family in trying to make Ms Mehta petitioner herein approach me was a deliberate and a calculated move to mislead her

13 Her paryments to Society are reflecting in the accounts and according to me she has a claim to membership as there are still people whose name feature but have not paid a single penny

14 I personally will also request this forum/ your honour to ask the present administrators to look at the option of increasing the membership in light of increased FAR and accommodate people like Ms Mehta the petitioner herein

15 In this context it is also important to mention here that some members of the society had approached Hon ble High Court of Punjab & Haryana praying therein that Concerned Authority(ARCS) be directed to consider the appointment of Arbitrator to resolve the disputes arisen in the society A direction to this effect was obtained (Copy attached) however we are surprised as to why the office of registrar and some members are not in favour of having an independent arbitrator

16 Your Excellency may kindly appreciate and direct the concerned authority to hold an enquiry by independent authority who is expert in society matters and / or appoint oneexperienced arbitrator to resolve all these issues at hand Having patiently waited all these days for an opportunity to explain my case that the allegations are baseless and there is no material and merit whatsoever in the representation submitted by the petitioner against me before your Excellency I earnestly request Your Excellency to do the needful so that genuine grievance may kindly be redressed at the earliest and justice be rendered to all of us expeditiously

With kind regards
Yours sincerely
(Randip Singh)
Ex- Hon Vice President

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH

CWP No 2392 of 2016 (O&M)
Date of Decision 05 02 2016

Vijay Tahlani and another Petitionerts)

Versus

Registrar Cooperative Societies Haryana and others Respondentrs)

CORAM HON BLE MR JUSTICE MAHESH GROVER

Present Mr Neeraj Sharma Advocate for the petitioners

MAHESH GROVER, J

The only prayer that is made in the instant petition is that the respondent No 1 be directed to refer the matter/dispute to the Arbitration in view of Section 102 as well as 103 of Rules and Regulations of Haryana Cooperative Societies Act 1984 regarding which the petitioners have made representations (Annexure P 6 and P 10)

Having regard to the aforesaid limited prayer and without expressing any opinion on the merits of the case instant petition is disposed of with a direction to respondents to consiler and decide the representations (Annexures 6 and 10) made by the petitioners as expeditiously as possible from the date of receipt of the certified copy of this order

February 05 2016 (Mahesh Grover)
Rekha Judge

प्रेषक

पुलिस उपायुक्त
पूर्व गुडगाव

सेवा मे

प्रधान सचिव
हरियाणा विधानसभा सचिवालय
सैक्टर–1 चण्डीगढ।

क्रमाक 620–PD/ आर के ा/सरस/ दिनाक 01–06–16

विषय परिवाद मोनिका मैहता बी0–801 अपैक्स अपार्टमैन्ट सैक्टर 45 गुडगाव।

यादि

कपया आपके कार्यालय के पत्र HVS/Petitions/2/2016 17/8702 08 dated 15 05 2016 क सन्दर्भ मे दिनाक 20 05 16 की गोष्ठी मे दिए गए निर्देशे के सम्बध मे।

श्रीमान जी

उपरोक्त विषय के सम्बध मे विशेष अनुसधान टीम ईचार्ज से रिर्पोट प्राप्त की नई जो अवलोकनार्थ साथ सलग्न है। विशेष अनुसधान टीम की रिर्पोट के अनुसार अभियोग **सख्या 394 दिनाक 27 10 2015 धारा 408/420 भा0द0स0 थाना–सुशान्त लोक गुडगावा मे** परिवाद

सुभाष चन्द्र कत्याल दिनाक 31 08 15 मोनिका मेहता दिनाक 17 09 15 व विमल एन जेठा दिनाक 28 09 15 की जॉच आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगावा द्वारा जॉच उपरान्त पजीकृत किया गया। उपरोक्त परिवादीगण को शामिल जॉच करके उनके कथन अकित किये गये व राम शान्ति को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी सैक्टर–52 गुडगाव तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकार्ड लिया गया। सोसायटी द्वारा बतलाया गया कि समिति का प्रधान धर्मवीर मग्गु, उसका भाई अमरजीत मग्गु, उसके रिश्तेदार रामप्रकाश मिगलानी बहन कुसुम गुलशन व दो अन्य सदस्य थे जो सोसायटी छोडकर भाग गये हैं इसलिए सहायक रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी ने समिति भग कर दी है। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली गई जिन्होने लिखित मे बतलाया कि परिवादी श्री रजत कल्याल रजिस्ट्रार व श्री विमल एन जेठा पहले समिति के सदस्य थे लेकिन अब नही है तथा श्रीमति मोनिका मेहता भी सदस्य नही है परिवादीगण श्री रजत कल्याल द्वारा 35 लाख 50 हजार रुपये श्री विमल एन जेठा द्वारा 20 लाख रुपये व श्री मति मोनिका मेहता द्वारा 31 लाख 60 हजार रुपये समिति मे जमा कराया गया है लेकिन रिकार्ड के मुताबिक परिवादीगण की सदस्यता समिति मे नही हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव द्वारा इन्चार्ज आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगाव की जाच रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पर धारा 406 420 भा0द0स0 के तहत थाना सुशान्त लोक गडगाव मे अभियोग अकित करने की सिफारिश की गई। अभियोग मे निम्नलिखित पदाधिकारी आरोपी बनाए गए।

1 धर्मवीर मग्गु प्रधान वासी टी–05 बी वीन्डर कोर्ट डी एल एफ फेस–4 गुडगाव।

2 रनदीप सिह निवासी बी–503 एरालिज डी एल एफ गोल्फ कोर्स रोड गुडगाव।

3 विजय तहलानी सैक्टरी रामशान्ति को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न0 19 सैक्टर–52 गुडगाव।

4 अमरजीत मग्गु सदस्य रामशान्ति को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लाट न0 19 सैक्टर–52 गुडगावा।

5 रामप्रकाश मिगलानी सदस्य रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न0 19 सैक्टर–52 गुडगावा।

पीडितो के विवरण=6

क्र०स०	परिवादी का नाम व पता	गबन राशी
1	सुभाष चन्द्र कत्याल पुत्र देशराज वासी मकान न0 3030 सै0 37 डी चण्डीगढ	35 50 000/
2	मोनिका पत्नी योगेश मेहता वासी बी–801ए अपैक्स अपार्टमेन्ट सै0–45 गुडगाव	31 60 000/
3	विमल एन जेठा निवासी हाउस न0 42 बसन्त विहार नई दिल्ली	20 00 000/

दौराने अनुसधान शामिल हुए अन्य पीडित

1	कृष्ण कुमार वासी मकान न० 752ए सुशान्त लोक गुडगावा।	82 50000/रुपये
2	अनुपमा गुप्ता निवासी म०न०–121 सैक्टर–7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्र	89 50000/रुपये
3	महाबीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 नई दिल्ली	48 00000/रुपये

अभियोग की वर्तमान स्थिति – उपरोक्त रामशान्ति को–ओपरेटिव सोसायटी पता प्लाट न० जी एच 19 सैक्टर–52 गुडगावा वर्ष 2003 से रजिस्ट्रर है।

1 परिवादी सुभाष चन्द्र कत्याल द्वारा अपने पुत्र रजत कत्याल के नाम सदस्यता वर्ष 2010 में ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 091 दिनाक 12 12 12 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 35 लाख 50 हजार रुपये सोसाइटी के रिकार्ड मे जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा दिनाक 18 04 14 को परिवादी के बेटे रजत कत्याल की सदस्यता किसी श्री मति मन्जूबाला के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

2 परिवादिया मोनिका मेहता ने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2013 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 144 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 31 लाख 60 हजार रुपये सोसायटी के बैक खाते मे जमा कराये जा चुके है। लेकिन आरोपीगण सोसाइटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादिया को सदस्यता प्रदान नही की गई। परिवादिया को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है व और शिकायतकर्ता मोनिका मेहता का कोई सदस्यता बारे रिकार्ड सहायक रजिस्टार ऑफिस में नही मिला है। परिवादिया का आरोप है कि उसके द्वारा सोसाइटी के सदस्यता प्राप्त करने हेतू आरोपी रणदीप को धर्मवीर मग्गू प्रधान सोसाइटी के भतीजे हिमान्सु मग्गु के माध्यम से नकद पैसा दिया गया था परन्तु इस आशय का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। परिवादिया व रणदीप के बीच ई0–मेल आदान प्रदान के अवलोकन से किसी प्रकार के भुगतान का साक्ष्य नही पाया गया। जिस बारे अनुसधान जारी है।

3 परिवादी विमल एन जेठा अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 में ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 094 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 20 लाख रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री कान्त के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं।

4 परिवादी कृष्ण कुमार वासी मकान न० 752ए सुशान्त लोक गुडगाव जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 079 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 82 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके हैं। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री अकुर त्यागी के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं।

5 अनुपमा गुप्ता निवासी म0न०–121 सैक्टर 7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्रा जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 113 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 89 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री मनमोहन शर्मा के नाम कर दी गई परिवादी को

दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है। जो सहायक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी गुडगाव द्वारा अनुपमा गुप्ता को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

6 महावीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 दिल्ली जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2015 में ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 039 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 48 लाख रुपये जमा कराये जा चुके हैं। जिसमे सोसाइटी के बैंक खाते मे केवल 8 लाख रुपये रिकार्ड मे आए हुए है व 40 लाख रुपये राजीव शर्मा प्रोपर्टी डिलर को देने पाए गए है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता प्रदान नही की गई है। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

अनुसधान प्रगति–

अनुसधान हेतू विशेष अनुसधान टीम गठित की गई है। आरोपी सोसाइटी के सम्बध मे सोसाइटी का सत्यापित रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया है। रामशान्ति सोसाइटी के बैंक खातो का रिकार्ड कब्जा पुलिस मेंलिया जा चुका है। अभियोग मे मुख्य आरोपी रामशान्ति सोसाइटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू विदेश भग चुका है। जो अभियोग दर्ज से पहले ही भागा हुआ है। जिसके विरुद्ध एल ओ सी खुलवाई हुई।

अभियोग मे उप प्रधान रामशान्ति सोसाइटी रणदीप सिह को शामिल तकतीश दिनाक 02 04 16 04 04 16 05 04 16 किया जा चुका है। जो शामिल तफतीश पर सामने आया है कि रणदीप सिह के फर्जी हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्ट्रार मे इन्द्राज करके के आधार पर पीडित सदस्यो को सदस्यता समाप्त की हुई है व रामशान्ति सोसाइटी के लेखा जोखा व ऑडिट रिकार्ड अनुसार रणदीप सिह उपप्रधान ने सोसाइटी को वर्ष 2010 से 2012 तक लोन दिया हुआ है। जिसमे सोसाइटी ने एक करोड 5 लाख रुपये अभी भी उप प्रधान रणदीप को वापिस नही लौटाये है व उपप्रधान रणदीप को वापिस नही लौटाये है व उपप्रधान रणदीप से बैक खातो व ई–मेल व सदस्यो के बदलाव मे मन्जूरी लिखित मे लेने बारे पत्राचार का रिकार्ड कब्जा पुलिस में लिया जा चुका है। उपप्रधान रणदीप सिह के खिलाफ मुकद्मा मे कोई साक्ष्य नही मिले है। फिर भी हर पहलू पर अनुसधान किया जा रहा है। कब्जा मे लिये गये रिकार्ड का एफ एस एल भेजकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त रणदीप द्वारा 14 12 12 को ही ई–मेल द्वारा सोसायटी के सभी पदाधिकारियो को उसकी लिखित अनुमति के बिना नई सदस्यता प्रदान करने के लिए मना किया हुआ है व ना ही किसी प्रकार का लेन देन करने बारे लिखा गया है। रणदीप के अनुसार प्रमुख आरोपी धर्मवीर मग्गू द्वारा बिना उसके ज्ञान के सदस्यता प्रदान की गई है व पैसा लिया गया है।

मुकद्मा की तफतीश मे सहायक रजिस्ट्रार ऑफिस गुडगाव मे लिखित मे दिया हुआ है कि सोसाइटी का असल रिकार्ड जिसमे कार्यवाही रजिस्ट्रार इत्यादि पुरानी मैनेजिग कमेटी के पास है व सोसाइटी का ऑडिट वर्ष 2010 से मार्च 2014 तक चार बार हो चुका है। जो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी का मूल रिकार्ड प्रधान धर्मवीर मग्गू रामशान्ति सोसाइटी के पास रखा हुआ था।

रामशान्ति सोसाइटी के सम्बध मे निम्नलिखित दो मुकद्मे और दर्ज किये गये है जिनका विवरण इस प्रकार है–

क्र०स०	मुकद्मा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	98	23 03 16	406 / 420 / 467 / 468 / 120बी भा०द०स०	सुशान्त लोक
2	126	07 04 16	406 / 420 / भा०द०स०	सुशान्त लोक

राम शान्ति सोसायटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध स्वर्ण जयन्ती कापरेटिव सोसायटी में धोखा धडी करने बारे निम्नलिखित तीन अभियोग अन्य दर्ज है। जिसमे आरोपी धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध पहले ही एल ओ सी जारी कराया हुआ है। जो वर्तमान मे विदेश मे है। अभियोगो का विवरण इस प्रकार है।

क्र०स०	मुकद्मा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	202	10 06 15	406 / 420 / भा०द०स०	सुशान्त लोक
2	254	08 07 15	406 / 420 / भा०द०स०	सुशान्त लोक
3	255	09 07 15	406 / 420 / भा०द०स०	सुशान्त लोक

नोट– उपरोक्त सोसाइटी के सदस्यो द्वारा दिये गये परिवाद पर दिनाक 08 05 16 को माननीय मुख्यमत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे हुई लोक परिवाद समिति की बैठक मे भी विचार विमर्श हो चुका है। जिसमे परिवाद जाच हेतू सहायक रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सासायटी गुडगावा को उचित निर्देश समिति द्वारा दिये गये है।

अभियोग मे आरोपी रणदीप शामिल तफतीश हो चुका है। आरोपी विजय तहलानी हेतू शामिल जाच हेतू नोटिस दिया गया परन्तु विजय तहलानी द्वारा शामिल जाच न होकर अग्रिम जमानत माननीय सत्र न्यायालय गुडगाव मे दायर की थी। जो दिनाक 01 04 16 को माननीय अदालत से खारिज हो चुकी है। अन्य आरोपी अमरजीत मग्गू रामप्रकाश को शमिल तफतीश करना बकाया है। आरोपी धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर गिरफतारी वारट प्राप्त करने हेतू सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाना है व सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुसधान को गति प्रदान होगी।

रिर्पोट सेवा मे प्रेषित है।

Sd/-
(दीपक सहारन)
पुलिस उपायुक्त
पूर्व गुडगाव।

क्रमाक दिनाक

उपरोक्त की एक प्रति श्रीमान पुलिस आयुक्त गुडगाव की सेवा उनके कार्यालय के पत्र क्रमाक 11641 / सी0सी0 दिनाक 27 05 16 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।

Sd/-
(दीपक सहारन)
पुलिस उपायुक्त
पूर्व गुडगाव।
जिला गुडगाव

पुलिस विभाग

प्रेषक

सहायक पुलिस आयुक्त
डी0एल0एफ0 गुडगाव

सेवा मे

पुलिस आयुक्त
पूर्व गुडगाव
सैक्टर–1 चण्डीगढ।

क्रमाक 795/R दिनाक 01–06–16

विषय परिवाद मोनिका मैहता बी0–801 अपैक्स अपार्टमैन्ट सैक्टर 45 गुडगाव।

श्रीमान जी

श्रीमान पुलिस आयुक्त गुडगाव के कार्यालय के पत्र 11641/सी0सी0 दिनाक 27 5 16 व आपके कार्यालय के परिवाद क्रमाक 1576–जैड0 दिनाक 28 5 16 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे थाना सुशान्त लौक गुडगाव से रिर्पोट प्राप्त की गई जो अवलोकनार्थ साथ सलग्न है।

प्रबन्धक थाना सुशान्त लौक गुडगाव से प्राप्त रिर्पोट अनुसार **अभियोग सख्या 394 दिनाक 27 10 2015 धारा 406/420 भा0द0स0 थाना–सुशान्त लोक गुडगाव** मे परिवाद सुभाष चन्द्र कत्याल दिनाक 31 08 15 मोनिका मेहता दिनाक 17 09 15 व विमल एन जेठा दिनाक 28 09 15 की जाच आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगावा द्वारा जॉच उपरान्त पजीकत किया गया। उपरोक्त परिवादीगण को शामिल जॉच करके उनके कथन अकित किये गये व राम शान्ति को –आपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी सैक्टर–52 गुडगाव तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकार्ड लिया गया। सोसायटी द्वारा बतलाया गया कि समिति का प्रधान धर्मवीर मग्गु, उसका भाई अमरजीत मग्गु, उसके रिश्तेदार रामप्रकाश मिगलानी बहन कुसुम गुलशन व दो अन्य सदस्य थे जो सोसायटी छोडकर भाग गये है इसलिए सहायक रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी ने समिति भग कर दी हैं। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली गई जिन्होने लिखित में बतलाया कि परिवादी श्री रजत कल्याल रजिस्ट्रार व श्री विमल एन जेठा पहले समिति के सदस्य थे लेकिन अब नही है तथा श्री मति मोनिका मेहता भी सदस्य नही है परिवादीगण श्री रजत कल्याल द्वारा 35 लाख 50 हजार रुपये श्री विमल एन जेठा द्वारा 20 लाख रुपये व श्री मति मोनिका मेहता द्वारा 31 लाख 60 हजार रुपये समिति मे जमा कराया गया है लेकिन रिकार्ड के मुताबिक परिवादीगण की सदस्यता समिति में नही हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव की जाच रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पर धारा 406 420 भा0द0स0 के तहत थाना सुशान्त लोक गुडगाव मे अभियोग अकित करने की सिफारिश की गई। अभियोग में निम्नलिखित पदाधिकारी आरोपी बनाए गए।

1 धर्मवीर मग्गु प्रधान वासी टी–05 बी वीन्डर कोर्ट डी एल एफ फेस–4 गुडगावा।

2 रनदीप सिह निवासी बी–503 एरालिज डी एल एफ गोल्फ कोर्स रोड गुडगावा

3 विजय तहलानी सैक्टरी रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर–52 गुडगावा।

4 अमरजीत मग्गु सदस्य रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर–52 गुडगावा।

5 रामप्रकाश मिगलानी सदस्य रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर–52 गुडगाव।

पीडितो के विवरण=6

क्र०स०	परिवादी का नाम व पता	गबन राशी
1	सुभाष चन्द्र कत्याल पुत्र देशराज वासी मकान न० 3030 सै0 37 डी चण्डीगढ	35 50 000/
2	मोनिका पत्नी योगेश मेहता वासी बी–801ए अपैक्स अपार्टमेन्ट सै0–45 गुडगाव	31 60 000/
3	विमल एन जेठा निवासी हाउस न० 42 बसन्त विहार नई दिल्ली	20 00 000/

दौराने अनुसधान शामिल हुए अन्य पीडित

1	कष्ण कुमार वासी मकान न० 752 ए सुशान्त लोक गुडगावा।	82 50000/ रुपये
2	अनुपमा गुप्ता निवासी म0न0–121 सैक्टर 7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्र	89 50000/ रुपये
3	महाबीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 दिल्ली	48 00000/ रुपये

अभियोग की वर्तमान स्थिति –उपरोक्त रामशान्ति को–ओपरेटिव सोसायटी पता प्लाट न० जीए0 19 सैक्टर–52 गुडगावा वर्ष 2003 से रजिस्ट्रार है

1 परिवादी सुभाष चन्द्र कत्याल द्वारा अपने पुत्र रजत कत्याल के नाम सदस्यता वर्ष 2010 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 091 दिनाक 12 12 12 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 35 लाख 50 हजार रुपये सोसाइटी के रिकार्ड मे जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा दिनाक 18 04 14 को परिवादी के बेटे रजत कत्याल की सदस्यता किसी श्री मति मन्जूबाला के नाम कर दी गई परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिभ मे लिया जा चुका है।

2 परिवादिया मोनिका मेहता ने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2013 में ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 144 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 31 लाख 60 हजार रुपये सोसाइटी के बैक खाते मे जमा कराये जा चुके है। लेकिन आरोपीगण सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादिया को सदस्यता प्रदान नही की गई। परिवादिया को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं व और शिकायतकर्ता मोनिका मेहता का कोई सदस्यता बारे रिकार्ड सहायक रजिस्ट्रार ऑफिस मे नहीं मिला है। परिवादिया का आरोप है कि उसके द्वारा सोसाइटी के सदस्यता प्राप्त करने हेतू आरोपी रणदीप को धर्मवीर मग्गू प्रधान सोसाइटी के भतीजे हिमान्सु मग्गू के माध्यम स नकद पैसा दिया गया था परन्तु इस आशय का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। परिवादिया व रणदीप के बीच ई–मेल आदान प्रदान के अवलोकन से किसी प्रकार के भुगतान का साक्ष्य नही पाया गया। जिस बारे अनुसधान जारी है।

3 परेवादी विमल एन जेठा अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 094 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 20 लाख रुपये जमा कराये जा

चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियों द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री कान्त के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं।

4 परिवादी कृष्ण कुमार वासी मकान न० 752 ए सुशान्त लोक गुडगाव जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 079 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 82 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके हैं। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री अकुर त्यागी के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

5 अनुपमा गुप्ता निवासी म० न०–121 सैक्टर 7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्रा जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 में ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 113 जारी किया गया था। जिसके द्वार कुल 89 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी के सदस्यता किसी श्री मनमोहन शर्मा के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस में लिया जा चुका है। जो सहायक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी गुडगाव द्वारा अनुपमा गुप्ता को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

6 महाबीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 दिल्ली जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2015 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 039 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 48 लाख रुपये जमा कराये जा चुके है। जिसमे सोसाइटी के बैंक खाते मे केवल 8 लाख रुपये रिकार्ड मे आए हुए है व 40 लाख रुपये राजीव शर्मा प्रोपटी डिलर को देने पाए गए है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता प्रदान नही की गई है। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

अनुसधान प्रगति

अनुसधान हेतू विशेष अनुसधान टीम गठित की गई है। आरोपी सोसाइटी के सम्बध मे सोसाइटी का सत्यापित रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया हैं। रामशान्ति सोसाइटी के बैंक खातो का रिकार्ड कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है। अभियोग मे मुख्य आरोपी रामशान्ति सोसाइटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू विदेश भाग चुका है। जो अभियोग दर्ज से पहले ही भागा हुआ है जिसके विरुद्ध एल ओ सी खुलवाई हुई है।

अभियोग मे उप प्रधान रामशान्ति सोसाइटी रणदीप सिह को शामिल तफतीश दिनाक 02 04 16 04 04 16 05 04 16 किया जा चुका है। जो शामिल तफतीश पर सामने आया है कि रणदीप सिह व फर्जी हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्ट्रार मे इन्द्राज करके के आधार पर पीडित सदस्यो को सदस्यता समाप्त की हुई है व रामशान्ति सोसाइटी के लेखा जोखा व ऑडिट रिकार्ड अनुसार रणदीप सिह उपप्रधान ने सोसाइटी व वर्ष 2010 से 2012 तक लोन दिया हुआ है। जिसमे सोसाइटी ने एक करोड 5 लाख रुपये अभी भी उप प्रधान रणदीप को वापिस नही लौटाये है व उपप्रधान रणदीप से बैक खातो व ई–मेल व सदस्यो के बदला मे मन्जूरी लिखित मे लेने बारे पत्राचार का रिकार्ड कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है। उपप्रधान रणदीप सिह के खिलाफ मुकद्मा मे कोई साक्ष्य नही मिले है। फिर भी हर पहलू पर अनुसधान किया जा रहा है। कब्जा लिये गये रिकार्ड का एफ एस एल भेजकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त रणदीप द्वारा 14 12 12 को ही ई मेल द्वारा सोसाइटी के सभी पदाधिकारियो को उसकी लिखित अनुमति के बिना न सदस्यता प्रदान करने के लिए मना

किया हुआ है व ना ही किसी प्रकार का लेन देन करने बारे लिखा गया है। रणदीप के अनुसार प्रमुख आरोपी धर्मवीर मग्गू द्वारा बिना उसके ज्ञान के सदस्यता प्रदान की गई है पैसा लिया गया है।

मुकद्मा की तफतीश मे सहायक रजिस्ट्रार ऑफिस गुडगाव मे लिखित मे दिया हुआ है कि सोसाइटी का असल रिकार्ड जिसमे कार्यवाही रजिस्ट्रर इत्यादि पुरानी मैनेजिग कमेटी के पास है व सोसाइटी का ऑडिट वर्ष 2010 से मार्च 2014 तक चार बार हो चुका है। जो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी का मूल रिकार्ड प्रधान धर्मवीर मग्गू रामशान्ति सोसाइटी के पास रखा हुआ था।

रामशान्ति सोसाइटी के सम्बध मे निम्नलिखित दो मुकद्मे और दर्ज किये गये है जिका विवरण इस प्रकार हैं–

क्र०स०	मुकदमा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	98	23 03 16	406 / 420 / 467 / 468 / 120बी भा0द0स0	सुशान्त लोक
2	126	07 04 16	406 / 420 भा0द0स0	सुशान्त लोक

रामशान्ति सोसाइटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध स्वर्श जयन्ती कापरेटिव सोसायटी मे धोखा धडी करने बारे निम्नलिखित तीन अभियोग अन्य दर्ज है। जिसमे आरोपी ध र्मवीर मग्गू के विरुद्ध पहले ही एलओसी जारी कराया हुआ है। जो वर्तमान मे विदेश मे है। अभियोग का विवरण इस प्रकार है।

क्र०स०	मुकदमा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	202	10 06 16	406 / 420 भा0द0स0	सुशान्त लोक
2	254	08 07 15	406 / 420 भा0द0स0	सुशान्त लोक
3	255	09 07 15	406 / 420 भा0द0स0	सुशान्त लोक

नोट – उपरोक्त सोसाइटी के सदस्यो द्वारा दिये गये परिवाद पर दिनाक 08 05 16 को माननीय मुख्यमत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे हुई लोक परिवाद समिति की बैठक मे भी विचार विमर्श हो चुका है। जिसमे परिवाद जाच हेतू सहायक रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सोसायटी गुडगावा को उचित निर्देश समिति द्वारा दिये गये है।

अभियोग मे आरोपी रणदीप शामिल तफतीश हो चुका है। आरोपी विजय तहलानी हेतू शामिल जाच हेतू नोटिस दिया गया परन्तु विजय तहलानी द्वारा शामिल जाच न होकर अग्रिम जमानत माननीय सत्र न्यायालय गुडगाव मे दायर की थी। जो दिनाक 01 04 16 को माननीय अदालत से खारिज हो चुकी है। अन्य आरोपी अमरजीत मग्गू, रामप्रकाश को शामिल तफतीश करना बकाया है। आरोपी धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर गिरफतारी वारट प्राप्त करने हेतू सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाना है व सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुसधान को गति प्रदान होगी।

रिर्पोट सेवा मे प्रेषित है।

Sd/-

सहायक पुलिस आयुक्त
डी0एल0एफ0 गुडगाव
दिनाक 1 / 6 / 16

थाना सुशान्त लोक जिला गुडगाव

विषय अभियोग सख्या 394 दिनाक 27 10.2015 धारा 406 / 420 भा0द0स0 थाना–सुशान्त लोक गुडगावा की अनुशधान प्रगति रिपोर्ट।

श्रीमान् जी

कप्या आपके कार्यालय के पत्र क्रमाक न० 1576–Z दिनाक 28–5–16 विषय उपरोक्त के सम्बन्ध मे मागी गई अनुसधान प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है –

यह अभियोग परिवाद सुभाष चन्द्र कत्याल दिनाक 31 08 15 मोनिका मेहता दिनाक 17 09 15 व विमल एन जेठा दिनाक 28 09 15 की जॉच आर्थिक अपराध शाखा पूर्व गुडगावा द्वारा जॉच उपरान्त पजीकृत किया गया। उपरोक्त परिवादीगण को शामिल जॉच करके उनके कथन अकित किये गये व राम शान्ति को–आपरेटिव ग्रप हाउसिग सोसायटी सैक्टर–52 गडगाव तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकार्ड लिया गया। सोसायटी द्वारा बतलाया गया कि समिति का प्रधान धर्मवीर मग्गु, भाई अमरजीत मग्गु, उसके रिश्तेदार रामप्रकाश मिगलानी बहन कुसुम गुलशन व दो अन्य सदस्य थे जो सोसायटी छोडकर भाग गये है इसलिए सहायक रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसायटी ने समिति भग कर दी हैं। सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली गई जिन्होने लिखित मे बतलाया कि परिवादी श्री रजत कल्याल रजिस्ट्रार व श्री विमल एन जेठा पहले समिति के सदस्य थे लेकिन अब नही है तथा श्री मति मोनिका मेहता भी सदस्य नही है परिवादीगण श्री रजत कल्याल द्वारा 35 लाख 50 हजार रुपये श्री विमल एन जेठा द्वारा 20 लाख रुपये व श्री मति मोनिका मेहता द्वारा 31 लाख 60 हजार रुपये समिति में जमा कराया गया है लेकिन रिकार्ड के मुताबिक परिवादीगण की सदस्यता समिति मे नही है। पुलिस उपायुक्त पूर्व गुडगाव द्वारा इन्चार्ज आर्थिक उपराध शाखा पूर्व गडगाव की जाच रिपोर्ट के आधार पर परिवाद पर धारा 406 420 भा0द0स0 के तहत थाना सुशान्त लोक गुडगाव मे अभियोग अकित करने की सिफारिश की गई। अभियोग मे निम्नलिखित पदाधिकारी आरोपी बनाए गए।

1 धर्मवीर मग्गु प्रधान वासी टी–05 बी वीन्डर कोर्ट डी एल एफ फेस–4 गुड़गावा।

2 रनदीप सिह निवासी बी–503 एरालिज डी एल एफ गोल्फ कोर्स रोड गुडगावा।

3 विजय तहलानी सैक्टरी रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर 52 गुड़गाव।

4 अमरजीत मग्गु सदस्य रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिमिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर 52 गुडगाव।

5 रामप्रकाश मिगलानी सदस्य रामशान्ति को–ओपरेटिव ग्रुप हाउसिग सोसायटी लिपिटिड प्लॉट न० 19 सैक्टर–52 गुडगाव।

पीडितो के विवरण=6

क्र०स०	परिवादी का नाम व पता	गबन राशी
1	सुभाष चन्द्र कत्याल पुत्र देशराज वासी मकान न० 3030 सै० 37 डी चण्डीगढ़	35 50 000/
2	मोनिका पत्नी योगेश मेहता वासी बी–801ए अपैक्स अपार्टमेन्ट सै०–45 गुडगाव	31 60 000/
3	विमल एन जेठा निवासी हाउस न० बसन्त विहार नई दिल्ली	20 00 000/

दौराने अनुसधान शामिल हुए अन्य पीडित

1	कृष्ण कुमार वासी मकान न० 752ए सुशान्त लोक गुडगावा।	82 50000/रुपये
2	अनुपमा गुप्ता निवासी म०न०–121 सैक्टर 7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्र	89 50000/रुपये
3	महाबीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 दिल्ली	48 00000/रुपये

अभियोग की वर्तमान स्थिति – उपरोक्त रामशान्ति को–ओपरेटिव सोसायटी पता प्लाट न० जीएच 19 सैक्टर–52 गुडगावा वर्ष 2003 से रजिस्ट्रर हैं।

1 परिवादी सुभाष चन्द्र कत्याल द्वारा अपने पुत्र रजत कत्याल के नाम सदस्यता वर्ष 2010 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 091 दिनाक 12 12 12 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 35 लाख 50 हजार रुपये सोसाइटी के रिकार्ड मे जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा दिनाक 18 04 14 को परिवादी के बेटे रजत कत्याल की सदस्यता किसी श्री मति मन्जूबाला के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं।

2 परिवादिया मोनिका मेहता ने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2013 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 144 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 31 लाख 60 हजार रुपये सोसायटी के बेक खाते मे जमा कराये जा चुके हैं। लेकिन आरोपीगण सोसाइटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादिया का सदस्यता प्रदान नही की गई। परिवादिया को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं व और शिकायतकर्ता मोनिका मेहता का कोई सदस्यता बारे रिकार्ड सहायक रजिस्टार ऑफिस में नही मिला है। परिवादिया का आरोप है कि उसके द्वारा सोसाइटी के सदस्यता प्राप्त करने हेतू आरोपी रणदीप को धर्मवीर मग्गू प्रधान सोसाइटी के भतीजे हिमान्सु मग्गु के माध्यम से नकद पैसा दिया गया था परन्तु इस आशय का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। परिवादिया व रणदीप के बीच ई0–मेल आदान प्रदान के अवलोकन से किसी प्रकार के भुगतान का साक्ष्य नही पाया गया। जिस बारे अनुसधान जारी है।

3 पग्विादी विमल एन जेठा अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 094 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 20 लाख रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री कान्त के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

4 परिवादी कृष्ण कुमार वासी मकान न० 752ए सुशान्त लोक गुडगाव जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 079 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 82 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियों द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री अकुर त्यागी के नाम कर दी गई। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

5 अनुपमा गुप्ता निवासी म0न०–121 सैक्टर 7 अरबन स्टेट–कुरुक्षेत्रा जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2012 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 113 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 89 लाख 50 000 रुपये जमा कराये जा चुके है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता किसी श्री मनमोहन शर्मा के नाम कर दी गई परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका हैं। जो सहायक रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी गुड़गाव द्वारा अनुपमा गुप्ता को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

6 महावीर साहनी निवासी–ई 46 अशोक विहार फेस–1 दिल्ली जिसने अपने नाम सदस्यता वर्ष 2015 मे ली थी। जिसको सोसायटी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट न० 039 जारी किया गया था। जिसके द्वारा कुल 48 लाख रुपये जमा कराये जा चुके है। जिसमे सोसाइटी के बैंक खाते मे केवल 8 लाख रुपये रिकार्ड मे आए हुए है व 40 लाख रुपये राजीव शर्मा प्रोपर्टी डिलर को देने पाए गए है। आरोपी सोसायटी पदाधिकारियो द्वारा परिवादी की सदस्यता प्रदान नही की गई है। परिवादी को दिया गया शेयर सर्टिफिकेट व भुगतान रशीदे कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है।

अनुसधान प्रगति–

अनुसधान हेतू विशेष अनुसधान टीम गठित की गई है। आरोपी सोसाइटी के सम्बध मे सोसाइटी का सत्यापित रिकार्ड प्राप्त कर लिया गया है। रामशान्ति सोसाइटी के बैंक खातो का रिकार्ड कब्जा पुलिस मेलिया जा चुका है। अभियोग मे मुख्य आरोपी रामशान्ति सोसाइटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू विदेश भग चुका है। जो अभियोग दर्ज से पहले ही भागा हुआ है। जिसके विरुद्ध एलओसी खुलवाई हुई।

अभियोग मे उप प्रधान रामशान्ति सोसाइटी रणदीप सिह को शामिल तकतीश दिनाक 02 04 16 04 04 16 05 04 16 किया जा चुका है। जो शामिल तफतीश पर सामने आया है कि रणदीप सिह के फर्जी हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्ट्रार में इन्द्राज करके के आधार पर पीडित सदस्यो को सदस्यता समाप्त की हुई है व रामशान्ति सोसाइटी के लेखा जोखा व ऑडिट रिकार्ड अनुसार रणदीप सिह उपप्रधान ने सोसाइटी को वर्ष 2010 से 2012 तक लोन दिया हुआ है। जिसमे सोसाइटी ने एक करोड 5 लाख रुपये अभी भी उप प्रधान रणदीप को वापिस नही लोटाये है व उपप्रधान रणदीप को वापिस नही लौटाये है व उपप्रधान रणदीप से बैक खातो व ई–मेल व सदस्यो के बदलाव मे मन्जूरी लिखित मे लेने बारे पत्राचार का रिकार्ड कब्जा पुलिस मे लिया जा चुका है। उपप्रधान रणदीप सिह के खिलाफ मुकद्मा मे कोई साक्ष्य नही मिले है। फिर भी हर पहलू पर अनुसधान किया जा रहा है। कब्जा मे लिये गये रिकार्ड का एफएसएल भेजकर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त रणदीप द्वारा 14 12 12 को ही ई–मेल द्वारा सोसायटी के सभी पदाधिकारियो को उसकी लिखित अनुमति के बिना नई सदस्यता प्रदान करने के लिए मना किया हुआ है व ना ही किसी प्रकार का लेन देन करने बारे लिखा गया है। रणदीप के अनुसार प्रमुख आरोपी धर्मवीर मग्गू द्वारा बिना उसके

ज्ञान के सदस्यता प्रदान की गई है व पैसा लिया गया है।

मुकद्मा की तफतीश मे सहायक रजिस्ट्रार ऑफिस गुडगाव मे लिखित मे दिया हुआ है कि सोसाइटी का असल रिकार्ड जिसमे कार्यवाही रजिस्ट्रार इत्यादि पुरानी मैनेजिग कमेटी के पास है व सोसाइटी का ऑडिट वर्ष 2010 से मार्च 2010 से 2014 तक चार बार हो चुका है। जो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी का मूल रिकार्ड प्रधान धर्मवीर मग्गू रामशान्ति सोसाइटी के पास रखा हुआ था।

रामशान्ति सोसाइटी के सम्बध मे निम्नलिखित दो मुकद्मे और दर्ज किये गये है जिनका विवरण इस प्रकार है–

क्र०स०	मुकद्मा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	98	23 03 16	406/420/467/468/120बी भा०द०स०	सुशान्त लोक
2	126	07 04 16	406/420/भा०द०स०	सुशान्त लोक

राम शान्ति सोसायटी के प्रधान धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध स्वर्ण जयन्ती कापरेटिव सोसायटी मे धोखा धर्ड करने बारे निम्नलिखित तीन अभियोग अन्य दर्ज है। जिसमे आरोपी धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध पहले ही एल ओ सी जारी कराया हुआ है। जो वर्तमान मे विदेश मे है। अभियोगो का विवरण इस प्रकार है।

क्र०स०	मुकद्मा न०	दिनाक	धारा	थाना
1	202	10 06 15	406/420/भा०द०स०	सुशान्त लोक
2	254	08 07 15	406/420/भा०द०स०	सुशान्त लोक
3	255	09 07 15	406/420/भा०द०स०	सुशान्त लोक

नोट– उपरोक्त सोसाइटी के सदस्यो द्वारा दिये गये परिवाद पर दिनाक 08 05 16 को माननीय मुख्यमत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे हुई लोक परिवाद समिति की बैठक मे भी विचार विमर्श हो चुका है। जिसमे परिवाद जाच हेतू सहायक रजिस्ट्रार को–ओपरेटिव सोसायटी गुडगावा को उचित निर्देश समिति द्वारा दिये गये है।

अभियोग मे आरोपी रणदीप शामिल तफतीश हो चुका है। आरोपी विजय तहलानी हेतू शामिल जाच हेतू नोटिस दिया गया परन्तु विजय तहलानी द्वारा शामिल जाच न होकर अग्रिम जमानत माननीय सत्र न्यायालय गुडगाव मे दायर की थी। जो दिनाक 01 04 16 को माननीय अदालत से खारिज हो चुकी है। अन्य आरोपी अमरजीत मग्गू रामप्रकाश को शमिल तफतीश करना बकाया है। आरोपी धर्मवीर मग्गू के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर गिरफतारी वारट प्राप्त करने हेतू सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाना है व सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुसधान को गति प्रदान होगी।

Sd/-

थाना सुशान्त लोक
गुडगाव

Thereafter Committee received a mail dt 27 02 2018 from Smt Monika Mehta, stating that her grievance is resolved therefore her petition may be disposed of Mail received from Smt Monika Mehta is reads as under —

Dear Sir

This is to inform you that against above said petition for our membership in Ram Shanti CGHS See 52 Gurgaon in same context I would like to inform you that we have got our membership in said society and is been approved by AR office gurgaon

We have received our membership in place of Tajveer Yadav who has resigned from his membership on 4 06 2017 in favour of Monika Mehta

We are sending all the relevant documents pertaining to our membership through registered post for your reference

Copy of following documents are attached below resignation of Mr Tejveer in favour of Monika Mehta is attached herewith 2 Membership letter from A R office

Thanks and regards
Monika Mehta

The Committee perused the same and feel that since the grievance of Petitioner is resolved Therefore the Petition of Smt Monika Mehta was disposed of in its meeting held on 01 03 2018

Petition is disposed of accordingly

---

11 PETITION RECEIVED FROM SHRI SANJAY KUMAR S/o SH OM PARKASH R/O VILLAGE GHORON PIPLI, DISTT YAMUNANAGAR, REGARDING CUTTING OF TREES

The Petition received from Sh Sanjay Kumar reads as under

To

The Chairman
PetitionCommittee
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Sub - Application for directing the District

Forest Officer not to stop the Sir applicant from cutting and removing thetrees 1 e 295 Shisham treest 47 poplar trees and 15 trees of khair standingover land comprising Khasra No 1//25 (3-6), 7//5 (7-2) 6 (8-0) 7 (2 14), 14 (5-4) total measuring 33K 05M which is forming part of land measuring 66K 11M situated at Village Ghoron, H B No 115 Tehsil Jagadhri District Yamuna Nagar

Sir

The applicant respectfully submits as under

1 That the applicant is permanent resident of Village Ghoron Pipli Distt Yamuna Nagar and is agricul turist by profession having agriculture land at Village Ghoron

2 That the land of forest department is abutting to the land of the applicant so there was a dispute In respect of the land So the applicant had filed a civil suit no 1128 of 2013 against State of Officer Officer Haryana Range District Forest

Forest for and permanent \ injunction restraining aforementioned defendants not to interfere In his actual physical and peaceful possession and not to cut and remove the trees standingover the land which were detailed In the said suit The said suit was partly decreed by the court of Ms Jasmine Civil Judge (JR DIV) Yamuna Nagar at Jagadhri vide judgement dt 18 11 2008 and the defendants were restrained from interfering In the actual physical and peaceful possession of the plaintiffs over the land measuring comprising In Khewat No 159/155, Khatauni No 245 to 249 Khasra No 1//25 2//11 20 min 7//5 6 7 14 6/ /1 2//20 rru n 7//15 2//21 2//22/1 si tuated at Village Ghoron Against the said judgment dt 18 11 2008 no appeal was filed by the defendants as such the said judgement attained finality

3 That it is worth submitting here that out of the aforementioned land measuring 66K 11M over land measuring 33K 05M 295 Shisham trees 47 poplar trees and 15 trees of khair are standing over land comprising Khasra No 1//25 (3 6) 7//5 (7 2) 6 (8 0) 7 (2 14) 14 (5-4) and this fact is very much clear from the si te plan and the demarcation report dt 05 04 2015 which was got conducted though Retd Tehsildar Sh Mange Ram Verma

4 That from the aforementioned report it is amply clear that the trees which are detailed above are standing over the land which is in possession of applicant But the officials / employees of Forest Department without having any right title and concern with the trees standing over the said Khasra numbers are interfering In the possession of the applicant over the said trees despite the fact that the forest department has no concern with the said trees It is also worth submitting here that the applicant had sought information under Right to Information Act from the Forest Department in respect of the poplar trees planted by the Forest Department In the information supplied by the Forest Department there IS no mention that the Forest Department has ever planted any poplar trees Which mean that the forest department never planted any poplar tree But despite all this the forest department is illegally claiming its right over the trees standing on the land of applicant comprising Khasra No 1//25 (3 6) 7//5 (7 2) 6 (8 0) 7 (2 14) 14 (5-4)total measuring 33K 05M

5 That despite repeated requests of applicant the officials of Forest Department Yamuna Nagar are illegally interfering In the possession of the applicant over the trees standing over the aforesaid land

So In view of the facts narrated above it is respectfully prayed that the District Forest Officer may kindly be directed not to stop the applicant from cutting and removing the trees which are standing over land comprising Khasra No 1//25

(3 6) 7//5 (7 2) 6 (8 0) 7 (2 14) 14 (5-4) total measuring 33K 05M which is forming part of land measuring 66K 11M situated at Village Ghoron H B No 115 Tehsil Jagadhri District Yamuna Nagar

Yours faithfully
Sd/

Sanjay Kumar s/o Sh Om Parkash
r/o Village Ghoron Pipli
Distt Yamuna Nagar

COMMITTEE ON PETITIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 06 05 2016 the Committee considered the same and decided that the said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee did not received any reply from the Department The Committee orally examined the Principal Chief Conservator Forests Haryana and the Petitioner in its meeting held on 28 06 2016 The Committee discussed the matter with the departmental represe ntatives and the petitioner in detail and Committee direct the department to submit their report within 15 days The Committee received the reply from % Forest Department Haryana vide their letter No 967 dated 27 06 2016 which read as under—

वन विभाग हरियाणा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी यमुनानगर वन मण्डल यमुनानगर

क्रमाक 967 दिनाक 27/6/2016

सेवा मे

प्रधान सचिव हरियाणा विधानसभा सचिवालय
चण्डीगढ।

विषय **Regarding Cutting of Tress**

सदर्भ आपका पत्र क्रमाक HVS/petition/479/16 17/8552 दिनाक 12 05 2016 (प्रधान मुख्य वन सरक्षक हरियाणा को सम्बोधित)

उपरोक्त विषय पर सदर्भकित पत्र के सम्बन्ध मे आपको अवगत करवाया जाता है कि प्रार्थी श्री सजय कुमार के पिता जी श्री ओम प्रकाश गाव घोडो पिपली जिला यमुनानगर द्वारा एक केस सिविल न्यायालय जगाधरी मे दिनाक 18 10 2003 / 25 10 2005 को फाईल किया गया था। जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 18 11 2008 (प्रति सलग्न) को वादी के विरूद्ध दिया गया है। निर्णय इस से है—

In view of my above findings on the aforesaid issues specifically discussed under Issues No 1 to 3 suit of the plaintiff is partly decreed and defendants are restrained from interfering in their actual peaceful and physical possession of the plaintiff over the suit land measuring 66K 11 comprising of Kewat No 159/155 Khatauni No 245 to 249 Khasra 11/25 2111 20Min 71/5 6 7 14 61/1 21120Min 71115 21/212 21122/1 situated at

village Ghoron but the suit is dismissed in respect of 50 poplar trees 6 dek and 20 Khair trees which the plaintiffs have alleged that they are standing on their land since the plaintiff have failed to prove the existence of the same over their land Decree sheet be prepared accordingly File after needful be consigned to the record room

उक्त केस मे विधि परामर्शदाता हरियाणा ने अपने पत्र क्रमाक 72445 दिनाक 31 12 2008 द्वारा अपने सुझाव मे Not Fit For Appeal दिया है। इसके उपरान्त वादि द्वारा ए0डी0जे0 जगाधरी के न्यायालय मे अवमानना याचिका डाली गई जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा 12 11 2013 (प्रति सलग्न) को दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

Learned counsel for the petitioner has made a statement that as the petitioner has been died Therefore he does not want to persue the present petitioner Same as dismissed as withdrawn In view of her statement present petition is dismissed as withdrawn File after due compliance be consigned to record room

इसके उपरान्त श्री सजय कुमार द्वारा इस कार्यालय मे प्रार्थना पत्र निशानदेही की फोटो प्रति सहित दिया जिसमे अनुरोध किया कि 295 पेड शीशम 47 पेड पापुलर तथा 15 पेड खैरके निशानदेही मे वादि की जमीन मे खडे दिखाये गये है उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनाक 15 06 2015 (प्रति सलग्न) को जगाधरी रेज के इस निशानदेही से सम्बधित स्टाफ को मण्डल कार्यालय मे बुलाया तो उन्होने निम्नहस्ताक्षरी को लिख कर दिया है कि सेवा निवृत नायब तहसीलदार द्वारा भू स्वामि का पक्ष लेते हुए वन विभाग की भूमि को किसी भी बिन्दु से पुरा नही किया गया है जो पेड निशानदेही मे भू स्वामि के दिखाये गये है वह सरकार के है व मौका पर वन विभाग के बाउडरी पिल्लर लगे हुए है।जिसकी एक प्रति श्री सजय कुमार को इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 1371 दिनाक 19 6 2015 द्वारा भेज दी गई थी (प्रति सलग्न) यह आपको सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Sd/

वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर।

पृ0क्रमाक दिनाक

एक प्रति प्रधान मुख्य वन सरक्षक हरियाणा पचकुला को उनके पत्र क्रमाक F-W/166 dt 02 06 2016 के सदर्भ मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Sd/-

वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर।

The Committee again orally examined Principal Chief Conservator Forests Haryana and the Petitioner in its meeting held on 19 07 2017 in which Principal Chief Conservator of Forests Haryana submit their reply vide their letter No 1242 dated 19 07 2016 which reads as under

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
HARYANA PANCHKULA

No 1242 Dated 19-07 2016

To

The Chairman
Committee on Petitions
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Chandigarh

Sub **Petition submitted by Sh Sanjay Kumar S/o Sh, Om Parkash RIo Village Ghoron Piph, Yamuna nagar**

*****

It is submitted that the Committee agreed for the demarcation of the forest land and also the land of the petitioner to find out the location of said trees Sh R S Dhankhar HFS DFO Yamunanagar contacted the Tehsildar and also the Deputy Commissioner Yamunanagar for getting it done Meanwhile raining season started and also Sh R S Dhankhar HFS got transferred Forest Department has already got the revenue map of this area digitized from HARSAC Hisar The HARSAC team has been contacted for the demarcation of the whole area Now this area has been affected by Yamuna waters and hence it is not possible to get it demarcated till the water goes out from the forest land and also the adjoining lands Keeping in view the raining season and also the flood sensitivity of the area the petition may be adjourned for a month so that the forest and also the adjoining land may be got demarcated properly It is also clarified that after this demarcation of the forest land and also the land of petitioner if the trees are found standing on the land of the petitioner then such trees will be handed over to the owner of the land Accordingly the petition may also be disposed off

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forests

Haryana Panchkula

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय उप वन सरक्षक यमुनानगर

क्रमाक/ दिनाक

सेवा मे

वन सरक्षक उत्तरी परिमण्डल
अम्बाला शहर।

विषय— विधान सभा हरियायणा मे श्री सजय कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश गाव घोडो पीपली जिला यमुनानगर द्वारा डाली गई पैटीशन न० HVS/ पैटीशन/2/2017—18/24566—75 मे विवादीत क्षेत्र की मौका अनुसार की गई निशानदेही पर दिनाक 2 1 2018 की विधान सभा के निर्णय अनुसार पेडो को सौपकर अनुपालना रिपोर्ट का भेजना।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे दिनाक 2 1 2018 की विधान सभा पैटीशन कमेटी की बैठक मे लिए गए निर्णय की अनुपालना मे बीड टापू RF मे निशानदेही मे जो भूमि वादी श्री सजय कुमार के पास गई है। जिसमे खडे शीशम के पेड जो वन विभाग द्वारा लगाए गए थे। शीशम 30 पेड वाल्यूम 2 38 घन मी0 लाट न0 503 Y YNR वन मण्डल अधिकारी उत्पादन यमुनानगर को कटाई हेतू सौप दिये गए है। कब्जा रसीद प्राप्त कर ली गई है। (प्रतिसलग्न) इसके अतिरिक्त साथी श्री सजय कुमार को पोपलर के 48 पेड सौप दिए है तथा कब्जा रसीद प्राप्त कर ली गई है (प्रतिसलग्न)।

विधानसभा पैटिशन कमेटी द्वारा किए गए निर्णय अनुसार 30 पेड शीशम वॉल्यूम 2 38 घन मी0 वन मण्डल अधिकारी उत्पादन मण्डल को कटाई हेतु सौप दिए गए है पेडो की कटाई हो चुकी है तथा प्रार्थी श्री सजय कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश गाव घोडो पीपली जिला यमुनानगर ने भी 48 पेड पोपलर के काट लिए है अनुपालना रिपोर्ट अगामी कार्यवाही हेतु आपकी सेवा मे प्रेषित है।

सलग्न — कब्जा रसीद उत्पादन मण्डल व प्रार्थी श्री सजय कुमार

Sd/-

उप वन सरक्षक
यमुनानगर।

क्रमाक/1865 दिनाक 28—2—18

एक प्रति प्रधान मुख्य वन सरक्षक हरियाणा पचकूला को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Sd/-

उप वन सरक्षक
यमुनानगर।

The Committee considered the reply of the Department 1 3 18 in its meeting held on 1 3 18 and felt satisfied and decided to dispose of the petition accordingly

12 **PETITION RECIVED FROM SHRI BASVANANAD S/O SH DEVIDUTT, #1047, FIRST FLOOR, SECTOR 19, PANCHKULA, REGARDING PROPER COMPENSATION AFTER DEATH OF MR. DEEPAK.**

The Petition received from Shri Basvanand reads as under

सेवा मे माननीय अध्यक्ष महोदय जी
पैटीशन कमेटी
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ

विषय – सैक्टर–II–14 डीवाडिग रोड पर लगे बिजली के खम्बे (स्ट्रीट लाईट का पोल) से करट लगने से हुई दीपक की मृत्यु उपरान्त उचित मुआवजा देने व नगर निगम के अधिकारियो/कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही करने बारे।

श्रीमान जी

निवेदन यह है कि मैं बासवानन्द पुत्र श्री देवीदत्त निवासी मकान न 1047 पहली मजिल सैक्टर–19 पचकूला में परिवार सहित रहता हूँ। जोकि मैं हुड्डा विभाग में कार्यरत हू दिनाक16–06–2017 को मेरा लडका दीपक सैक्टर–11 से डास क्लास लगाकर लगभग 8 30 व 9 00 बजे रात्रि को वापिस घर आ रहा था। जब दीपक सैक्टर–11 व 14 बीच की सडक को पार कर रहा था तो उस दौरान स्ट्रीट लाईट के पोल से करट लग गया कुछ लोगो द्वारा दीपक को सामान्य अस्पताल सैक्टर–6 पचकूला मे पहुँचाया तो डॉक्टरो ने दीपक को मृत्यु घोषित कर दिया। दीपक मेरा इकलौता बेटा था जिसकी आयु 16 वर्ष थी। उसके उपरान्त स्ट्रीट लाईट पोल को चैक किया गया तो उसमे करट था (फोटो साथ सलग्न हैं)।

अत श्रीमान जी आपसे अनुरोध है कि मेरे बेटे की मृत्यु के जिम्मेवार नगर निगम के अधिकारियो/कर्मचारियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये व मुझे उचित मुआवजा दिया जाए ताकि भविष्य मे ऐसी दुर्घटना किसी और के साथ ना हो। आपकी अति कपा होगी।

Sd/-

भवदीय
बासवानन्द पुत्र श्री देवीदत्त
मकान न० 1047 पहली मजिल
सैक्टर–19 पचकूला।

दिनाक – 27–07–2017

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 05 08 2017 and the Committee considered the same and decided that said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee did not received any reply from the Department Thereafter Committee orally examined the Managing Director HVPN Commissioner Municipal Corporation Panchkula and Petitioner and discussed the matter The Committee received the reply from Executive Officer Municipal Corporation Panchkula vide their letter No 18582 dated 12 02 2018 which read as under

From

Executive Officer
Municipal Corporation
Panchkula

To

The Secretary
Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Memo No 18582 Dated 12 2 2018

Subject A copy of the Proceedings of the meeting of the Committee on Petitions held on 23 01 2018

Kindly refer on the subject cited above

In this connection the matter in question is pending in the Hon ble court for compensation Since the matter in dispute involved subjudice as and when matter is decided the further action will be taken This is for your information

Sd/-

Executive Officer
Municipal Corporation
Panchkula

The Committee considered the same in its meeting held on 1 3 2018 and Committee felt as the matter is subjudice and it is not appropriate to interfere in the subjudice matter at this stage Hence decided to dispose of the said petition

13 PETITION RECEIVED FROM SMT USHA DEVI W/O SH MANOJ KUMAR, H NO 646, SECTOR 9, JIND, REGARDING DA / ARREAR AND CHILDREN EDUCATION ALLOWANCES

The Petition received from Smt Usha Devi reads as under

माननीय

चयरमैन हरियाणा विधानसभा
पटीशन कमेटी चण्डीगढ।

विषय 2011–2016 का D A Arrear to Children Education Allowance निकलवाने बारे।

श्रीमान जी

मेरे पति स्व० श्री मनोज कुमार रा० व० मा० वि० गढवालीखेडा (जीन्द) मे SS अध्यापक के पद पर थे जिनका 22–04–2011 को निधन हो गया था। उसके बाद स्कूल से मिलने वाले वेतन से हर वर्ष जो D A वृद्धि होती है। उसका जो Arrear बनता है। वह आज दिनाक 20–01–2017 तक का बकाया हैं। जो 2011 से जनवरी 2017 तक नही निकलवाया गया और मेरे दो बेटिया है। जो 7th व 4th कक्षा मे पढती है। न ही इनका शिशु भत्ता निकाला गया। मैने प्राधानाचार्य से बार–2 प्रार्थना भी की कभी कहती है कि शिशु भत्ता आपका बनता ही नही कभी कहती है मेरे को पता नही लिपिक से पूछो। मैंने B E O जुलाना व D E O जीन्द से भी शिकायत की लेकिन कोई समाधान नही हुआ। मेरी इन समस्याओ का समाधान करवाया जाए व ये स्पष्ट किया जाए कि जो सुविधाए जैसे– वेतन शिशु भत्ता' अन्य सुविधाएँ सरकार द्वारा देय होती है। उनकी जिम्मेदारी स्कूल प्रधानाचार्य की होती है न कि मेरी क्योकी जब भी प्रधानाचार्य से जब भी बात करती हूँ तो कहती है कि ये तो आपको पता

होना चाहिए कि कब D A वृद्धि हुई व आपको शिशु भत्ता मिलता या नही। मैं किस–2 का पता करुगी। मैं किस–2 के बिल बनवाऊगी। आप अपने आप पता लगाओ कि सरकार आपको क्या देती है क्या नही देती । इस बारे विषय मे आप जहा जाना चाहते है जाए या किसी से कोई भी शिकायत करनी है। आप करे मुझे इससे कोई फर्क नही पडता। अत आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इन समस्याए का समाधान करवाने का कष्ट करे ताकि भविष्य मे मुझे ये सभी सुविधाऐ समय पर मिलती रहे।

Sd/-

प्रार्थी
उषा देवी W/o स्व0 मनोज कुमार
म न 646 Sec 9 Jind

The Petition was placed before the Committee in its meeting held on 29 01 2017 the Committee considered the same and decided that the said petition may be sent to the concerned Department for sending their comments within a period of 15 days The Committee received the reply from % Directorate Elementary Education Haryana vide their letter No 7/11 2017 PR(2) dated 10 04 2017 as under

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पचकूला।

सेवा मे

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
जीन्द।
यादी क्रमाक 7/11–2017 PP (2)
दिनाक पचकूला।

विषय– Education Allowance and D A Arrear निकलवाने बारे।

*****

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादी क्रमाक 7/11–2017 पै0प्रा0 (2) दिनाक 10 04 2017 के सदर्भ मे।

विषयाकित मामले मे आपसे पुन अनुरोध है कि मृतक कर्मचारी स्व0 श्री मनोज कुमार एस0एस0 मास्टर रा0व0मा0वि0 गढवाली खेडा की आक्षित पत्नी श्रीमति उषा देवी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करके इस निदेशालय को तुरन्त अवगत करवाये

Sd/

अधीक्षक पैन्शन प्राथमिक
कते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पचकूला।

पृष्ठाकन क्र0 सम दिनाक पचकूला 16–6–2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही/सूचनार्थ प्रेषित है–

1 सचिव हरियाणा विधान सभा मैने सचिवालय सैक्टर–1 चण्डीगढ।

2 प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढवाली खेडा (जीन्द)

3 श्रीमति उषा देवी पत्नी स्व0 श्री मनोज कुमार मकान न0 646 सैक्टर–9 जीन्द।

अधीक्षक पैन्शन प्राथमिक
कते निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पचकूला।

The Committee satisfied with the reply of the department and accordingly dispose of the petition on in its meeting held on 1 3 2018

14 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM DR P K. BAJPAYEE, PRINCIPAL, MAHARAJA AGRASEN MAHAVIDYALAYA, JAGADHRI, REGARDING NON PASSING OF COLLEGE SALARY BILLS FROM JANUARY, 2017 BY HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

The Petition/Representation received from Dr P K Bajpayee reads as under

दिनाक 25–05–2017

सेवा मे

अध्यक्ष महोदय
पेटिसन कमेटी हरियाणा
हरियाणा सरकार चण्डीगढ।

विषय – जनवरी 2017 से उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज के वेतन बिल न पास करने के सदर्भ मे।

महोदय

निवेदन है कि महाराजा अग्रसैन महाविद्यालय जगाधरी राजकीय अनुदान प्राप्त एक मुख्य शैक्षणिक सस्थान है–

* एक स्थानीय वकील श्री जी डी गुप्ता की झूठी शिकायत पर तत्कालीन निदेशक द्वारा कॉलेज प्रबन्धन को मई 2016 मे विधि सम्मत उचित कार्यवाही करने के लिए लिखा था।
* कॉलेज प्रबन्धन ने उच्चतर शिक्षा निदेशक को सूचित करते हुए एक जाच अधिकारी की नियुक्ति कर विस्तृत जाच का आदेश जुलाई–अगस्त 2016 दिया था।
* इससे पहले कि जाच अधिकारी अपनी कोई रिपोर्ट देते निदेशालय उच्चतर शिक्षा से एक पत्र 7 जनवरी 2017 को प्राप्त हुआ जिसमे लिखा था कि 'एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट न

देने पर निदेशालय द्वारा कॉलेज के सहायता अनुदान रोकने तथा सस्था को जारी NOC को withdraw करने कार्यवाही कर ली जायेगी।

* कॉलेज-मे इस पत्र के प्राप्ति होते ही 7 जनवरी 2017 को एक ई–मेल कर निदेशक महोदय को जाच की प्रगति से अवगत गया तथा समुचित जाच के लिए कुछ और समय देने के लिए लिखा गया जिसकी प्रति डॉक द्वारा भी उसी दिन भेजी गयी।

* तत्पश्चात् कॉलेज को निदेशालय उच्चतर शिक्षा की ओर से न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ और न ही हमारे पत्र पर निर्णय से ही हमे अवगत कराया गया।

* तदुपरान्त कॉलेज द्वारा दिनाक 07 02 2017 व दिनाक 27 02 2017 व दिनाक 10 04 2017 को भी कॉलेज के वेतन बिल पास करने हेतू निवेदन पत्र प्रेषित किए गए पर किसी का कोई उत्तर निदेशालय की तरफ से प्राप्त नही हुआ।

* दिनाक 28 मार्च 2017 को प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियो द्वारा निदेशक महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जाच रिपोर्ट सौपी गई तथा कॉलेज के जनवरी माह से बकाया वेतन बिल पास करवाने का निवेदन किया गया।

* इससे पूर्व कॉलेज प्राचार्य द्वारा निदेशक महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिनाक21ए24 मार्च 2017 तथा 10 अप्रैल 2017 को कॉलेज के जनवरी माह से बकाया वेतन बिल पास करवाने का निवेदन किया गया।

* उच्चतर शिक्षा निदेशक महोदय ने दिनाक 24 मार्च 2017 को सूचित किया गया कि कॉलेज के वेतन बिल पास करने के आदेश दे दिये गए है परन्तु C IV सेक्शन मे वह फाईल 17 अप्रैल 2017 तक प्राप्त नही हो सकी।

* दिनाक 17 अप्रैल 2017 के अपरान्ह जब कॉलेज प्राचार्य ने निदेशक महोदय से बात करने के लिए फोन मिलाया तो उनके सटॉफ ने यह जानकारी दी कि सम्बधित फाईल मिल गई है व वेतन बिल भेजकर पास करवा ले।

* कॉलेज स्टॉफ को बिल लेकर भेजने पर पता लगाा कि प्राचार्य को छोडकर बाकी लोगो के वेतन बिल पास करवा ले इसके लिए C IV सेक्शन के अधीक्षक ने कोई कारण नही बताया। इस बीच दिनाक 18 अप्रैल 2017 को निदेशक महोदय से निवेदन करने पर ज्ञात हुआ कि जो आदेश होगे वो फाईल पर होगे कॉलेज को सूचना दे दी जायेगी। सूचना अभी तक अपेक्षित है।

* कॉलेज स्टाफ की परेशानियो को देखते हुए जब कॉलेज के प्रबधन ने दिनाक 22 05 2017 को निदेशक उच्चतर शिक्षा से मुलाकात की तो उन्हे कहा गया कि कॉलेज प्राचार्य डॉ पी के बाजपेयी को छोडकर बाकी सभी के वेतन बिल जनवरी माह से अभी तक के पास करा ले।

* कॉलेज प्रबधन द्वारा यह पूछने पर कि फिर चार महीने तक समस्त कॉलेज के वेतन बिल क्यो रोके गये निदेशक की ओर से इसका कोई सनतोषजनक उत्तर नही प्राप्त हो सका निदेशक ने कॉलेज प्राचार्य डॉ पी के बाजपेयी के वेतन रोकने के निर्णय का भी कोई सनतोशजनक उत्तर नही दिया।

* हरियाणा एफिलियेटेड कॉलेज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट 1979(नियम 2006) के अनुसार एफिलियेटेड कॉलेज के कर्मचारियो के पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कॉलेज प्रबधन हीसक्षम है। कॉलेज प्रबन्धन ने व्यापक जाच करा कर रिपोर्ट 2 माह पहले ही निदेशक उच्चतर शिक्षा को भेज दी है तथा निदेशक उच्चतर शिक्षा ने रिपोर्ट मे किसी भी खामी से कॉलेज प्रबन्धन को अवगत नही कराया है और न ही उन्हे ऐसा करने का अधिकार है।

* बिना समुचित कारण के कॉलेज के सभी कार्यकर्त्ताओ की तनखाह 5 महीने तक रोके रखना निदेशक व उच्चतर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियो द्वारा अपराधिक कृत्य की श्रेणी मे आता है अत उनपर विधि सम्मत उचित कार्यवाही की जाये।

* डॉ पी के बाजपेयी प्राचार्य का वेतन रोकने का निर्णय मनमाना व उन्हे प्रताडित करने का उददेश्य से लिया गया है। 5 महीने तक कार्य के बदले वेतन नही देना उनके मानवाधिकार का हनन है तथा यह एक आपराधिक कृत्य है जो निदेशक उच्चतर शिक्षा महोदय श्री जी डी गुप्ता के दबाब मे ले रहे हैं।

* कॉलेज का स्टॉफ वेतन के अभाव मे अन्यन्त तकलीफ मे है तथा पिछले चार माह से बहुत ही अधिक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। कॉलेज कर्मचारियों के बच्चो का स्कूल दाखिला मकान किराया व सभी प्रकार के दैनिक व मासिक खर्चे आदि वहन करने में उनकी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है व पिछले माह मे सेवार्वित हुए कर्मचारी का Provident Fund का भुगतान न होने के पैशन लगने मे देरी हो रही है।

* यह उच्चतर शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियो की मिलीभगत के कारण वेतन बिल पास करने मे अवरोध उत्पन्न किए जा रहे है।

आप से निवेदन है कि कर्मचारियो की कठिनाईयो को देखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा की निर्देश दे कि महाराजा अग्रसैन महाविद्यालय के कर्मचारियो का वेतन जनवरी माह से जारी करने के साथ ही प्राचार्य डॉ पी के बाजपेयी का भी वेतन भुगतान कराने की कपया करें। आपसे यह भी निवेदन है कि दोषी अधिकारियो के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जाये तथा 5 माह तक कॉलेज प्राचार्य व समस्त स्टॉफ को प्रताडित करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज कर मुकदमा चलाया जाये।

Sd/-

भवदीय
डॉ पी के बाजपेयी
प्राचार्य

The Petition/representation was considered by the Committee and Committee directly orally examined the departmental representatives and the petitioner in its meeting held on 04 07.2017 in which departmental representatives assured the Committee that they will release the salary and also issued on letter No 7/62 2017IV(1) Dated 8 8 17 in this context

Accordingly petition/representation was disposed of by the Committee in its meeting held on 1 3 2018

15 PETITION/REPRESENTATION RECEIVED FROM SMT SANTRO DEVI W/O LATE SH RATAN SINGH, VILL. NIMANBAD, TEHSIL SAFIDON, DISTT JIND, REGARDING.

The Petition/Representation received from Smt Santro Devi reads as under

सेवा मे

चैयरमैन
याचिका समिति
हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ।

विषय दरखास्त बाबत स्व० श्री रतन सिह के स्थान पर नौकरी देने व मृतक कर्मचारी के सभी प्रकार के बकायाजात की अति शीघ्र अदायगी करवाने बारे प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी

प्रार्थना निम्नलिखित है –

1 यह है कि मै सायला श्रीमती सन्तरो देवी पत्नी स्व0 श्री रतन सिह पुत्र श्री बनारसी निवासी गाव निमनाबाद तहसील सफीदो जिला जीन्द की हूँ और मेरे पति स्व0 श्री रतन सिह आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के अधीन फरीदाबाद मे बतौर सफाई कर्मचारी के स्थाई पद पर कार्यरत थे जो म0 न0 2 सी–5 एन0आई0टी0 फरीदाबाद मे रहते थे।

2 यह है कि मेरे पति उक्त की सर्विस समय दौरान बिमार होने के कारण दिनाक 29/10/2014 को पीजीआईएमएस रोहतक मे मृत्यु हो गई थी।

3 यह है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद हरियायणा सरकार के नियमो के तहत मैने आज तक उनके किसी भी प्रकार के बकायाजात फण्ड/लाभ की आदयगी की गई है तथा ना ही पीडित परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी देने बारे कोई कारवाई की गई है।

4 यह है कि मेरे पास 4 लडकिया व 2 लडके है जिन मे से दो लडकिया की शादी की जा चुकी हैं और अब हाल मे 4 बच्चे अविवाहित है। हमारे पास मेरे पति की नौकरी ही ऐ सारे परिवार की आमदनी का साधन था जो उनकी मृत्यु के बाद खत्म हो जाने के कारण मुझे व मेरे बच्चो का भरण पोषण भी नही हो रहा है। हम गरीब व बेरोजगार है अस्थाई मजदूरी भी नही मिल रही है जिससे हमे रोटी रोजी के लाले पडे हुये है।

अत आप महामहिम माननीय जी से मेरी हाथ जोडकर प्रार्थना है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद उनके सभी प्रकार के बकायाजात की अति शीघ्र अदायगी करवाई जावे तथा हरियाणा

सरकार के नियमो के तहत परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाई जावे ताकि मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकू। शीघ्र कारवाई के लिये आपकी अति कपा होगी।

धन्यवाद।

Sd/

दिनाक –

प्रार्थीया
श्रीमती सन्तरो देवी पत्नी
स्व० श्री रतन सिह पुत्र श्री बनारसी
निवासी गाव मिनाबाद तहसील सफीदो
जिला जीन्द।

The Petition/representation was placed before the Committee in its meeting held on 13 06 2017 the Committee considered the same and desired that the comments of the concerned department may be obtained within a period of 15 days The representation was sent to the concerned department on 25 07 2017 As no reply was received within the stipulated period from the Department The Committee called the Commissioner Municipal Corporation Faridabad and the Petitioner in its meeting held on 23 01 2018 in which committee made following observations

कमेटी की रिकमण्डेशन

एडीशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मौजूदा केस के बाबत निगम के पार्ट पर काफी खामिया/कमिया है और निगम ने जो उत्तर भेजा है वह फाईल पर लगे हुए डॉकूमैटस के साथ मेल नही खाता। इस केस मे यह तथ्य सामने आये है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा श्री रतन सिह की आयु प्रमाणित की गई है तथा बी के हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल फिटनैस का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है जिस पर गलती से सिविल सर्जन के काऊटर साई न नही है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए पैटीशन कमेटी निगम को ये रिकमण्डेशन देती है कि जितने भी प्रार्थी के बैनीफिट बनते है निगम एक महीने के अदर उनका भुगतान कर दे और कमेटी की अनुशसा की कम्पलायस रिपोर्ट भी कमेटी को जल्दी से जलदी भेजी जाये। इसके अलावा निगम के कमिश्नर को भी ये अनुशसा की जाती है कि जो अधिकारी/कर्मचारी पैटीशन कमेटी को गलत तथ्य/उत्तर भेजने के लिए और फैक्ट्स को छिपाने के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्यवाही करके कम्पलायस रिपोर्ट कमेटी को भेजे।

The Committee received compliance report from the Commissioner Municipal Corporation Faridabad vide their Memo No MCF/E 3/2018 dated 26 02 2018 which reads as under

From

Commissioner
Municipal Corporation
Faridabad

To

The Secretary
Haryana Vidhan Sabha
Chandigarh

Memo No MCF/E/2018
Dated 26-02 2018

Sub - **Compliance report on the recommendations/directions dated 23 01 2018 of theCommittee on Petitions of Haryana Vidhan Sabha in respect of petition filed by Smt Santro Devi wife of Late Shri Rattan Singh, Village Namanbad, Tehsil Safidon, Distt. Jind (Haryana)**

Kindly refer to Haryana Vidhan Sabha Secretariat letter No HVS Petition 536A/ 2017-18/2023 dated 6 2 2018 (received in the office of this Corporation on 12 02 2018) on the subject cited as above

In this connection it is submitted for the kind information of COMMITTEE ON PETITIONS of Haryana Vidhan Sabha that in pursuance to the directions/ recommendations dated 23 01 2018 made by the Committee compliance have been made by this Corporation Action taken report/compliance report is submitted as under

1 The payment of Monthly financial assistance amounting to Rs 554960/ (Rs Five Lacs Fifty Four Thousand Nine Hundred Sixty Only) Gratuity & Leave encashment amounting to Rs 25883/ (Rs Twenty Five Thousand Eight Hundred Eighty Three Only) GIS amounting to Rs 5000/ (Rs Five Thousand Only) has been made to Smt Santro Devi wife of Late Shri Rattan Singh the petitioner It is further submitted that an amount of Rs 25 000~ (Rs Twenty Five Thousand Only) has already been Paid towards ex gratia on 19 01 2018 A copy of the report of Officer Incharge Accounts of this Corporation is attached herewith for kind perusal please

2. The concerned official of this Corporation at fault namely Shri Ajay Dua Senior Clerk (now Inspector) has been charge sheeted under rule 7 of Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules 2016 A copy of the charge sheet issued to the said official is attached for kind perusal please

Sd/-

Commissioner
Municipal Corporation
Fridabad

Encl As above

From

To

Officer In Charge of Accounts
Municipal Corporation
Faridabad

To

The Establishment Officer
Municipal Corporation
Faridabad

Memo No MCFIOIA/2018/429 Dated 26 2 18

Subject Payment of dues to Smt Santro Devi W/o Late Sh Rattan Singh S/o Sh Banwad Employee Code No 4915

Kindly refer to your office Endst No MCF/E 3/2018/435 dated 23 02 2018 on the subject cited above

The payment of Monthly financial assistance amounting to Rs 554960/ (Rs Five Lacs Fifty Four Thousand Nine Hundred Sixty Only) Gratuity & Leave encashment amounting to RS 25883/ (Rs Twenty Five Thousand Eight Hundred Eighty Three Only) GIS amounting to Rs 5 000/ (Rs Five Thousand Only) has been made to Smt Santro Devi wife of Late Shri Rattan Singh the petitioner

It is further submitted that an amount of Rs 25 000/ (Rs Twenty Five Thousand Only) has already been paid towards ex gratia on 19 01 2018

Sd/-

Officer In Charge of Accounts

क्रमाक एम0सी0एफ0/ई–1/2008/44 दिनाक 26/2/18

आरोप–पत्र

श्री अजय दुआ श्री सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) को सूचित किया जाता है कि इस निगम द्वारा उसके विरूद्ध हरियायणा सिविल सेवाऐ (दण्ड एव अपील) नियम 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत विवरण मे दिये गये आरोपी के आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) लिखित रूप मे इस यादी की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर–अन्दर अपना प्रतिवेदन/उत्तर प्रस्तुत करे कि क्या वह अपने विरुद्ध स्थापित आरोपो की सत्यता को स्वीकार करता है और उसकेक सम्बन्ध मे कुछ कहना चाहता है।

श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) को सूचित किया जाता हैकि वह अपना लिखित उत्तर तैयार करने के लिए जाच सम्बन्धित कोई अभिलेख देखने की इच्छा रखता है तो इन अभिलेखो को स्थापना शाखा मे सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर देख सकता है। उसे यह भी बताना आवश्यक है कि केवल वही अभिलेख उसे दिखाये जायेगे जो सक्षम अधिकारी के पास उपलब्ध होगे और यदि कोई सम्बन्धित अभिलेख जनहित मे दिखाना निगम के हित मे नही समझा जायेगा तो ऐसे सम्बन्धित अभिलेख को दिखाने से मना भी किया जा सकता है। यदि श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) किसी ऐसे अभिलेख को देखना चाहता है जो इस निगम के पास नही है तो वह उसे अपने स्तर पर अन्यत्र देख सकता है। उसे यह

भी स्पष्ट किया जाता है कि उसके विरुद्ध सम्बन्धित अभिलेख देखने मे विफल रहने पर लिखित उत्तर के नियत समय के बाद अधोहस्ताक्षरी को देरी से प्रेषित करने मे विलम्ब का कारण कोई कानूनी आधार नही बनेगा और यह समझा जायेगा कि उसके पास अपने बचाव पक्ष मे कोई प्रतिवेदना/उत्तर नही है। ऐसी अवस्था मे उसके विरूद्ध नियमानुसार आगामी एक तरफा कार्यवाही कर दी जायेगी।

लिखित प्रतिवेदना/उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना चाहिए।

Sd/

आयुक्त
नगर निगम फरीदाबाद

श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ
वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक)
नगर निगम फरीदाबाद।

प्रति 1 सयुक्त आयुक्त (टी)
2 आफिसर इन्चार्ज (लेखा)
3 जॉच फाईल/व्यक्तिगत फाईल।

श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) पर लगाए गए आरोपो का विवरण जिस पर आरोप आधारित है

1 स्थापना शाखा मे उपलब्ध रिकार्ड अनुसार स्व0 श्री रतन सिह सुपुत्र श्री बनवारी सफाई कर्मचारी कोड न0 4915 (जिसका दिनाक 29 10 2014 को देहान्त हो गया था) की पत्नी श्रीमती सन्तरो देवी को रुपये 25 000/— की राशि बतौर अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी और जिसका भुगतान लेखा शाखा के द्वारा कर दिया गया है। Haryana Compassisonate Assistance to the Dependents of Deceased Government Employees Rules 2006 मे किये गये प्रवाधान के अनुसार मृतक कर्मचारी के आश्रितो को अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता के इलावा Gratuity GPG, DCRG, Leave Encashment GIS व monthly financial assistance आदि का भुगतान किया जाता है। परन्तु सम्बन्धित फाईल मे श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) द्वारा अकित की गई टिप्पणी जो कि नोटिग पृष्ठ 1 से 15 पर मौजूद है के अनुसार इस कर्मचारी के आश्रितो को इन लाभो को भुगतान इसलिए नही किया जा सका क्योकि उक्त कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व कार्यालय मे अपना medical fitness जमा नही करवाया था।

2 वर्तमान मे स्थापना शाखा के डिलिग कर्मचारी श्री चदन सिह निरीक्षक ने श्री विकास कन्हैया अधीक्षक के माध्यम से दिनाक 20 02 2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दिनाक 19 01 2018 को हरियाणा विधानसभा चण्डीगढ की COMMITTEE ON PETITIONS की ओर से इस मामले मे इस कायालय को नोटिस प्राप्त होने के बाद जब फाईल को search किया गया तो यह पाया गया कि फाईल दिनाक 11 10 2017 को लेखा शाखा के द्वारा receive की गई लेखा शाखा से 19 01 2018 को फाईल प्राप्त करने के बाद जब फाईल को अवलोकन किया गया तो फाईल मे मृतक कर्मचारी के आयु निर्धारण सम्बन्धित कागजात नही लगे हुये थे और कर्मचारी की पत्नी श्रीमती सन्तरो देवी के द्वारा दिनाक 01 04 2015 को इस कार्यालय मे प्रस्तुत B K Hospital की medical examination

report को entertain न करके नोटिग पेज 1 से लेकर 15 तक अनेको जगह पर श्री अजय दुआ सुपुत्र स्व श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) ने विभिन्न तिथियो मे यह टिप्पणी दर्ज की हुई है कि medical fitness certificate प्रस्तुत न किये जाने के कारण कर्मचारी की पत्नी श्रीमती सन्तरो देवी को Post Death Benefits का भुगतान नहीं किया जा सकता। तत्कालीन dealing hand श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक व तत्कालीन स्थापना सलहकार श्री बलबीर सिह पवार के द्वारा office noting मे दर्ज उक्त टिप्पणीयो और फाइल मे आयु निर्धारण प्रमाण पत्र न लगे होने के आधार पर कार्यालय के द्वारा तदानुसार विधान सभा कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत की जानी वाली रिपोर्ट तैयार कर दी गई।

3 उक्त श्री चदन सिह निरीक्षक (जो कि दिनाक 23 01 2018 को हरियाणा विधानसभा की COMMITTEE ON PETITIONS की बैठक मे उपस्थित था) ने अपनी उक्त रिपोर्ट मे यह भी रिपोर्ट की है कि दिनाक 23 01.2018 को हरियाणा विधानसभा की COMMITTEE ON PETITIONS की बैठक मे नगर निगम की ओर से committee के सम्मुख उपस्थित हुए अतिरिक्त आयुक्त ने जब मृतक कर्मचारी के आश्रित के द्वारा age determination certificate प्रस्तुत न करने की बात बैठक मे कही तो मृतक कर्मचारी की आश्रित पत्नी ने स्थापना शाखा के द्वारा कार्यालय के यादी पत्र क्रमाक एम0सी0एफ0/ई–3/2015/1573 दिनाक 25 05 2015 के अनुसार लेखा शाखा को प्रेषित किये गये age determination से सम्बन्धित पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी लेकिन इसकी प्रति उस समय फाईल मे उपलब्ध नही थी जिसके परिणामस्वरूप न केवल कार्यालय के द्वारा विधान सभा कमेटी के सम्मुख गलत तथ्य प्रस्तुत हुये बल्कि निगम के उच्चाधिकारियो को समिति के सम्मुख शर्मिदगी भी उठानी पडी। यदि श्री अजय दुआ के द्वारा इस पत्र की प्रति फाईल मे लगाई होती तो हरियाणा विधानसभा की उक्त कमेटी के सुख निगम की छवि धूमिल नही होती।

4 हरियाणा विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमाक HVS/Petition/536/2017 15/2023 दिनाक 06 02 2018 के अनुसार जारी proceeding मे कमेटी ने निम्न अनुसार recommendation की है –

एडीशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन फरीदाबाद द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मौजूदा केस के बाबत निगम के पार्ट पर काफी खामिया/कमिया है और निगम ने जो उत्तर भेजा है वह फाईल पर लगे हुये डाकूमैटस के साथ मेल नही खाता। इस केस मे यह तथ्य सामने आये है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा श्री रतन सिह की आयु प्रमाणित की गई तथा बी के हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल फिटनैस का प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिस पर गलती से सिविल सर्जन के काउटर साईन नही है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुये पैटीशन कमेटी निगम को ये रिकमण्डेशन देती है कि जितने भी प्रार्थी के बैनीफिट बनते है निगम एक महीने के अन्दर उनका भुगतान कर दे और कमेटी की अनुशसा की कम्पलायस रिपोर्ट भी कमेटी को जल्दी से जल्दी भेजी जाये। इसके अलावा निगम के कमिश्नर को भी ये अनुशसा की जाती है कि जो अधिकारी/कर्मचारी पैटीशन कमेटी को गलत तथ्य/उत्तर भेजने के लिये और फैक्टस को छिपाने के लिये जिम्मेदार है। उनके खिलाफ कार्यवाही करके कम्पलायस रिपोर्ट कमेटी मे भेजे।

5 जहा तक कमेटी के द्वारा की गई उपरोक्त recommendation का सम्बन्ध है इस बारे मे बताया जाता है कि age determination सम्बन्धित स्थापना शाखा के द्वारा ही जारी किये गये पत्र एम0सी0एफ0/ई–3/2015/1573 दिनाक 25 05 2015 की प्रति फाईल मे न लगाने और कर्मचारी

की आश्रित पत्नी के द्वारा 01 04 2015 को दी गई madical examination की report की फोटो प्रति का उल्लेख नोटिग पेज मे न करने के लिये स्पष्ट रूप से श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) जिम्मेवार है। यदि उसने कर्तव्यहीनता व लापरवाही करते हुये उक्त कृत्य न किया होता तो न तो कमेटी के सम्मुख नगर निगम फरीदाबाद की ओर से तथ्यहीन बाते प्रस्तुत की जाती और न ही निगम के उच्चाधिकारियो को समिति के सम्मुख शर्मिंदगी उठानी पडती ह।

6 हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपने पत्र क्रमाक HVS/Petition/536/2017 18/15841दिनाक 25 07 2017 के अनुसार इस कार्यालय को सूसचति किया था कि श्रीमती सतरो देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रतन सिह के द्वारा दायर की गई याचिका को हरियाणा विधानसभा की COMMITTEE ON PETITIONS की दिनाक 13 06 217 को हुई बैठक मे समिति के सम्मुख रखा गया जिस पर विचार करते हुए कमेटी ने पन्द्रह दिन मे रिपोर्ट/उत्तर प्राप्त कर कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। यह पत्र स्थापना शाखा मे दिनाक 2 08 2017 को प्राप्त हुआ। कार्यालय ने अपने पत्र यादी क्रमाक MCF/E 3/2017/2039 दिनाक 01 09 2017 के अनुसार लेखा शाखा से रिपोर्ट मागी। इसके बाद स्थापना–शाखा की ओर से न तो कोई स्मरण पत्र भेजा गया और न ही लेखा से रिपोर्ट प्राप्त करके हरियाणा विधानसभा सचिवालय को भेजने के लिए कोई कार्यवाही की गई। हरियाणा विधानसभा की उक्त समिति ने दिनाक 23 01 2018 को हुई बैठक मे हरियाणा विधानसभा सचिवालय के पत्र क्रमाक HVS/Petition/536 A/17 18/15841 दिनाक 25 07 2017 के अनुसार मागी गई रिपोर्ट नगर निगम के द्वारा न भेजने पर नाराजगी जताई और दोषी अधिकारी की अकाउण्टबिलिटी फिक्स कर एक्शन टेकन रिपोर्ट समिति को भेजने के आदेश दिए। इसके लिए भी डिलिग कर्मचारी श्री अजय दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है।

अत श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) का उक्त कत्य डयूटी के प्रति घोर लापरवाही एव गैर जिम्मेदारी बरतने अनुशासनहीनता कर्तव्यहीनता नियमो की उल्लघना एव अनदेखी करने और अपने उच्चाधिकारियो को गुमराह करने की परिधि मे आता है। इसके अतिरिक्त इस कर्मचारी के उक्त कत्य से इस मामले मे हरियाणा विधान सभा कमेटी के सम्मुख निगम की छवि भी धूमिल हुई है एव उच्चाधिकारियो के मान–सम्मान को भी ठेस पहुची है।

Sd/

आयुक्त
नगर निगम फरीदाबाद

MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD

जैसा कि आरोपो के विवरण मे उल्लेखित है कि आधार पर श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) पर निम्नलिखित आरोप स्थापित किये जाते है –

आरोप – 1 यह कि उसने स्व० श्री रतन सिह सुपुत्र श्री बनवारी सफाई कर्मचारी कोड न० 4915 जिसका दिनाक 29 10 2014 को देहान्त हो गया था की पत्नी श्रीमती सन्तरो देवी को Haryana Compassionate Assistanace to the Dependents of Deceased Government Employees Rules 2006 मे किये गये प्रावधान के अनुसार अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता के इलावा Gratuity GPF DCRG, Leave Encashment GIS व monthly financial assistance आदि का भुकतान इस आधार पर ना करने बारे अपने

नोटिग मे प्रस्तावित किया कि सम्बन्धित कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व कार्यालय मे अपना medical fitness certificate जमा नही करवाया जबकि फाईल मे कर्मचारी के medical examination report की फोटोप्रति भी उपलब्ध थी और unsigned medical fitness certificate की फोटोप्रति भी फाईल मे उपलब्ध थी जो कि कर्मचारी की पत्नी श्रीमती सतरो देवी ने दिनाक 01 04 2015 को अपने आवेदन पत्र के साथ कार्यालय मे प्रस्तुत की थी। यदि श्री अजय दुआ ने उक्त mdedical examination report का उल्लेख नोटिग मे किया होता तो उचचाधिकारियो को इस पर कोई निर्णय लेकर सिविल सर्जन फरीदाबाद से इस रिपोर्ट के आधार पर medical fitness certificate जारी करवा करके कर्मचारी की आश्रित पत्नी को Post death benefit का भुकतान कर दिया गया होता। इस प्रकार इस कर्मचारी ने बिना रिकार्ड अवलोकित किये गलत तथ्य प्रस्तुत करके ना केवल मृतक कर्मचारी के आश्रितो का वित्तीय शोषण किया बल्कि अपने उच्चाधिकारियो को भी गुमराह किया।

2 यह कि श्री अजय दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) के द्वारा कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल मे age determination सम्बन्धित स्थापना शाखा के द्वारा ही जारी किये गये पत्र एम०सी०एफ०/ई–3/2015/1573 दिनाक 25 05 2015 की प्रति को न लगाए जाने के कारण कार्यालय ने हरियाणा विधानसभा की COMMITTEE ON PETITION की दिनाक 23 01 2018 को बैठक मे निगम की ओर से अतिरिक्त आयुक्त ने उत्तर प्रस्तुत किया कि कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व कार्यालय मे medical fitness certificate और आयु सम्बन्धित प्रणाम पत्र प्रस्तुत नही किया जिसके अभाव मे कर्मचारी की आश्रित पत्नी को ये लाभ अभी तक नही दिये जा सके। इस पर कर्मचारी की पत्नी ने स्थापना शाखा के द्वारा ही जारी किये गये पत्र एम०सी०एफ०/ई–3/2015/1573 दिनाक 25 05 2015 की प्रति समिति के सामने प्रस्तुत कर दी जिसके परिणामस्वरूप समिति ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर गहरी नाराजगी प्रकट की। यदि श्री अजय दुआ के द्वारा उक्त पत्र फाईल मे लगा दिया जाता तो निगम के उच्चाधिकारियो को समिति के सम्मुख शर्मिंदगी नही उठानी पडती इसके लिए श्री अजय दुआ स्पष्ट रूप से जिम्मेवार है।

3 हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपने पत्र क्रमाक HVS/Petition/536 A/17 18/15841 दिनाक 25 07 2017 के अनुसार इस कार्यालय को सूचित किया था कि श्रीमती सतरो देवी धर्मपत्नी स्व० श्री रतन सिह के द्वारा दायर की गई याचिका को हरियाणा विधानसभा की COMMITTEE ON PETITION की दिनाक 13 06 2017 को हुई बैठक मे समिति के सम्मुख रखा गया जिस पर विचार करते हुए कमेटी ने पन्द्रह दिन मे रिपोर्ट/उत्तर प्राप्त कर कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। यह पत्र स्थापना शाखा मे दिनाक 02 08 2017 को प्राप्त हुआ। कार्यालय ने अपने पत्र यादी क्रमाक MCF/E-3/2017/2039 दिनाक 01 09 2017 के अनुसार लेखा शाखा से रिपोर्ट मागी। इसके बाद स्थापना शाखा की ओर से न तो कोई स्मरण पत्र भेजा गया और न ही लेखा शाखा से रिपोर्ट प्राप्त करके हरियाणा विधानसभा सचिवालय को भेजने के लिए कोई कार्यवाही की गई जिसके लिए डिलिग कर्मचारी श्री अजय दुआ वरिष्ठ लिपिक (अब निरीक्षक) स्पष्ट रूप से जिम्मेवार है।

अत श्री अजय दुआ सुपुत्र श्री गणेश दास दुआ वरिष्ट लिपिक (अब निरिक्षक) कर उक्त कत्य डयूटी के प्रति घोर लापरवाही एव गैर जिम्मेदारी बरतने कर्तव्यहीनता नियमों की उल्लघना एव सम्बधित रिकार्ड की अनदेखी करते हुए गलत रिपोर्ट व तथ्य प्रस्तुत करने और अपने उच्चाधिकारियो को गुमराह करने की परिधि मे आता है। इसके अतिरिक्त इस कर्मचारी के उक्त कृत्य से इसे मामले मे हरियाणा विधान सभा कमेटी के सम्मुख निगम की छवी भी धूमिल हुई है एव उच्चाधिकारियो के मान–सम्मान को ठेस पहुँची है।

Sd/

आयुक्त
नगर निगम फरीदाबाद

The Committee considered the same and feel that since the grivance of the petitioner is resolved accordingly petition is disposed of in its meeting held on 01 03 2018

56042—H V S —H G P Chd